



लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक ~~23-6-83~~ 17-6-83 / 23/6/83
23/6/83 & 28/6/83.

की कार्य सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

- 14- लखानऊ नगर में छुटा जानवरों के कारण होने वाली
असुविधा व अवरोध को दूर करने तथा सुग्धा विकास
के हित में योजना का कार्यान्वयन । 24
- 15- रेज़ीडेन्सी में ध्वनि एवं प्रकाश की व्यवस्था
के रखा-रखाव के सम्बन्ध में । 26
- 16- लखानऊ अर्बन प्लानिंग ऐण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट
बाई-ला-1975 के अन्तर्गत भावनों के अग्रभाग
के रंग रोगन के सम्बन्ध में । 27
- 17- कानपुर रोड योजना में भूमि की दरें
पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में । 28
- 18- उपाध्यक्षा, लखानऊ विकास प्राधिकरण को
आधिकार प्रतिनिहित किये जाने के सम्बन्ध में 35
- 19- श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता, अस्थाई द्वितीय श्रेणी
निमित्त, लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी
शाल्य धिकित्सा हेतु ₹ 25,000/- के अग्रिम
दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में । 36
- 20- अलीगंज योजना में उपलब्ध स्कूल-प्लाट्स के
निस्तारण के सम्बन्ध में । 37
- 21- गोमती नगर योजना के विकास तथा निर्माण
के सम्बन्ध में प्रगति का विवरण । 39
- 22- विकास प्राधिकरण समुन्नति प्रभार के सँदाय
का समय और रीति उपविधि 1982 की आदेश
उपविधि प्राधिकरण द्वारा सकल्यु पारित
करके अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में । 43
- 23- अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण की
अनुमति से अन्य कोई विषय ।

X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

X=X=X=X=X

X=X=

X

विषय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या: ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 18 फरवरी, 1983 की कार्यवाही
के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 1983
की कार्य-वाही सम्मानीय सदस्यों
को पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी
है । सुलभा सन्दर्भ हेतु कार्यवाही
की एक प्रति कार्य-सूची के साथ संलग्न
की जा रही है ।

कार्य-वाही की पुष्टि अपेक्षित है ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
18 फरवरी, 1983 की कार्य-वाही

X=X=X=X=X=X=X=X=X

उपस्थिति:

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1- | श्री सुरेन्द्र मोहन | आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण,
लखानऊ । |
| 2- | श्री अखाण्ड प्रताप सिंह | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
| 3- | श्री ए०एस०वर्मा | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं नगर विकास विभाग । |
| 4- | डा० वी०एन०खान्ना | सदस्य, विधान परिषद,
सदस्य, लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
| 5- | श्री ओम पाठक | जिलाधिकारी, लखानऊ । |
| 6- | श्री जे०पी०हुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखानऊ । |
| 7- | श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता | अधीक्षणा अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखानऊ । |

X=X=X=X=X=X=X=X=X

अन्य उपस्थिति:

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1- | श्री पी०एन०मिश्र | सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
| 2- | श्री ए०एन०सिंह | अतिरिक्त सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
| 3- | श्री एम०एस०त्यागी | मुख्य नगर नियोजक, लखानऊ वि०प्रा० |
| 4- | श्री एच०एन०हुबे | कार्यकारी मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा० |
| 5- | श्री के०बी०सक्सेना | कास्ट एका०-कम-इको०प्लानर, ल०वि०प्रा० |
| 6- | श्री सर्व दमन वर्मा | मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा० |
| 7- | श्री आर०के०शुक्ला | आर्किटेक्ट प्लानर, ल०वि०प्रा० |
| 8- | श्री रज़ा अली खॉ | विशेषा कार्यधिकारी, ल०वि०प्रा० |

X=X=X=X=X=X=X=X=X

विषय संख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
24-11-82 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय :

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
24-11-82 की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।
इसी क्रम में उक्त कार्यवाही के विषय संख्या-1
पर पुनर्विचार किया गया और यह निर्णय लिया
गया कि क्लीनिक/नर्सिंग होम हेतु जो भूमि
उपलब्ध कराई जाये वह सामान्य दर से न
होकर आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित दर
से 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया
जाये ।

विषय संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-82 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन-आख्या ।

निर्णय :

- अनुपालन आख्या का अध्ययन किया गया और इसी क्रम में निम्नांकित निर्णय भी लिये गये :-
- 1- यह कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिसर में आने वाले गाँवों की गाँव सभा भूमि लखनऊ - विकास प्राधिकरण को जिलाधिकारी द्वारा हस्तान्तरित कर दी जावेगी । इस भूमि को सुनियोजित ढंग से विकसित करने का कार्य प्राधिकरण करेगा । भूमि से जो भी आय होगी उससे गाँव का विकास किया जायेगा । इस श्रेणी में आने वाली भूमि की सूची प्रस्तुत करके जिला-धिकारी को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाये और इसी क्रम में आगामी कार्यवाही की जाये ।
 - 2- ट्रान्सपोर्ट नगर की प्रगति का अध्ययन किया गया । चूँकि निर्माण कार्य । मार्च, 1983 से प्रारम्भ होने की सम्भावना है अतः इस हेतु एक कार्य-क्रम तथा पर्ट-पार्ट बना लिया जाये कि निर्माण कार्य की प्रगति क्या होगी और इसी अनुसार ट्रान्सपोर्टर्स को भी कार्य करने के लिये बाध्य किया जाये ।

इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि आलमबाग सिन्डर्स डम्प ग्राउन्ड पर एक इन्टर डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनस बनाये जाने की योजना, लखनऊ विकास-प्राधिकरण भी बना लें । हालाँकि इस प्रकरण पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कुछ निर्णय लिये गये हैं जिनके अधीन यू0पी0एस्0-आर0टी0सी0 को यह कार्य किया जाना है परन्तु इसके साथ ही साथ आलमबाग सिन्डर्स डम्प ग्राउन्ड में एक इन्टर डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनस तथा लखनऊ में अन्य जिलों की ओर से आने वाली सड़कों के सहारे छोटे-छोटे बस स्टैन्ड्स की एक एकीकृत योजना प्रस्तावित रिंग रोड की स्थिति को ध्यान में रखाकर बना ली जाये और इसकी वित्तीय आवश्यकता के विषय में भी सूचना आदि शकत्र की जायें ।

- 3- थोक सब्जी मण्डी के विषय में यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष महोदय के स्तर पर जिलाधिकारी तथा उपाध्यक्ष की एक बैठक कर ली जाये जिनमें कि निदेशक मण्डी समिति

- को भी बुलाकर इस प्रकरण में शीघ्रता करने की आगामी कार्यवाही की जाये ।
- 4- बैलेन्स शीट बनाये जाने के विषय में यह निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवाएँ भी प्राप्त कर ली जायें और यह कार्य समय से पूरा कराया जाये । अध्यक्ष महोदय ने यह इंगित किया कि सम्भवतः यह कार्य दिनांक 30-4-83 तक करने में कठिनाई होगी और एक दो माह और लग सकता है ।
- 5- लाभांश का 75% परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया पर जिलाधिकारी ने पुनर्विचार करने पर बल दिया । यह स्पष्ट किया गया कि यह अन्य विकास - प्राधिकरणों द्वारा अपनाई जा रही नीति के अनुकूल है । अतः इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है । जिलाधिकारी के बल देने पर यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में इसपर और एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी लाई जाये जिससे इस प्रकरण पर पुनः विचार किया जा सके ।
- 6- दुग्धा ग्राम योजना, विश्वेश्वर नाथा रोड पर आर०एफ०सी०आफिस के कम्पाउन्ड की भूमि, नैपियर-रोड भाग-4, नवल किशोर रोड पर कार पार्किंग हेतु भूमि का प्रवन्धा, राणा प्रताप मार्ग पर व्यवसायिक केन्द्र बनाये जाने हेतु भूमि अधिग्रहण आदि स्थानों पर भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही विशेषतः भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय में चल रही है । जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि इस कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण कराकर भूमि लखानऊ विकास प्राधिकरण को दिलाई जाये । जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इसे शीघ्रता से पूरा कराने की आगामी कार्यवाही वे करेंगे ।
- 7- माननीय सदस्य डा० वी०एन०खान्ना ने यह अनुरोध किया कि लखानऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा बनाये गये आवासों को उपलब्ध कराने में सर्विस चार्ज की छुट देने की प्रक्रिया होनी चाहिये । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित करेंगे और आगामी बैठक में इसपर पुनर्विचार किया जायेगा ।
- 8- डा० वी०एन०खान्ना के सुझाव पर डा० पुरी के मामले में पूर्व गठित समिति द्वारा पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया ।

विषय संख्या: 3

निर्णय :

गोमती नगर योजना की भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार तथा निर्णय ।

उक्त योजना में कैम्पाडाउन पर पंजीकृत कराये हुए व्यक्तियों को भूखण्डों का आवन्टन करने हेतु 7 मार्च, 1983 की तिथि निर्धारित की गई है । मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत किया गया योजना का सेक्टर प्लान तथा इसी क्रम में एक सेक्टर नम्बर-2 के सब-सेक्टर का विस्तृत ले-आउट प्लान का अवलोकन किया गया । प्राधिकरण के माननीय सदस्यों ने गोमती नगर योजना का निरीक्षण भी किया और मौके पर चल रहे कार्य की प्रशंसा की । प्रस्तुत किये गये आकड़ों का अध्ययन करने के उपरान्त निम्नांकित विक्रय मूल्य की स्वीकृति दी गई :-

1-	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भावनों भूखण्डों हेतु	100/- प्रति वर्ग मीटर ।
2-	अल्प आय वर्ग के भावनों भूखण्डों हेतु ।	130/- " "
3-	मध्य आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के भावनों/भूखण्डों हेतु	145/- " "
4-	तार्किक सुविधाओं हेतु	130/- " "
5-	व्यवसायिक कार्यालयों हेतु	290/- " "

यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 7-3-1983 को होने वाले आवन्टन में उपरोक्त दरों का अनुसरण किया जाये । चूंकि यह बहुत बड़ी योजना है और कार्य तीव्र गति से चल भी रहा है और चूंकि इस योजना के विषय में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है और यदि तीव्र गति से विकास करके आवन्टन आदि की प्रक्रिया में शीघ्रता नहीं की जाती है तो हो सकता है कि योजना के सफल रूप से कार्यान्वयन में बाधा भी पड़े । अतः सभी पहलुओं पर विचार करके यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 7-3-83 को आवन्टन आदि करने के उपरान्त इस क्षेत्र में पूरा किये जाने वाले विकास कार्यों के पृष्ठभूमि में आगामी छः माह के अन्दर पुनः इन कीमतों के निर्धारण पर विचार करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष यह प्रकरण रखा जाये ।

इस पृष्ठभूमि में प्रस्तावित विक्रय मूल्य की स्वीकृति दी गई ।

विषय संख्या: 4

सूरजकुण्ड सौन्दर्यकरण तथा विकास एवं सूरजकुण्ड क्षेत्र में सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार ।

निर्णय :-

इस क्षेत्र के सौन्दर्यकरण, विकास तथा सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने के विषय में दिनांक 17 फरवरी, 1982 को ही निर्णय लिये जा चुके हैं । उसके अनुस्यू कार्य पूरा किया जाये । प्रतिमा के निर्माण के विषय में अध्यक्ष महोदय, सचिव, आवास विभाग तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से विचार विमर्श करके अपने स्तर पर निर्णय ले लें ।

विषय संख्या: 5

लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "बी" जोन-4 निरालानगर तथा जोन-5 महानगर तथा महानगर विस्तार के जोनल डेवलपमेंट प्लान पर जनता की आपत्तियों आमन्त्रित करने हेतु स्वीकृत दिया जाना ।

निर्णय :

यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित जोनल प्लान का आपत्तियों हेतु प्रकाशन किया जायेगा और जो भी आपत्तियाँ प्राप्त होंगी उनपर निम्नांकित अधिकारियों की समिति निर्णय लेगी:-

- 1- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
- 2- मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक
- 3- जिलाधिकारी, लखनऊ
- 4- डायरेक्टर जनरल, एम.एल.सी. सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

ह0/-अखण्ड प्रताप सिंह
अखण्ड प्रताप सिंह
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

ह0/-प्रभु नाथ मिश्र
प्रभु नाथ मिश्र
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु भो दि त
=====

ह0/- सुरेन्द्र मोहन
सुरेन्द्र मोहन
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आसुक्त
लखनऊ मण्डल

- § घ § विक्रय मूल्य में लाभान्ता का 75% परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने के प्रस्ताव पर इस बैठक में अलग से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है ।
- § ङ § विभिन्न योजनाओं में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के विषय में जिलाधिकारी तथा उपाध्यक्ष के स्तर पर दो बैठकें हुई थीं और बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसूच अभिलेखाओं को पूरा किये जाने तथा प्राधिकार की धनराशि का कुछ अंश अग्रिम के रूप में जमा किये जाने की कार्यवाही कर ली गयी है । इन योजनाओं में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है ।
- § च § लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने में सर्विस चार्ज से छूट देने के प्रकरण पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है । प्राधिकरण स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है ।
- § छ § डा0 वी0एन0खान्ना, सदस्य के सुझाव पर डा0 पुरी के अलीगंज स्थित भूखण्ड के मूल्य के विषय में पुनर्विचार करने हेतु अध्यक्ष महोदय के स्तर पर उपसमिति की बैठक बुलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है । कार्यवाही प्रगति पर है ।

विषय संख्या: 3

गोमती नगर योजना की भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार तथा निर्णय गोमती नगर के प्रगति के विषय में मद संख्या 21 पर एक टिप्पणी संलग्न है ।

विषय संख्या: 4

सूरज कुण्ड क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण तथा विकास एवं सूरज कुण्ड क्षेत्र में सूर्य की प्रसिद्धा स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार ।

इस प्रकरण में गत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिभा के निर्माण के विषय में अध्यक्ष महोदय, सचिव आवास विभाग तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से विचार विमर्श करके अपने स्तर पर निर्णय ले लेंगे । अभी तक इस प्रकरण पर गत बैठक के उपरान्त कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है ।

विषय संख्या: 5

लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "बी" जोन-4 निराला नगर तथा जोन-5 महानगर तथा महानगर विस्तार के जोनल डेवलेपमेन्ट प्लान पर जन सभान्य से आपत्तियों का आमन्त्रित करने के विषय पर प्रगति ।

उपरोक्त निर्णय के अनुकूल इन जोनल प्लान्स को प्रकाशित कर दिया गया था । प्रकाशन में आई हुई आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 19.4.83 को कर दिया गया है । कार्यवाही प्रगति पर है ।

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 8

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण का
बजट वर्ष 1983-84 के सम्बन्ध में

x=x=x=x=x=x

लखनऊ विकास प्राधिकरण का

बजट वर्ष 1983-84 विचारार्थ

अलग से सेंलग्न किया जा रहा

है।

विषय संख्या: 4

पृष्ठ संख्या: 9

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर आवंटियों द्वारा अपना भूखण्ड बेचे जाने पर लाभांश का 75% लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जाने के बजाये अब 50% लिये जाने के प्रस्ताव पर विचार ।

X=X=X=X=X=X=X=X=X

टिप्पणी:

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-7-1982 को यह निर्णय लिया गया था कि विकास प्राधिकरण की जिन पट्टों में भवन निर्मित करने की अवधि निर्धारित है और आवंटियों ने भवन निर्मित नहीं किया है वह बहुत ऊची-ऊची कीमतों पर भूमि को हस्तान्तरित करके लाभ कमा रहे हैं । इस स्थिति को देखते हुए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया था कि ऐसे भूखण्डों के आवंटियों को भूखण्ड बेचने की अनुमति देने से पूर्व प्राधिकरण ऐसे आवंटियों के लाभांश का 75 प्रतिशत धन-राशि प्राप्त किया करे । भवनों के सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित की गई थी कि भवनों के विक्रय पर भूखण्ड, जिसपर भवन बना हुआ है के वर्तमान मूल्य के अनुसार 50 प्रतिशत लाभांश लेकर हस्तान्तरण की अनुमति दी जाये ।

विकास प्राधिकरण की गत बैठक में माननीय सदस्य श्री ओस पाठक ने यह सुझाव दिया था कि लाभांश का 75% वसूलने की शर्त कठोर प्रतीत होती है और इसके कारण विकास कार्य में व्यक्तिगत पूँजी को आकर्षित करने पर रोक लगेगी। अतः इस प्रकरण पर और गम्भीरता पूर्वक विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिये । आवास विकास परिषद् भी 75% लाभांश लेकर भूखण्डों को बेचने की अनुमति प्रदान करता है । गाजियाबाद और दिल्ली विकास प्राधिकरण में इसी अनुस्यू हस्तान्तरण शुल्क लिया जाता है परन्तु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, इस प्रक्रिया से भूखण्ड स्वामियों को कठिनाई उत्पन्न हो गई है तथा व्यक्तिगत पूँजी को नगर विकास के क्षेत्र में लगाये जाने की प्रक्रिया को भी हतोत्साहन हुआ है । इस समस्त प्रकरण पर विचार करके यदि उचित समझा जाये तो 75 प्रतिशत लाभांश शुल्क घटा करके 50 प्रतिशत लाभांश शुल्क प्राप्त करने तथा इसी आधार पर भूमि का हस्तान्तरण स्वीकार करने की नीति निर्धारित की जाये ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण का निर्णय अपेक्षित है ।

विषय: महानगर योजना के अन्तर्गत सीवर व्यवस्था का पुर्ननिर्माण

महानगर गृह योजना के अन्तर्गत विस्तृत सीवर बिछाने की परिकल्पना वर्ष 1975-76 में की गयी थी। महानगर गृह योजना के पूरे क्षेत्र में पानी का स्तर 7 फिट से लेकर 9 फिट की गहराई तक पाया गया था अतः इस क्षेत्र में सीवर बिछाने के लिये परिकल्पना के पूर्व ही विभिन्न पहलुओं पर विचार करके निर्णय लिया गया था कि सीवर की लाइनें 16 फिट तक की गहराई में बिछायी जायें और पम्पिंग स्टेशन एक ही बनाया जाये ।

उस अवधि में महानगर या गोमती पार क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर बिछाने की प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। पूरे गोमती पार क्षेत्र में सीवर की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां के जल स्तर और मिट्टी की बनावट के विषय में पर्याप्त तकनीकी अध्ययन करके यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई प्रतीत होती हातांकि सीवर निर्माण तथा विकास के क्षेत्र में यह प्रथम प्रयास था।

अधीक्षणा अभियन्ता स्वयत्त शासन विभाग ने

ने महानगर क्षेत्र के सीवर की डिजाइन करने के आदेश दिए थे और उन्होंने यह व्यक्त किया था कि सबसे अधिक आने वाली गहराई जो लगभग 16 फिट की होगी कोई खास गहराई नहीं है। यह कल्पना नहीं की गयी कि यह 16 फिट गहराई लगभग 8 फिट पानी के नक़िये होगी और यहां पर मिट्टी की बनावट बहुत ही खराब होगी ।

योजनाके अनुसार महानगर के चारों भागों में दो भागों के सीवर बिल्कुल तैयार कर दिये गये। एक भाग का सीवर पम्पिंग स्टेशन से जोड़ दिया गया और कार्य भी करने लगा। शेष तीन भागों के सीवर के कुछ टुकड़े नहीं जोड़े जा सके और इसी बीच यह कार्य स्वयत्त शासन विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार स्वयत्त शासन विभाग इन तीनों टुकड़ों को न जोड़ पाया और यह कार्य बिल्कुल बैसे का बसा पड़ा रहा ।

इसके पश्चात भी जो सीवर लाइन जोड़ दी गयी थी और महानगर के एक चौथाई भाग का जो सीवर कार्य कर रहा था वह भी कुछ हिस्सों में खराब हो गया। उसकी मरम्मत की गयी किन्तु मरम्मत के बाद भी यह सीवर लाइन ठीक नहीं हो सकी ।

महानगर की सीवर लाइन वर्तमान परिस्थितियों में कार्य करने मेंक्षम नहीं हो सकेगी जिसके कारण यहां के निवासियों को हो रही असुविधा दूर नहीं हो सकेगी। इस लिए अब दो विकल्पों पर विचार किया जाना आवश्यक हो गया है:-

॥१॥ महानगर में 3 या 4 पम्पिंग स्टेशन बनाये जायं और उनके मध्यम से सीवर लाइनों का पानी पम्प करके मुख्य पम्पिंग स्टेशन पर ले आया जाय और यहां पर विधिवत पम्प कर सलेज फार्म भेजा जाय ।

अथवा

॥२॥ इस सीवर लाइनों के व्यास बढ़ा दिये जायं और सीवर लाइनें जल स्तर केऊपर रखी जायं तथा वर्तमान पम्पिंग स्टेशन से ही कार्य चलाया जाय वर्तमान परिकल्पना के विषय में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया जिसमें प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, श्री राम नगीना सिंह, जल संस्थान के महाप्रबन्धक श्री वाई० डी० मिश्र भी उपस्थित थे। यह उपयुक्त समझा जा रहा है कि सीवर लाइनों के व्यास बढ़ाकर इन लाइनों को जहां तक सम्भव हो सके जल स्तर के ऊपर ही रखा जाय। इसी परिकल्पनाको ध्यान में रखते हुए वर्तमान महानगर की सीवर प्रणाली की डिजाइन की गयी है और उसी के अनुसार व्यय-नुमान आदि तैयार किये गये हैं।

उपरोक्त विवरण के अनुसार इस कार्य पर लगभग 120.00 लख रु० व्यय होने का अनुमान लगाया गया है किन्तु यह प्रणाली अलीगंज योजना के एक भाग चन्द्रलोक, अलीगंज बाजार एवं उससे संबंधित अन्य स्थलों को भी सीवर की सुविधा उपलब्ध करायेगी। खुर्रम नगर गांव, हेवेट पालिटेक्निक एवं अन्य स्थल भी इस सीवर लाइन से जोड़े जा सकेंगे । इस प्रकार इसका आंशिक व्यय भार अलीगंज योजना एवं अन्य भागों पर भी डाला जा सकेगा ।

उपरोक्त दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुये विकास प्राधिकरण को लगभग 95.00 लाख रुपये ही व्यय करने होंगे। प्रस्ताव को स्वीकार करके उत्तर-प्रदेश शासन से इस हेतु रु० 95.00 लाख का ऋण प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण की स्वीकृत अपेक्षित है ।

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाले किराये पर दी गई सम्पत्ति {आवासीय} भवनों को छोड़कर { } के विक्रय की नीति को निर्धारित करना ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले 2,479 भवनों के अतिरिक्त निम्नांकित दुकाने किराये पर दी गयी हैं:-

क्रम संख्या	व्यवसायिक केन्द्र का नाम	दुकानों की संख्या	अनुमानित वार्षिक किराया	अब तक का पूरा बकाया
1.	नक़्शात मार्केट	213	रु० 2,26,500/=	रु० 2,20,225.58
2.	आई०टी० कॉलेज	45	" 30,300/=	" 17,728/=
3.	आउट्रम रोड	34	" 6,060/=	" 9,850/=
4.	लाल कुआं	17	" 1,484/=	" 1,100/=
5.	दारूल शाफा चौक	34	" 3,689.80	" 7,460/=
6.	मकबरा गेट	6	" 2,730.76	" 5,121.99
7.	हजरतगंज शाप्स	10	" 26,090.72	" 33,410.21
8.	पान्डे का तालाब	6	" 792/=	" 480/=
9.	राजेन्द्र नगर	6	" 2,376/=	" 1,578/=
10.	मैरिस मार्केट	48	" 10,368/=	" 12,480/=
11.	मवैया	9	" 4,320/=	" 6,370/=
12.	चाइना बाजार गेट	14	" 1,080/=	" 2,492/=
13.	रकाबगंज	29	" 3,045/=	" 4,940/=
14.	पेपर भिल कालोनी	55	" 35,010/=	" 1,02,427.84
	स्टोर्स	4	" 576/=	" 4,500/=
	योग -	530	3,54,422.28	4,30,163.62

यह देखा गया है कि इन दुकानों को किराये पर देने की नीति प्राधिकरण की अर्थ व्यवस्था के लिये लाभकारी नहीं है । उसका प्रमुखा कारण यह है कि एक तो यह दुकानदार नियमित रूप से किराया नहीं देते हैं और दूसरे यह कि पगड़ी के रूप में अनाधिकृत धनराशि प्राप्त करके प्राधिकरण को सूचना दिये बिना यह अनाधिकृत व्यक्ति को देकर चले जाते हैं । किराया वसूल करने तथा

इन दूकानों के आबन्टन आदि हेतु प्राधिकरण को अनावश्यक आवर्तक व्यय के रूप में वित्तीय भार वहन करना पड़ता है। अतः इन दूकानों के निस्तारण के विषय में निम्नांकित नीति अपनाई जाये :-

१क१ चूंकि प्राधिकरण के पहले बनी हुई दूकानों का किराया बहुत कम है परन्तु उनकी स्थिति आकर्षक स्थलों पर है। अतः इनकी कीमत निकालते समय वर्तमान बाजार दर पर उनकी डेपरिस्तिटेड कीमत तथा भूमि की वर्तमान कीमत निकाल कर उन्हें निस्तारित किया जाये। भूमि की कीमत व्यवसायिक दर हेतु निर्धारित दर के सिद्धान्त के आधार पर निकाली जावेगी ।

१ख१ जो दूकाने प्राधिकरण के गठन की तिथि^{से}अब तक बनाई गई हैं वे सामान्यतयः नई दूकाने हैं और इनका किराया भी बाजार दर के अनुस्य है अतः इन दूकानों का निस्तारण वास्तविक किराये का 20 गुना करके जो धनराशि प्राप्त हो उसको प्रीमियम के रूप में प्राप्त करके यह दूकाने सम्बन्धित दूकानदार को विक्रय कर दी जायें ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाले प्राधिकरण के गठन के पूर्व इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा किये गये पट्टों से सम्बन्धित भूमि के पट्टों का पुनः-नवीनीकरण करने के विषय में नीति का निर्धारण ।

x=x=x=x=x=x=xx=x=x=

टिप्पणी: शासन द्वारा दिये गये नजूल भूमि के पट्टे अथवा लखनऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा दिये गये पट्टों के सम्बन्ध में पट्टों की अवधि साधारणतया 30 वर्ष होती है और 2 नवीनीकरण 30-30 वर्ष के बाद किये जाते हैं । प्रत्येक नवीनीकरण के समय लीज रेन्ट की 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जाती है । पट्टे की अवधि 90 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् पट्टा गत भूमि का निस्तारण किस प्रकार किया जाय, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । परिकल्पित यह है कि पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् पट्टेदार सम्बन्धित भूमि को अपनी निर्मित सामग्री आदि हटाकर भूमि खाली कर दें किन्तु यह नीति कार्यान्वित नहीं हो सकती है और न ही यह सम्भव ही है । किसी व्यक्ति को ऐसे भवन से बेखाल करना भी बहुत छटित कार्य है । लखनऊ इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट से सम्बन्धित कुछ पट्टों की अवधि या तो समाप्त हो गयी है या कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है । प्रत्येक वर्ष ऐसे कुछ न कुछ पट्टों की अवधि समाप्त हो रही है ।

इस पृष्ठभूमि में जिन भूखण्डों की पट्टा अवधि समाप्त हो गयी है या समाप्त होने को है उनके विषय में निश्चित निर्णय लिया जाना जनहित में होगा जिससे कि सम्बन्धित पट्टेदार तथा प्राधिकरण शासन को स्पष्ट दिशा निर्देश मिल जाये । सभी तथ्यों तथा वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त निम्नांकित ^{प्रस्ताव} स्वीकृत हेतु प्रस्तुत है:-

यह कि भूमि की वर्तमान कीमत जिलाधिकारी द्वारा घोषित बाजार दर को आधार मानकर लगाई जाये । उचित होगा कि पुराने पट्टेदार से प्रश्नगत भूखण्ड के वर्तमान मूल्य का एक प्रतिशत धारा 11 के बराबर लीज रेन्ट निर्धारित करके पट्टे को पुनः 30 वर्ष के लिये नवीनीकृत कर दिया जाये । लीज रेन्ट की वार्षिक वसूली आर्थिक सिद्ध हो रही है व कार्यालय पर अनावश्यक भार व व्यय पड़ता है इसलिए प्रस्तावित है कि 10 वर्ष की लीज का भी अर्थात् भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत लेकर 30 वर्ष के लिए "प्रीपेड" मान लिया जाय व तीस वर्ष के बाद "रिनीवल" पुनः एक साथ 10 वर्ष का लीज रेन्ट 50 प्रतिशत बढ़ी दर से लेकर पुनः नवीनीकरण 30 वर्ष के लिए कुल 90 वर्ष की अवधि तक किया जाय ।

यदि उपरोक्त शर्त के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति से सम्बन्धित पट्टों को नवीनीकरण करने की नीति को स्वीकार किया जाये तो आगामी कार्यवाही इसी प्रकार से की जाये । उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण का निर्णय अपेक्षित है ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहन भात्ते में वृद्धोत्तरी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

X=X=X=X=X=X=X=X

लखनऊ विकास प्राधिकरण में पर्याप्त वाहनों के अभाव में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जा रही योजनाओं की देखा रेखा में तकनीकी अधिकारियों को असुविधा उठानी पड़ रही है । मुख्य कार्यालय से प्राधिकरण द्वारा कियान्वित की जा रही योजनाएँ बहुत दूर हैं जिसके देखा रेखा हेतु कुछ अधिकारी/कर्मचारी अपने निजी वाहन का प्रयोग करते हैं जिन्हे वाहन भात्ता शासकीय आदेश संख्या- 4434/11-75-18-75, लखनऊ 20 मार्च, 1976 के अनुसार दिया जा रहा है किन्तु पेट्रोल व अनुरक्षण मर्दों पर कीमत बढ़ने के कारण उक्त दरें पर्याप्त नहीं हैं । इसी कठिनाई को दूर करने के लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 16-4-80 में मद् संख्या- 348 द्वारा वाहन भात्ते की दरें पुनरीक्षित कर दी हैं जिसकी प्रतिलिपि सुलभा सन्दर्भ हेतु संलग्न है :-

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वाहन भात्ते की दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की गई हैं :-

- | | | |
|----|---|----------|
| 1- | अधिकारियों/कर्मचारियों को मोटर कार भात्ता | रु 400/- |
| 2- | स्कूटर/मोटर साइकिल भात्ता | रु 150/- |

प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थांश श्रेणी कर्मचारियों को अपनी निजी साइकिल प्रयोग करने पर स्यया 10/- प्रतिमाह दिया जाता है अतः इन्हे भी रु 20/- दिया जाना उचित होगा । तकनीकी कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन गैर तकनीकी कर्मचारियों को, प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र काफी विकसित हो जाने के कारण, प्रतिदिन प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों की यात्रा हेतु अपना निजी वाहन प्रयोग करना पड़ता है उन्हें भी वाहन भात्ता उपरोक्तानुसार दिया जाना चाहिये ।

अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को मोटर कार/जीप भात्ता रु 400/- प्रतिमाह तथा स्कूटर/मोटर साइकिल भात्ता स्यया 150/- प्रतिमाह और साइकिल भात्ता रु 20/- प्रतिमाह इस शर्त के साथ दिया जाये कि सड़क यात्रा की दूरी आदि सम्बन्धित शर्त पूर्ववत् रहेगी ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16-4-1980 में मद संख्या-348११ पर प्रस्तुत की गई टिप्पणी एवं उस पर हुए निर्णय का उद्धरण :-

-----00-----

वर्तमान
मद सं०

निरन्तर
क्रम सं०

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों के वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर विचार:-

इस समय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, विशेषाधिकारी, मुख्याधिकारी, दो अधिष्ठाता अभियन्ता, तहसीलदार, उद्यान अधिकारी तथा 9 सहायक अभियन्ताओं को मिलाकर कुल 18 अधिकारी कार्यरत हैं। प्राधिकरण के कार्यालय में इस समय केवल एक जीप तथा तीन एम्बेस्डर कारें उपलब्ध हैं। इसमें दो कारें काफी पुरानी हो चुकी हैं। स्थल निरीक्षण कार्य के लिए व जांच आदि के लिए लगभग सभी अधिकारियों को समय-समय पर मौके पर जाना पड़ता है। कार्यालय में जितनी भी धनराशि प्रतिदिन नकदी के रूप में जमा होती है वह बैंक में जमा होती है। बाहर से उच्चाधिकारीगण समय-समय पर प्राधिकरण के कार्यकलापों तथा बैठकों में भाग लेने हेतु आते रहते हैं और उन्हें नयी दिल्ली हायुण्डा तथा मेरू आदि भी राजकीय कार्यों से जाना पड़ता है। जितके लिए कारों की आवश्यकता होती है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान के अन्तर्गत काफी अनधिकृत निर्माण होने लगे हैं जिन्हें गिराने के लिए भी जीप आदि की व्यवस्था करनी होती है। प्राधिकरण में भी इस समय अभियन्त्रण अनुभाग के दो खण्ड हैं, जिनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में लगभग 1-1/2-2 .0 करोड़ रुपये का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में एक और नया सिविल खण्ड खोलने का प्रस्ताव है। इस प्रकार लगभग एक वित्तीय वर्ष में तीन-चार करोड़ रुपये के कार्य प्राधिकरण को कराने होंगे, जितका सुपरवीजन करना तभी सम्भव हो सकेगा जबकि समुचित वाहन उपलब्ध हो सकें। इसी उद्देश्य से प्राधिकरण की दिनांक 28. 12. 1979 की बैठक में वर्तमान मद संख्या-34, निरन्तर क्रम संख्या-305 पर एक एम्बेस्डर कार एक डीजल ट्रक्टर तथा एक ट्रक क्रय करने का प्रस्ताव रखा गया था जो शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

ऐसी स्थिति में समुचित वाहनों की कमी होने के कारण प्राधिकरण के कार्यों के निरीक्षण करने में अधिकारियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा निर्माण कार्यों की प्रगति पर सुप्रभाव पड़ने की पूरी-पूरी सम्भावना है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 30प्र० सरकार के शासनादेशा संख्या 42541/एस-601/1970 दि० 7 दिसम्बर, 1979 द्वारा मोटर कार व स्कूटर आदि की दरें भी पुनरीक्षित कर दी गयी हैं। शासनादेशा की प्रतिलिपि सुगम सन्दर्भ हेतु संलग्न है। इसके अनुसार मोटर कार के लिए मास में प्रथम 500किमी० तय की गई दूरी के लिए 1/-प्रतिकिलोमीटर स्कूटर आदि के लिए 0.65पैसे प्रति किमी० निर्धारित की गयी है। यदि इस शासनादेशा के आधार पर भी मान लिया जाए तो भी वर्तमान मोटरकार तथा स्कूटर भत्ता का भी ह्रगना करना उचित वर्तमान में मोटरकार भत्ता

-----कमशा:

रुपया 200/= प्रतिमाह तथा स्कूटर भत्ता रु 75/= प्रतिमाह मिलता है
चूंकि पेट्रोल के दाम बाजार में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । सम्भवतः इसी को
मध्य नजर रखते हुए शासन ने भी मोटर कार तथा स्कूटर आदि की दरें
पुनरीक्षित की हैं ।

अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों
को मोटर कार भत्ता रुपया 400/=प्रतिमाह तथा स्कूटर भत्ता तथा मोटर-
साईकिल भत्ता रुपया 150/= प्रतिमाह दिया जाय ।

अतः प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है:-

-----00-----

प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि इस मद में
लगभग रुपया 42,000/= प्रतिवर्ष से अधिक अतिरिक्त व्यय न किया जाय ।

-----00-----

विषय: बढ़ी हुई दर से लीज़रेंट लेने के सम्बन्ध में
 =====

लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो पट्टे दारों से किये जाते हैं उनमें निर्माण कार्य एक निश्चित अवधि में पूर्ण करने की अवधि तो निर्धारित रहती है परन्तु उक्त निर्धारित अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राधिकरण के पास केवल एक विकल्प होता है कि वह "लीज़ होल्ड राइट्स" को वापस प्राप्त कर ले। यह कार्यवाही भी तभी सम्भव हो सकती है जबकि लीज़ डीड निष्पादित हो जाये। जिन मामलों में लीज़ डीड निष्पादित नहीं होते हैं, उनमें कोई भी वैधानिक कार्यवाही कर पाना सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्भव नहीं हो पाती है।

2- दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने पर पता चला कि उनके द्वारा पट्टे में पडले से ही "पेनल क्लोज़" का प्राविधान रहता है।

3- प्राधिकरण के निर्णयानुसार वर्तमान समय में भूमि के प्रीमियम पर एक प्रतिशत वार्षिक की दर से पट्टे का किराया लिया जाता है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि निर्धारित अवधि में जो आवन्ती निर्माण कार्य पूर्ण करा लेते हैं उससे उपरोक्त एक प्रतिशत वार्षिक दर से पट्टे का किराया लिया जाये। परन्तु जो आवन्ती निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य नहीं करा पाते हैं, उनसे भूमि के प्रीमियम पर तीन प्रतिशत वार्षिक की दर से पट्टे का किराया लिया जाये। इस शर्त का समावेश भावनों/भूखण्डों के आवन्तन सम्बन्धी नियमों तथा लीज़ डीड के प्रास्यों में अंकित कर दिया जाये।

प्राधिकरण की स्वीकृति उपरोक्त प्रस्ताव पर अपेक्षित है।

विषय : श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी बल्दी छोड़ा की भूमि जो कानपुर मार्ग तथा नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत अर्जित की गई है, के बदले दिये जाने के सम्बन्ध में ।
x=x=x=x=x=x=x=x=x

श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी बल्दी छोड़ा, बरगेंवा ने लखानऊ कानपुर मार्ग योजना में एक भूमि का टुकड़ा योजना के नोटिफिकेशन से पहले ही क्रय कर लिया था और उसमें दो कमरों का निर्माण कर लिया था । अर्जन के समय इनकी भूमि, भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अर्जित कर ली गई है और उसका कब्जा विकास प्राधिकरण को दे दिया गया है, किन्तु 2 कमरों का कब्जा अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है ।

श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव का भावन कानपुर मार्ग योजना के 80 फुट चौड़े मार्ग के बीचो-बीच स्थित है, इसलिये इनके भावन को यथावत् छोड़ने की कोई भी सम्भावना नहीं है । इनके भावन के तीन तरफ मार्ग का निर्माण हो चुका है और इन तीनों मार्गों को जोड़ने के लिये इनके भावन का कब्जा प्राप्त कर अवशेष मार्ग का निर्माण किया जाना अनिवार्य है ।

यह विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-7-82 के प्रस्ताव संख्या-9 के अन्तर्गत रक्खा गया था जिसमें निम्न निर्णय लिया गया था :-

" विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि श्री गोकर्न प्रसाद श्रीवास्तव को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के बदले 200 वर्ग मी० भूमि इन्डे निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाये तथा उनसे रु० 30/- प्रति मी० की दर से विकास शुल्क लिया जाये । इनके वर्तमान भावन तथा भूमि का कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा । इससे किसी प्रकार का पूर्ण दृष्टान्त उत्पन्न नहीं होगा "

चूँकि सड़क के निर्माण हेतु यह भावन गिराना अनिवार्य हो गया है अतः प्रस्ताव है कि 80 फुट सड़क के किनारे प्राथमिकी के मकान के पास ही प्राथमिकी की भूमि के बराबर भूमि देकर विकास प्राधिकरण अपने फन्ड से प्राथमिकी के मकान के बराबर मकान बनवा दे . तत्पश्चात् यह स्थल खाली कराकर सड़क का निर्माण करा दिया जाये ।

प्रस्ताव पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

विषय : अलीगंज योजना में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित ।

X=X=X=X=X=X=X=X

अलीगंज योजना के सेक्टर "जे" में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु 5.74 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी ।

उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया कि लखनऊ में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाये और इस हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अलीगंज योजना के सेक्टर "जे" में 5.74 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी जाये । शासन ने तदनुसार अपने पत्र दिनांक 18-3-83 द्वारा सूचित किया कि इस भूमि की लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु 15.00 लाख शासन द्वारा विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा और लागत का अवशिष्ट 50 प्रतिशत भाग प्राधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा । तदनुसार रु 15.00 लाख 3/83 में लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो गया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि सचिव, आवास एवं नगर विकास, उ०प० शासन ने अपने पत्र दिनांक 13-11-81 द्वारा सभी विकास प्राधिकरणों को यह सूचित किया था कि किसी भी संस्था को किसी कार्य के लिये भूमि के मूल्य में रियायत न की जाये ।

उपरोक्त आख्या के परिपेक्ष्य में 50 प्रतिशत मूल्य विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति दी जाये ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

विषय: निकटतम सम्बन्धियों के पक्ष में हस्तान्तरण करने हेतु हस्तान्तरण-शुल्क न लेने के सम्बन्ध में ।

X=X=X=X=X=X=X

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-82 को निकटतम सम्बन्धियों को हस्तान्तरण शुल्क से मुक्त रखाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि 3090 आवास एवं विकास परिषद व दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई परिषदी का अध्ययन करके अध्यक्ष द्वारा इस प्रस्ताव पर जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा । दिल्ली विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को भूखण्ड हस्तान्तरित करने में हस्तान्तरण शुल्क नहीं लिया जाता है :-

- 1- माता-पिता
- 2- पुत्र, पुत्र-वधू, पुत्री तथा दामाद
- 3- पौत्र तथा पौत्री
- 4- पति-पत्नी,
- 5- सगे भाई-बहन ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में निम्न व्यक्तियों में हस्तान्तरण करने पर हस्तान्तरण शुल्क न लिया जाना उचित प्रतीत होता है :-

- 1- माता-पिता
- 2- पुत्र तथा पुत्रियों
- 3- पौत्र तथा पौत्रियों
- 4- सगे भाई तथा बहन
- 5- पति-पत्नी ।

पुनः इस आदेश को उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधित करते हुए पति-पत्नी का नाम भी इस सूची में बढ़ाने की अनुमति दे दी है । पुत्र वधू व दामाद के प्रश्न पर अभी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई नीति के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने पर प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण शुल्क न लिया जाये एवं सगे भातीये का नाम भी इस सूची में जोड़ने की अनुमति दी जाये ।

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1- माता-पिता | 2- पुत्र, पुत्र-वधू पुत्री और दामाद |
| 3- पौत्र तथा पौत्रियों | 4- पति- पत्नी |
| 5- सगे भाई तथा बहन | 6- सगे भातीये । |

प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विषय: महानगर योजना में भूखण्ड संख्या- बी-49
इ रोड के सम्बन्ध में हस्तान्तरण शुल्क
का लिया जाना ।

x=x=x=x=x=x=x=x

महानगर विस्तार योजना में भूखण्ड संख्या- बी-49, ई रोड, श्रीमती कामिनी टिक्कू पत्नी श्री पी०पी० टिक्कू के नाम आवन्तित था । श्रीमती कामिनी टिक्कू ने दिनांक 9-6-82 को इस आशय का एक सुहायदा श्री चन्द्रिका प्रसाद इत्यादि के पक्ष में किया कि वह उन्हें इस भूखण्ड का हस्तान्तरण नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करके कर दें । दिनांक 9-6-82 को महानगर विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रीमियम का 40% हस्तान्तरण शुल्क प्राधिकरण में जमा कराने के पश्चात अनुमति देने का नियम था । दिनांक 28-7-82 को प्राधिकरण की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि ऐसे सभी भूखण्डों के सम्बन्ध में जिनमें आवन्तियों ने निर्धारित समय के अन्दर भावन निर्माण नहीं किया है और काफी लम्बा उठाकर दूसरे पक्षों को बेच देते हैं, ऐसे मामलों में हस्तान्तरण शुल्क लाभांश का 75% लेकर आवन्तियों को बेचने की अनुमति दी जाये ।

इसी तारतम्य में श्रीमती कामिनी टिक्कू ने दिनांक 11-11-82 को श्री चन्द्रिका प्रसाद इत्यादि के पक्ष में रजिस्ट्री शुल्क बेनामा द्वारा हस्तान्तरित कर दिया । इनका यह कहना है कि इनसे वही हस्तान्तरण-शुल्क लिया जाये जो सुहायदा बय कि दिनांक को देय था । इस सम्बन्ध में हस्तान्तरण शुल्क "अन्डर प्रोटेस्ट" जमा कर दिया गया है ।

प्राधिकरण इस बिन्दु पर निर्णय लेने का कष्ट करें कि इनसे हस्तान्तरण शुल्क लाभांश का 75% लिया जाये या प्रीमियम का 40 % जो सुहायदा बय की दिनांक को देय था ।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण के आदेश अपेक्षित हैं ।

विषय: लखनऊ नगर में छुट्टा जानवरों के कारण होने वाली असुविधा अवरोध को दूर करने तथा दुग्ध विकास के हित में योजना का कार्यान्वयन ।

प्राधिकरण ने निम्नांकित तीन दुग्ध : विकास योजनाओं को विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की है:-

1. हरदोई रोड पर गोमती के सहारे राधा ग्राम
2. गोमती नगर योजना तथा गोमती नगर के बीच वाले क्षेत्र में गोमती ग्राम ।
3. जेल-बिजनौर रोड तथा हरदोई रोड के बीच स्थित क्षेत्र में नंदग्राम ।

इस प्रकरण में अब तक की प्रगति यह रही है कि गोमती ग्राम तथा राधा ग्राम क्षेत्र में योजना पर विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिये भूमि उपलब्ध हो गयी है । यह योजना निकट भविष्य में पंजीकरण हेतु प्रकाशित की जावेगी । योजना के अधीन प्रस्ताव यह है कि चूंकि प्रस्तावित क्षेत्र नगर के समीप स्थित हैं अतएव गवाले स्वेच्छा से अपना व्यवसाय इन स्थानों से नगर के अन्दरूनी भागों से इन स्थानों पर जाकर स्थापित करना चाहेंगे । इस हेतु व्यापक प्रचार भी पहले ही किया गया है। नगर महापालिका द्वारा उपविधायों भी प्रकाशन हेतु प्रेषित कर दी गयी हैं। इस प्रकार से दुग्ध व्यवसायों को प्रोत्साहन देने तथा नगर के अन्दरूनी भागों में बने रहने के लिये हतोत्साहित करने की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये जनसाधारण की आवश्यकताओं का बोधा पंजीकरण खुलने के कुछ समय के अन्दर ही हो जायेगा और उसी के अनुकूल विकास कार्य आगामी एक दो माह के अन्दर प्रारम्भ किये जाने की आशा है ।

बिजनौर रोड पर प्रारम्भ होने वाले नंदग्राम के विषय में स्थित यह है कि योजना को भूमि अधिग्रहण के लिये प्रकाशित करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को कुछ माह पूर्व भेजा गया है और भूमि के प्राधिकर की अदायगी हेतु अग्रिम धारणा भी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कोष में जमा कर दिया गया है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि यह विज्ञप्ति शीघ्र जारी करा दी जाय। सम्भवतः 30 प्र० आवास एवं विकास परिषद भी इस स्थल पर कोई आवास योजना बनाये जाने पर विचार कर रहे हैं । वस्तुतः यदि इस स्थल पर आवास योजना बनाई जाती है तो नगर के हुसैनगंज आदि क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाले गये जानवरों को समीप के कोई कैटिल कोलोनी नहीं उपलब्ध होपायेगी । जिसके फलस्वरूप दुग्ध विकास तथा छुट्टे जानवरों की समस्या का समाधान कठिन हो जावेगा । इस हेतु जनहित को ध्यान में रखाते हुए प्रदेश शासन से अनुरोध किया

-----कमाता:

गसरा है कि वे केटिल कालोनी हेतु यह भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता दें ।

दुग्धा विकास तथा नगर के अन्दरूनी भागों को जानवरों से मुक्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित नई केटिल कालोनियों को विकसित करने में दुग्ध ग्राम के रूप में ही इन्हें विकसित करने का उद्देश्य है । इनके अधीन जो दुग्ध व्यवसायी क. लागत पर भूखान्ड प्राप्त करके अपना शोड आदि बनाना चाहेंगे उनके लिए भी सुनियोजित ढंग से विकास करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और जो व्यवसायी बना बनाया शोड और लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अन्य सुविधाएँ प्राप्त करना चाहेंगे उनके लिये निर्माण तथा विकास कार्य किया जायगा। यह सम्बन्धित व्यवसायी पर निर्भर रहेगा कि वह किस श्रेणी के भूखान्ड हेतु पंजीकरण करावें । प्रस्तावित दुग्ध ग्रामों के अन्तर्गत गवालों को रहने जानवरों के शोड तथा घरही आदि की व्यवस्था कन्डा बनाने का स्थान एवं जानवरों के विवरण करने हेतु चरागाः आदि समस्त सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है और ऐसा विश्वास है कि इस योजना का दुग्धा व्यापारियों द्वारा स्वागत किया जायेगा ।

विषय: रेजीडेन्सी में ध्वनि एवं प्रकाश की व्यवस्था के रखा रखाव के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x

पर्यटन एवं नागरिक विमानन मन्त्रालय, भारत सरकार के द्वारा लखनऊ स्थित रेजीडेन्सी में ध्वनि एवं प्रकाश की व्यवस्था की जानी है । यह कार्य भारत सरकार के भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आर्किटो-जिकल सर्वे आफ इन्डिया की सहमति से किया जा रहा है । इस कार्य पर आने वाली लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी ।

उपरोक्त कार्य टेस्टिंग तथा कमीशनिंग के उपरान्त रखा रखाव के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप देने का प्रस्ताव है । इसके रखा-रखाव पर लगभग ₹ 1.89 लाख का वार्षिक खर्च आयेगा जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

रखा-रखाव पर अनुमानित वार्षिक व्यय

क:	विद्युत, ऊर्जा, उपभोग पर व्यय	₹ 82,125.00	₹ प्रति वर्ष
ख:	आपरेशन व्यय	₹ 36,000.00	₹ प्रति वर्ष
ग:	मरम्मत व रखा रखाव पर व्यय	₹ 71,000.00	₹
	कुल योग रुपये:	₹ 1,89,125.00	₹

उपरोक्त रखा रखाव का 1.89 लाख ₹ का व्यय लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्रोतों से वहन करने का प्रस्ताव है जिसकी औपचारिक स्वीकृति प्राधिकरण से अपेक्षित है ।

विषय: लखनऊ अरबन प्लानिंग ऐण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट
बाई-ला, 1975 के अन्तर्गत भावनों के अग्रभाग
के रंग रंगन के सम्बन्ध में ।

X=X=X=X=X=X=X=X

लखनऊ अरबन प्लानिंग तथा डेवलपमेन्ट बाई-ला, 1975 के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों के भावनों के अग्रभाग को एक रंग से रंगने के कार्य अब से लगभग 5 वर्ष पूर्व किया गया था ।

इस 5 वर्ष के अन्तराल में इन क्षेत्रों का रंग धूमिल पड़ चुका है । कुछ भावनों के प्लास्टर इत्यादि भी टूट चुके हैं ।

अतः उत्तर प्रदेश अरबन प्लानिंग तथा डेवलपमेन्ट ऐक्ट की धारा-2 के अन्तर्गत इन भावनों के अग्र भाग को पुनः मरम्मत करके पूर्व निर्धारित रंगों से ही पुनः रंगाये जाने का प्रस्ताव है । जिसकी स्वीकृति वांछनीय है ।

§ 1§ हज़रतगंज, मुख्य मार्ग

§ 2§ लालबाग, मुख्य मार्ग

§ 3§ कैसरबाग

§ 4§ बी०एन०रोड तथा कैसरबाग का चौराहा एवं स्टेशन रोड

§ 5§ अमीनाबाद तथा कानपुर रोड, स्टेशन से लेकर सिंगार नगर तक

वर्ष 1975-76 में जो रंगार्ह पुताई की गई थी उसके प्रति अधिकांश बकाया धनराशि सम्बन्धित भावन स्वामियों से वसूल की जानी थी । इस बकाये के विषय में जिलाधिकारी को वसूली प्रमाण-पत्र भेजा दिया गया है । चूंकि यह वसूली प्रमाणपत्र कुछ महीनों पूर्व ही भेजा गया है अतः अभी तक वसूली में आशातीत प्रगति नहीं हो पाई है । प्रयास किया जा रहा है कि सम्पूर्ण बकाया शीघ्रता से वसूल किया जाये ।

उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होते ही शेष धनराशि के विषय में भी वसूली प्रमाणपत्र जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिये जायेंगे ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण की स्वीकृति अङ्गेषित है ।

विषय: कानपुर रोड योजना में भूमि की दरें पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में,
 आख्या: कानपुर रोड योजना में भूमि की दरें पुनरीक्षण हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.11.82 में प्रस्तुत की गई थी। उक्त बैठक में भूमि की दर रु0125/-प्रति वर्ग मी० निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में व्यवसायिक भूमि की लागत रु0250/- प्रति वर्ग मी० निर्धारित की गई थी।

2. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्इदस एवं सर्विसेज के भूखण्डों तथा आर्थिक दृष्टि से तुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। हुडको ने सार्इदस एवं सर्विसेज के भूखण्डों तथा आर्थिक दृष्टि से तुर्बल आय वर्ग के भवनों का विक्रय मूल्य की सीमा निर्धारित की है। उक्त भूखण्ड/भवन हेतु विक्रय मूल्य की सीमा क्रमशः रु05,000/- तथा रु012,000/- है। विक्रय मूल्य की सीमा में लागत को कम करने के लिये भूमि की दर subsidised किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः भूमि की विभिन्न दरें Differential rate निर्धारित की गई हैं जिनके सम्बन्ध में संक्षेप में स्थिति निम्नवत् है :-

§1§ भूमि का प्रतिकर

अधिम० भूमि अर्जन से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त योजना में प्रतिकर 80पैसे से रु01.50 प्रति वर्ग फुट की दर तक भुगतान किया गया है। अतः रु01.40 प्रति वर्ग फुट जिस पर कि latest भुगतान किया गया है, लिया गया है। इसमें सोलाशियम, प्रशासनिक व्यय, ब्याज आदि का प्राविधान किया गया है। ब्याज की दर वही रखी गई है जिस पर गत वर्ष शासन से ऋण प्राप्त हुआ था। भूमि के मामलों में विवाद होने की दशा में ट्रिब्यूनल/हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रतिकर की अतिरिक्त धनराशि देय हो सकती है। अतः इसके लिये अतिरिक्त प्राविधान किया गया है।

§1.1§ विकास व्यय:

सु०अभि० की सूचना के अनुसार विकास व्यय रु01.80 लाख प्रति एकड़ आ रहा है। इसमें मूल्यवृद्धि हेतु 10% प्राविधान, स्पेशल टी०एण्डपी० हेतु 1%, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय हेतु 12% तथा क्रम सं०1 की भाँति ही ब्याज का प्राविधान किया गया है।

§111§ विकसित भूमि की लागत

उपरोक्त क्रम सं०§1§ व §11§ के अनुसार विकसित भूमि की लागत निकाली गई है। मुख्य नगर नियोजक की सूचना के अनुसार विक्री योग्य क्षेत्रफल 58% आता है। अतः विकसित भूमि की लागत उक्त विक्री योग्य क्षेत्रफल पर निकाली गई है जो ₹0145/- प्रति वर्ग मी० आती है। विवरण अनुलग्नक"क" में दिया हुआ है।

§11/§ प्रस्तावित दरें

उपरोक्त क्रम सं०§111§ में निकाली गई दर आधार दर है। साईट्स एवं सर्वेसिज के भूखण्डों / आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भवनो, अल्प आय वर्ग के भवनो को subsidise करने के लिये भूमि की विभिन्न दरें Differential rates § निकाले गये हैं जिनका विवरण अनुलग्नक"ख" में दिया हुआ है। प्रस्तावित दरें निम्नवत् हैं :

	<u>प्र०व०मी०§६०§</u>
क. साईट्स एवं सर्वेसिज के भूखण्ड तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भवनो हेतु	100/-
ख. अल्प आय वर्ग के भवनो हेतु	130/-
ग. मध्यम आय वर्ग/उच्च आय वर्ग के भवनो हेतु	145/-
घ. जनसुविधाओं हेतु	130/-
ड. व्यवसायिक	450/-

अन्य योजनाओं की भाँति ही किनारे के भूखण्ड की दर 5% अतिरिक्त होगी। व्यवसायिक भूमि के लिये आधार दर से तीन गुनी दर आई है। इसका कारण यह है कि गोमती नगर आवास योजना में भूमि की दरें प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.2.83 में जो अनुमोदित की गई हैं, उससे अधिक दर नहीं रखी गई है। दूसरा कारण यह है कि माह नवम्बर 1982 की बैठक में भूमि की दर ₹0125/-प्रति वर्ग मी० अनुमोदित की गई थी। अतः प्रस्तावित भूमि की दर, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के लिये 15% बढ़ाई गई है।

व्यवसायिक भूमि के लिये उपरोक्त प्रस्तावित दर न्यूनतम आरक्षित दर है क्योंकि व्यवसायिक भूमि का निस्तारण नीलाम द्वारा होता है। कुछ संस्थाएँ अपने कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासीय भवनो हेतु भूमि की माँग करती हैं। पूर्व में उनके लिये जो भूमि दी गई है वह या तो संस्थाओं के लिये अलग मार्क कर दी गई थी अथवा आवासीय भूमि दी गई है। कानपुर रोड योजना में इन संस्थाओं को भूमि देने के लिये आधार दर पर किनारे के भूखण्ड की दर निकाली

गई थी तथा उसमें 15% लाभांश जोड़कर दर जो आई थी उस पर भूमि अब तक आवंटित की गई है। इसी आधार पर अब भी कार्यालयों को उक्त प्रयोजन हेतु भूमि दिया जाना उपयुक्त होगा।

3. चूंकि गोमती नगर आवास योजना में जनता की मांग अधिक है, अतः कानपुर रोड़ योजना में भूमि की दरें उक्त योजना से अधिक प्रस्तावित नहीं की गई हैं। इसके लिये व्यवसायिक भूमि की दर आधार दर से तीन गुनी हो गई है। कानपुर रोड़ योजना में भी अलीगंज योजना के कपूरथला बाग व्यवसायिक केन्द्र की भाँति ही एक व्यवसायिक केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव है जिसमें भू-तल की भूमि नीलाम की जायेगी। चूंकि प्रस्तावित भूमि मुख्य मार्ग से लगी हुई है, अतः प्राधिकरण को अधिक दर प्राप्त होने की आशा है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा जन सुविधाओं हेतु जो भूमि की दर *subsidise* की गई है उससे प्राधिकरण को कोई आर्थिक हानि होने की संभावना नहीं है।

4. चूंकि सभी सेक्टरों में कार्य चल रहा है और किसी भी सेक्टर का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, अतः किसी एक सेक्टर का बाधा या हानि निकाला जाना संभव नहीं हो पाया है।

5. परीक्षा के तौर पर 400 एकड़ भूमि का क्षेत्रफल लेकर उपरोक्त दरों के अनुसार धानराशि निकाली गई है जिस पर 16.69 लाभांश आता है
 § अनुलग्नक "ग" §

6. प्राधिकरण कृपया उपरोक्त प्रस्तावित दरों को अनुमोदित करने का कष्ट करें।

KANPUR ROAD SCHEME

STATEMENT SHOWING COST OF ACQUISITION & DEVELOPMENT

A. <u>ACQUISITION COST:</u>	Rs. Per Sqft.
1. Compensation	1.40
2. Solatium @ 15%	<u>0.21</u> 1.61
3. Provision for compensation of crops/structures @ 1% on (1)	<u>0.01</u> 1.62
4. Interest @ 6% for one year (From date of taking possession of land to date of actual payment)	<u>0.10</u> 1.72
5. Administrative & General Charges @ 12%	<u>0.21</u> 1.93
6. Interest @ 10.25% (for one year)	<u>0.20</u> 2.13
7. Provision for additional compensation @ 10% of sl. (1) for case in Tribunal and High court.	<u>0.14</u> <u>2.27</u>
Saleable area	58%
Rate per sft. $\frac{2.27 \times 100}{58}$	
	Rs. 3.91 per Sft.

B. <u>DEVELOPMENT COST</u>	
1. Cost of development (Rs. 1.80 lacs per acre)	4.13
2. Escalation @ 10%	<u>0.41</u> 4.54
3. Special T&P @ 1%	<u>0.05</u> 4.59
4. Administrative & General Charges @ 12%	<u>0.55</u> 5.14
5. Interest @ 10.25% (for six months)	<u>0.26</u> <u>5.40</u>
Rate per Sft. $\frac{5.40 \times 100}{58}$	= Rs. 9.31 per Sft.

Cost of Developed land

(i) Cost of Acquisition	3.91	
(ii) Cost of development	<u>9.31</u>	
	13 .22	
(iii) Maintenance Charges @ 12% per sft.	<u>0.29</u>	or
	13 .48	
Rs.	145 .00	per Sqm

Statement Showing differential rates

<u>Sl</u> <u>No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Rate per Sq. mt.</u>
1.	<u>Houses/Plots:</u>	
	(i) E.W.S./Sites & Services	100.00
	(ii) L.I.G.	130.00
	(iii) M.I.G./H.I.G.	145.00
2.	Public Facilities/ Convenience	130.00
3.	Commercial	450.00

KANPUR ROAD SCHEME
STATEMENT SHOWING SALEABLE AREA

Total area (actual) - 400 acres or 1618744.00 Smt
Saleable area = 58% 232 acres or 938871.52 Smt.

Distribution of saleable area:

(i) Houses/plot 185.60 acres(80% or 751097.21 Smt.)
(ii) Public facilities/Public conveniences 23.20 acres(10%)or 93887.15 Smt.
(iii)Commercial 23.20 acres(10%)or 93887.15 Smt.

Distribution of area under houses/plots

(1) E.W.S. 18.56 acres(10%)or 75109.72 Smt.(75%)
(ii)L.I.G. 18.56 acres(10%)or 75109.72 Smt.
(iii)M.I.G./H.I.G. 600877.77(80%) or 148.48 acres.

STATEMENT SHOWING PROFITABILITY

Sl. No.	Particulars	Area in acres	Area in Smt.	Rate per Smt.	Amount in lacs
<u>1. Houses/Plots:</u>					
(i)	E.W.S./Sites & Services	18.56	75109.72	100.00	75.11
(ii)	L.I.G.	18.56	75109.72	130.00	97.64
(iii)	M.I.G./H.I.G.	148.48	600877.77	145.00	871.27
2.	Public Facilities/Convenience	23.20	93887.15	130.00	122.05
3.	Commercial	23.20	93887.15	450.00	422.49
					<u>1588.56</u>

CALCULATION OF PROFIT

(a) Sale price 1588.56
(b) Less:Cost 1361.36
(c) Profit(a - b) 227.20
(d) percentage of profit $\frac{227.20 \times 100}{1361.36} = 16.69\%$

विषय संख्या: 18

पृष्ठ संख्या: 35

उपाध्यक्ष को अधिकार प्रतिनिहित किए जाने के सम्बन्ध में
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष
विचारार्थ आख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 25.7.1975 द्वारा उपाध्यक्ष महोदय को ऐसे पदों पर जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन ₹0 1200/- है के पदों पर नियुक्ति का अधिकार प्रतिनिहित किया गया था तथा विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से इन पदों को जिन पर वह नियुक्ति करने के लिए सक्षम हैं सृजित किये जाने का अधिकार भी इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये गये थे कि ऐसे पदों के सृजन की स्वीकृत प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्राप्त की जायेगी, तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि ₹0 2000/- से ऊपर के पदों के सृजन तथा उन पर नियुक्ति का अधिकार शासन को होगा।

चूंकि अब नये वेतन मान लागू हो गये हैं और न्यूनतम एवं अधिकतम वेतन मानों में काफी अन्तर हो गया है इसलिये उचित होगा कि शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले पदों का अधिकतम वेतनमान ₹0 2500/- तक किया जाये तथा ₹0 2499/- तक के समस्त पदों के सृजन का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहे। इन समस्त पदों पर नियुक्ति का अधिकार उपाध्यक्ष को प्रतिनिधानित करने तथा विशेष परिस्थितियों में पूर्व की भांति अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यक पदों का सृजन अधिकार उपाध्यक्ष को दिये जाने की प्रक्रिया पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है।

विषय: श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता, अस्थाई विद्वतीय श्रेणी लिपिक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी शाल्य चिकित्सा हेतु ₹ 25000/- के अग्रिम दिये जाने के मांग के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता अस्थाई रूप से विद्वतीय श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत हैं । यह हृदय रोग से पीड़ित हैं और आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल-साइन्स, नई दिल्ली में इनकी चिकित्सा होनी है जिसके लिये इन्होंने ₹ 25,000/- का अग्रिम दिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है । चूंकि यह एक अस्थाई कर्मचारी हैं इसलिये इन्हें इतनी अधिक धनराशि का अग्रिम नहीं दिया जा सकता है किन्तु चूंकि इनके जीवन-मरण का प्रश्न है, अतः इनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने तथा विकास प्राधिकरण को सम्भावित हानि से बचने के लिये निम्न शर्तों पर विचारोपरान्त प्राधिकरण प्रशासनिक आधार पर अपना निर्णय प्रदान करने की कृपा करें:-

- क: इनसे दो स्थायी कर्मचारियों का सेक्योरिटी बॉन्ड भरा लिया जाये ।
- ख- इनसे कम से कम पाँच वर्षों तक प्राधिकरण की सेवा में रहने का बॉन्ड भरा लिया जाये ।

अलीगंज योजना में उपलब्ध स्कूल प्लॉट्स की बाबत आख्या
=====

अलीगंज आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों में 10 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 7, 60, 165 वर्ग फुट है, उपलब्ध है। अभी तक किसी भी स्कूल को इन भूखण्डों का आबंटन नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित समस्याएं सामने आई हैं:-

1. यह कि स्कूलों का जो प्लॉट निर्धारित किया गया है उसमें कुछ समय पूर्व 50 प्रतिशत मूल्य की छूट दी जाती थी परन्तु अब निर्धारित मूल्य का शत-प्रतिशत प्राप्त करके ही स्कूलों को प्लॉट दिये जाने की नीति आपनाई जा रही है। सम्भवतः प्राधिकरण तथा शासन स्तर पर भी इस प्रकरण पर विचार हुआ है और विधिवत विचार करने के उपरान्त ही शत-प्रतिशत मूल्य लिया जाना है। इस नीति के अनुसरण के कारण यह कीठनाई सामने आई है कि स्कूल प्लॉट इतना अधिक महंगा हो जाता है कि लाखाओं रु पये व्यय किये बिना कोई व्यक्ति प्राइमरी स्कूल भी उस क्षेत्र में नहीं बना सकता जिसके कारण स्कूलों के प्लॉट प्राप्त करने हेतु अच्छी संस्थाएँ सामने नहीं आ रही हैं और प्लॉटों में अनधिकृत कब्जे होने का भय है। कई प्लॉटों में तो देखा गया है कि छुगियां लग गई हैं और घोसी लोग भैंसों आदि बांधकर उनका प्रयोग कर रहे हैं।

2. अलीगंज आवास योजना के अधीन जो ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई थी उसमें परिकल्पित यह था कि या तो व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा और या जहां भी सम्भव हुआ इस स्थल को खुला छोड़ते हुए इसका सदुपयोगन किया जावेगा जिससे ग्रीनबेल्ट के उद्देश्य की भी पूर्ति हो और इस स्थल का अधिक से अधिक सदुपयोग हो। ऐसा देखा गया है कि ग्रीन बेल्ट का भी पूरा-पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

इस परिपेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि स्कूल प्लॉट्स के भूखण्डों की आबंटन प्रणाली में कुछ संशोधन किया जाय। इस हेतु निम्न प्रस्ताव प्राथि0 के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है:-

1. कुछ भूमि ग्रीन बेल्ट के सहारे अब भी निस्तारण हेतु उपलब्ध है। इस भूमि में से स्कूल के भूखण्ड का 25 प्रतिशत क्षेत्रफल प्राप्त करके शेष 75 प्रतिशत क्षेत्रफल ग्रीनबेल्ट में उसी सहारे मिलाते हुए कुछ स्कूलों के प्लॉट बना लिये जायें।

2. स्कूलों को जो प्लॉट दिये जायें उनसे 25 प्रतिशत भूखण्ड का तो निर्धारित मूल्य पर कीमत प्राप्त किया जाये और शेष 75 प्रतिशत क्षेत्र जो ग्रीन बेल्ट में है वह स्कूल की प्ले-ग्राउन्ड के लिए उनको उपलब्ध कराया जा सकता है

-----कर्मशतः

और इस बात की शर्त रहेगी कि इस प्ले-ग्राउन्ड में वे कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे ।

3. इस प्रकार से स्कूलों को आवंटित किये जाने वाले प्लॉट के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल पर उनको निर्माण की स्वीकृत देते हुए तथा शेष सार्वजनिक भूमि का उपयोग करने हेतु उनको गार्डेन लीज निर्धारित किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सहित कुछ स्कूलों के आकर्षक प्लॉट बनाये जा सकते हैं ।

4. जो भूखण्ड ग्रीन बेल्ट के सहारे स्थित नहीं है उनका भी निस्तारण उपरोक्त नीति द्वारा कर दिया जाय अर्थात् कुल उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत वर्तमान मूल्य लेकर भूखण्ड स्कूलों को आवंटित कर दिये जायें और 75 प्रतिशत भूमि उन्हें गार्डेन लीज पर इस शर्त के साथ दी जाय कि उस पर वह कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे और इसका उपयोग केवल प्ले ग्राउन्ड के रूप में ही किया जायेगा ।

प्राधिकरण उपरोक्त सम्बन्ध में निर्णय लेने का कष्ट करें ।

विषय: गोमती नगर योजना में विकास तथा निर्माणा सम्बन्धी प्रगति

गोमती नगर क्षेत्र का विकास तीव्र गति से चल रहा है सार्वजनिक निर्माणा विभाग द्वारा रिंग रोड पर निर्माणा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है। कुकरैल नदी पर भी पुल लगभग तैयार हो गया है। और जैसा कि पहले योजना की गयी है कि जून माह के अन्त तक फैजाबाद रोड से गोमती बैराज तक रिंग रोड की सुविधा जन-सामान्य को मिल जाने की आशा है।

लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मूलतः विवेक छाण्ड, विश्वास छाण्ड तथा विजय छाण्ड में निर्माणा तथा विकास कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त हडको से स्वीकृत योजनाओं हेतु किराया क्रय पद्धति पर धार्मिक दृष्टि से कमजोर तथा कम आय वर्गों के व्यक्तियों हेतु बड़ी संख्या में आवास बनाये जाने के उद्देश्य से विश्वास छाण्ड में व्यापक विकास तथा निर्माणा कार्य प्रारम्भ हो गया है। यह विकास तथा निर्माणा कार्य सुनियोजित कार्य-क्रम के अनुसार चल रहा है। दिनांक 31. 1. 84 तक लगभग 7, 000 भूखण्डों तथा भवनों को पूर्ण रूप से विकसित करने का लक्ष्य बनाया गया है। इन भूखण्डों के विषय में सड़क जल निकासी का प्रबन्ध सीवरेज, वृक्षारोपणा, विद्युत व्यवस्था तथा स्ट्रीट लाइट जल वितरण व्यवस्था तथा अन्य सम्बन्धित निर्माणा तथा विकास कार्य पूरा हो जायेगा और उक्त तिथि के उपरान्त कार्य में और अधिक तेजी आना सम्भव हो सकेगा क्योंकि नये विकास क्षेत्रों के लिये यह सुविधाएँ प्रथम चरण में विकास के उपरान्त और आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

गोमती नगर योजना में लगभग 20, 000 व्यक्तियों ने भूखण्ड तथा भवनों हेतु पंजीकरण कराया है। इनमें से पूर्ण भुगतान के आधार पर प्लॉट क्रय करने के उद्देश्य से 662 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था। इन सभी व्यक्तियों को प्लॉट आवंटित कर दिये गये हैं। 15. 6. 1983 प्लॉटों का कब्जा देने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी एवम प्लॉटों में भूमि का विकास तथा सोलिंग की हुई सड़क ले-आउट प्लान के अनुरूप उपलब्ध करा कर आवंटियों को कब्जा दिया जाना था जिससे वे भी अपना निर्माणा कार्य प्रारम्भ कर दें और 31. 1. 1984 तक जबकि उनके द्वारा भी निर्माणा कार्य पूरा किया जायगा उन्हें तमस्त सुविधाएँ स्थल पर उपलब्ध करा दी जायेंगी और इस प्रकार विकास तथा निर्माणा कार्य में तेजी आयेगी। विवेक छाण्ड में जहां कि अधिकांश प्लॉट आवंटित किये गये हैं इन आवंटियों को प्लॉटों का कब्जा दिया जा रहा है परन्तु विजय तथा विश्वास छाण्ड में जहां कि कुछ विवाद उत्पन्न होयेंगे के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई थी सम्भवतः निर्धारित कार्य-क्रम से लगभग एक माह पीछे अर्थात् जुलाई के मध्य तक आवंटित भूखण्डों का कब्जा देना सम्भव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 442 भवनों का आवंटन स्वतः वित्त पोषित योजना के अधीन किया गया था। इन सभी भवनों का निर्माणा कार्य प्रगति पर है और फरवरी 1984 में इनको पूरा करके इनका कब्जा सम्बन्धित आबन्दी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

गोमती नगर योजना में सड़कों का निर्माण आधुनिकतम तकनीकियों से किये जाने का प्रस्ताव है। इसी हेतु रोड पेवर फिनिशर यूनिट की व्यवस्था की गयी है। इस यूनिट के अन्तर्गत डार्टमिक्स प्लान्ट, ट्रिपर ट्रक्स पेवर फिनिशर रोड रोलर, कांक्रिट लोडर आदि यन्त्रों की व्यवस्था भी करलीगयी है और ऐसी सम्भावना है कि यह यूनिट आगामी एक माह के अन्दर ही कार्य करे लगेगी। हालांकि यह व्यवस्था गोमतीनगर योजना के अधीन सड़कों को आधुनिकतम ढंग से मजबूत तथा अधिक जनोपयोगी बनाये जाने के लिये की गयी है, परन्तु इससे नगर के अन्य सड़कों का भी विकास सम्भव हो सकेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा नगर महापालिका की सड़कों का भी निर्माण इन प्रस्तावित रोड पेवर फिनिशर यूनिट से किया जाना आसान हो जायेगा। रोड पेवर फिनिशर यूनिट रात की ही जबकि ट्राफिक की समस्या नहीं रहती है लम्बी सड़क बनाई जा सकती है। सड़क को बनाये जाने में जो साभग्री तथा जो तकनीक लगाई जाती है वह उच्चतम गुण विशिष्टियों से युक्त होती है। यह रोड पेवर फिनिशर यूनिट रिंग रोड के सहारे गोमती नगर योजना में स्थापित की है जिससे कि गोमती नगर योजना में कार्य करने के अतिरिक्त नगर के अन्य क्षेत्रों में भी इसकी सेवा उपलब्ध हो सके।

गोमती नगर योजना के निर्माण तथा विकास कार्य पर नियन्त्रण रखाने हेतु समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। और इस हेतु बार-डाइग्राम एवं पर्ट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है जो कि तथा कक्ष में अवलोकन हेतु प्रस्तुत भी कर दिया गया है।

योजना के प्रथम चरण में लगभग 1650 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने की विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी। इसमें से लगभग 650 एकड़ भूमि नगर महापालिका से क्रय करके कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष लगभग 1,000 एकड़ भूमि में से लगभग 850 एकड़ भूमि का कब्जा लढानऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त होचुका है। शेष भूमि का कब्जा भी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस प्रकरण पर उच्च न्यायालय में 12 रिट पिटकान्त दाघर किये गये हैं और न्यायालय के समक्ष विपाराधीन हैं। प्राधिकरण द्वारा सक्रिय पैरवी किये जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने अभी तक इन रिटों को न तो रद्दकृत किया है और नही भूमि अध्यापन के प्रकरण पर कोई स्थगन आदेशा ही जारी किया है। जिसके फलस्वरूप योजना घोषित होने के ब बाद अल्पावधि में भूमि का कब्जा प्राप्त करने में सफलता मिली है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने इस प्रकरण पर तीव्रगति से कार्यवाही की है। किसानों को प्रतिकर दिये जाने के लिये तसुचित धनराशि जिलाधिकारी के नियन्त्रण में उपलब्ध करा दी गयी है।

कुछ निहित स्वार्थों के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस बात का प्रचार कराना प्रारम्भ कर दिया कि गोमती नगर योजना में जल का स्तर भूमि की सतह के 5-6 फिट के अन्दर ही होने के कारण यह भूमि विकास तथा निर्माण कार्य के लिये अनुपयुक्त है। वस्तुतः गोमती नगर योजना जिस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है वह बाढ़ प्रभावित नहीं है। लगभग 1650 एकड़ क्षेत्र में हो सकता है कि 10-15 एकड़ क्षेत्र ऐसा हो जो कि उच्चतम बाढ़ की सतह से ऊंचा नहीं है परन्तु इस क्षेत्र को भी उस सेक्टर रोड के निर्माण तथा जल निकासी की सम्बन्धित व्यवस्था करके एवं ऊंची कुर्सी पर मकान बनाने एवं भूमि को विकसित आदि की प्रक्रिया से गोमती में आर्डे अब तक उच्चतम बाढ़ सतह से भी ऊपर स्तर पर निर्माण किया जा रहा है। यहां जल स्तर 15 फिट से 25 फिट है जबकि निशातगंज महानगर आदि क्षेत्रों में 7 से 10 फिट के अन्दर ही जल स्तर उपलब्ध है और यहां पर निर्माण और विकास कार्य बहुत पहले कर दिया गया है। इस प्रकार के पीछे एक कारण यह भी था कि गोमती नदी तथा प्रथम सेक्टर रोड के बीच में जो लगभग 250 एकड़ निचला क्षेत्र आता है उसमें से होकर कुकरेल नदी जाती है और यह क्षेत्र गोमती के बाढ़ जल कुकरेल नदी से बैक-फ्लो होने के कारण डूब जाता है। इस क्षेत्र पर इस योजना के अधीन कोई निर्माण एवं विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। यहां पर भूमिगत जल का स्तर भी ऊंचा है और सम्भवतः यह स्तर निशात गंज, बाधशाहनगर, गोखाले मार्ग, बजीर हसन रोड आदि के समकक्ष है। हालांकि इन क्षेत्रों में निर्माण तथा विकास कार्य हो सकता है परन्तु प्रस्ताव यह है कि इस क्षेत्र को खाला और हरा-भरा रखा जायेगा जिससे कि दो बड़ी नागरिक बस्तियों के मध्य यह क्षेत्र बड़े ग्रीन बेल्ट तथा लंग्स का कार्य करें।

गोमती पार तथा कुकरेल पार क्षेत्र नगर महायोजना प्राधिकरण की स्वीकृत के उपरान्त शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दी गयी हैं। शासन द्वारा इस विषय में कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गयी थी। इसको भी प्रेषित किया जा रहा है।

विषय संख्या: 22

पृष्ठ संख्या: 43

विषय: शासन के पत्र संख्या: 2158/27.2.224.डीर/80
दिनांक 21 जनवरी, 1983 द्वारा विकास -
प्राधिकरण समुन्नति प्रभार के सदाय का
समय और रीति उपविधि 1982 की आदेश
उपविधि प्राधिकरण द्वारा संकल्प पारित
करके अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव


x=x=x=x=x=x=x

शासन के पत्र संख्या: 2158/27.2.224 डीर/80, दिनांक
21 जनवरी, 1983 द्वारा विकास प्राधिकरण समुन्नति प्रभार के
सदाय का समय और रीति उपविधि 1982 की आदेश उपविधि
प्राधिकरण द्वारा संकल्प पारित करके अंगीकृत किये जाने हेतु
सन्दर्भित की गई है। प्रस्तावित उपविधि की एक प्रतिलिपि
इस पत्र के साथ संलग्न है। इस विनियमावली में समुन्नति प्रभार
§बेटरमेन्ट चार्जेज़ § के निर्धारित करने तथा उसके वसूली की
प्रक्रिया निर्धारित की गई है और इस हेतु विभिन्न प्राश्न भी
निर्धारित किये गये हैं। प्रस्तावित प्रक्रिया को स्वीकार करके
लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में लागू करने हेतु प्राधिकरण
की स्वीकृति अपेक्षित है।

दिनांक 15/8 । क्र. 2, 228, 101/100

प्रति

श्री बालकृष्ण कृष्ण वर्मा
सिद्धांत शास्त्री, उ. र. प्रौढ शासन
बाबासाहेब आश्रम, 2 ।



सेवा में

सकल विकास प्राधिकरणी के उपाध्यक्ष
उ. र. प्रौढ ।

सकल विकास दिनांक 22 अक्टूबर 1982 ।

विषय: विकास प्राधिकरण स्युन्वयिता कुमार के केंद्र का समय और
शेड्यूल के बावर्ती उपविधि ।

महोदय

शुभे प्राप्ती के लिए धन्यवाद करने का निर्देश प्राप्त है कि
उ. र. प्रौढ मंत्रालय की ओर विकास प्राधिकरण 1982 के धारा
20 के अन्तर्गत प्रथम क्रम में स्युन्वयिता कुमार द्वारा विकास प्राधिकरणों में
स्युन्वयिता कुमार के केंद्र का समय और शेड्यूल के बावर्ती उपविधि
के बारे में प्रश्न है तथा इसके विचार में कि प्रश्न का उत्तर देना ही
प्राप्त है किन्तु यह ध्यान देना कि प्राथमिक रूप से विकास प्राधिकरणों
की अपनी प्राधिकरण में लागू होने वाले विकास प्राधिकरण का भीषण
प्रस्ताव शासन के सुयोग्य विचारों के अन्तर्गत ही प्राथमिक रूप से
प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत होने वाले उपविधि प्रस्ताव प्राधिकरणों को
बतलाने में प्रभावित करा देने जाय ।

आपका
साथ

श्री बालकृष्ण कृष्ण वर्मा
सिद्धांत शास्त्री

उपाध्यक्ष कादीशिव
संस्था
दिनांक 18/3

Index

साक्षि

(ए० पी० सिंह)
आई० ए० एस्
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
सकल 17/2/83

CA

श्री. रमकेश चंदी सावुतार



(प्र. नं. 100/100)
सकल विकास प्राधिकरण

51
24/2

उत्तर प्रदेश सरकार
 आवास अनुभाग-2
 सं० /37-2-1983
 लखनऊ दिनांक जनवरी 1983

46

अध्या-सूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम 30 तन 1974 द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम अधिनियम 1974 30 तन 1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित 30 तन 1974 द्वारा परिष्कारों सहित अधिनियम संख्या-11 तन 1973 की धारा 57 के अन्तर्गत अधिनियम का प्रयोग करके विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्वमोदन से निम्न-लिखित उपविधायों बनता है :-

विकास प्राधिकरण समुन्नति प्रभार के संघर्ष संदाय का समय और रीति उपविधि 1982

सूचित नाम और प्रारम्भ

1- §18 इन उपविधायों को विकास प्राधिकरण समुन्नति प्रभार के संदाय का समय और रीति उपविधि 1982 कहा जाएगा।

§2 यह मजद में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी और

§3 यह विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होगी।

परिभाषाएँ

2- इन उपविधायों में जब तक कि अन्यथा निर्धारित न हो समुन्नति प्रभार का तात्पर्य अधिनियम की धारा 36 के अधीन अधिनियमित समुन्नति प्रभार की धारा 36 से होगा।

मौग की नोटिस

3- जब समुन्नति प्रभार की धारा 36 अधिनियम की धारा-36 की उप धारा §2 के अधीन उपस्थित द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित कर दी गई हो या अधिनियम की धारा 36 की उपधारा §4 के अधीन अधिनियम द्वारा अंतिम रूप से अधिनियमित कर दी गई हो तब विकास प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रपत्र §3 में नोटिस द्वारा निर्धारित से इस प्रकार निर्धारित या अधिनियमित समुन्नति प्रभार का उ दिनांक किन्हीं में भुगतान करने की अपेक्षा करेगा। प्रथम किन्त से दिनांक के जब नोटिस जारी की जाए हो मात्र के भीतर देय होगी।

परन्तु निर्धारित समुन्नति प्रभार की या तत्समवेत अतिशय ही कुल धनराशि का भुगतान किसी भी समय कर सकता है और ऐसे मामले में उसे वह प्रतिमान की छूट दी जाएगी।

वकाय का प्रमाणपत्र

4- §18 धारा 36 के बकायों की शर्तों समुन्नति प्रभार के वकाय की वसूली की दशा में, विकास प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी समवेत जिले के कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र जिसमें जिले में निर्धारित द्वारा देय धनराशि निम्नलिखित की जाएगी।

§2 उपर निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रपत्र (अ) में प्रभार कि जायेगा जिस पर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उसकी मोहर होगी।

वकाय की वसूली

5- उप विधि सं० 4 के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसे इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्रमाण पत्र में निम्नलिखित धनराशि को भू राजस्व के वकाय की शर्तों वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

धानराशि का प्रेषण 6- कलक्टर द्वारा उपविधा सं०-5 में यथा निश्चित, कुल की गई धानराशि विकास प्राधिकरण को यथा संभाव्यता के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी रीति से विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरोध की जाये, भोजी जायगी।

पशुधन का अभिगृहण

7- यदि मुराजरूप के प्रकार की भाँति समुन्नति प्रभार के प्रकार के देवों की कुली में कलक्टर द्वारा कोई पशुधन अभिगृहीत किया जाए तो उसे निकटतम काजी हाउस में रखा जायेगा और पशुधन के डिलाने के लिए किया गया व्यय अन्य व्यय के अतिरिक्त होगा और उसे समुन्नति प्रभार के प्रकार के साथ साथ निर्धारित रीति से कुल किया जायेगा।

आज्ञा से

॥ रवीन्द्र शंकर माधुर ॥
सचिव

प्रपत्रक

उप विधि संख्या- : 3

विकास प्राधिकरण
संख्या- दिनांक. 198.

नोटिस

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-38 के अधीन

सेवा में:-

- श्री.
पुत्र.
निवासी.

आपको सूचना दी जाती है कि धरति में वर्णित आपकी भूमि/ भावन/दुकान/भू-गृहादि पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अधीन समुन्नति प्रभार लगाया गया है और आपकी अपर उल्लिखित सम्पत्ति पर समुन्नति प्रभार के रूप में रु की धारराशि उदगृहीत की गई है।

अतएव आपसे उपर्युक्त विकास प्राधिकरण के कार्यालय में रुपये की उपर्युक्त कुल धारराशि का निम्नलिखित 8: समान दिनांक तिथियों में, जो इस नोटिस के जारी होने के दिनांक के दो मास से प्रारम्भ शुरू होगी, भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है :-

Table with 3 columns: धारराशि, देय दिनांक, अंश. Rows include पहली किश्त, दूसरी किश्त, तीसरी किश्त, चौथी किश्त, पाँचवी किश्त, छठी किश्त, and कुल धारराशि.

प्रारम्भ से ही समुन्नति प्रभार की कुल धनराशि का भुगतान करने पर या भुगतान के समय देय अतिशेष पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

किसी स्थिति का भुगतान न करने पर, समुन्नति प्रभार की कुल धनराशि तुरंत देय होगी और उसे भूराजस्व के तकाए की भाँति समूत किया जायेगा।

आज दिनांक 198 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर

पदनाम

मुहर

प्रपत्र ४८

उप विधि संख्या-4

विकास प्राधिकरण

संख्या-
मेवा में

दिनांक- 198

कलक्टर

प्रमाण पत्र

उपविधि सं० 4 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 38 के उपधारा 2 के अधीन प्रमाणित किया जाता है कि समुन्नति प्रभार के माफ़े नीचे क्रम सं० 2 में

विनिर्दिष्ट समय की धारणा नीचे क्रम सं० 1 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा देय है। उपरोक्त व्यक्ति साधारणतया जिले में निवास करते हैं और वे निजी जंगम/स्थावर सम्पत्ति के स्वामी हैं।

अतएव आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से उक्त धारणा वसूली पर हुए व्यय सहित भूराजस्व के वकाय की भाँति वसूल करें और समुन्नति प्रभार संबंधी देय विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुरोध की गई रीति में आगे उल्लिखित रीति से यथा संभव वसूली के दिनांक से एक महीने के भीतर भुगतान करें।

दावा का चोरा

- 1- ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को /के जिनके /जिनके विरुद्ध समुन्नति प्रभार के माफ़े वसूली की जानी हो, नाम, पिता का नाम और स्थाई पता.
- 2- क्रम सं० 1 में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूल की जाने वाली समुन्नति प्रभार की धारणा.
- 3- वह दिनांक जब उक्त धारणा देय हुई

हस्ताक्षर
मुहर

आज्ञा के
सचिव

49

UTTAR PRADESH SHASAN
ANAS ANUBHAG - 2
No. 9564/XXXVII-2-224D.A./80
Dated Lucknow, 1982.

NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause (c) of section 57 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974), theDevelopment Authority, after previous approval of the State Government makes the following Bye-laws.

TheDevelopment Authority
(the Time and Manner of Payment of
Betterment Charge) Byelaws, 1982.

Short title
and
commencement

1. (1) These Byelaws may be called theDevelopment Authority (the Time and Manner of Payment of Betterment Charge) Byelaws, 1982;
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette; and
- (3) They shall apply to the areas falling under theDevelopment Authority.

Definitions

2. In these Byelaws, unless the context otherwise requires: "Betterment Charge" shall mean the amount of 'Betterment Charge' determined under section 36 of the Act.

57
50

Notice
of
demand

3. When the amount of betterment charge has been finally assessed by the Vice-Chairman under sub-section (2) of section 36 of the Act, or has been finally determined by the Chairman under sub-section (4) of section 36 of the Act, the Development Authority or an officer authorised in this behalf, shall by notice in Form 'A' require the assessee to pay the betterment charge so assessed or determined in six bi-monthly instalments. The first instalment shall be payable within two months of the date on which the notice is issued.

Provided that the assessee may at any time pay the entire amount of the betterment charge or of the balance then due and in such cases he may be allowed a rebate of ten per cent.

Certificate
of arrears

4. (1) In the event of recovery of the arrears of the betterment charge, as a percentage of land revenue, the Development Authority or an officer authorised in this behalf, shall forward a certificate to the Collector of the district concerned specifying the amount due from the assessee.

(2) Every certificate referred to above shall be prepared in Form 'B' under signature of the officer authorised in this behalf by the Development Authority and under its seal and shall be sent to the Collector of the district concerned.

Recovery
of arrears

5. On receipt of the certificate in accordance with byelaw no. 4 the Collector shall cause the same to be entered in a register maintained for the purpose and shall proceed to recover the amount specified in the certificate as arrears of land revenue.

Remittance
of amount

6. The amount realised, as referred to in byelaw no. 5 by the Collector, shall be sent to the Development Authority as soon as possible within one month from the date of recovery in the manner as may be requested by the Development Authority.

Seizure
of
Livestock

51

7. In case any live-stock is seized by the Collector, in the recovery of dues of arrears of betterment charge as arrears of land revenue, they shall be admitted to the nearest cattle-pound and the expenses incurred for feeding the live-stock, shall be in addition to other expenses and shall be recovered from the assessee alongwith the arrears of betterment charge.

52

Form 'A'
(Bye-law no. 3)

.....Development Authority

No. _____ Date _____ 198..

NOTICE
(under section 38 of the Uttar Pradesh
Urban Planning and Development Act, 1973)

To: Sri.....
son of Sri.....
residing at that

Take notice your land/building/shop/
premises detailed in the margin, has been
subjected to the betterment charge under
section 35 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development
Act, 1973 and a sum of Rs.....has been levied as Betterment
charge on your aforementioned property.

You are, therefore, required to pay the aforesaid entire
amount of Rs.....in the office of the aforesaid Development
Authority in the following six equal bi-monthly instalments,
beginning from two months of the date of issue of this notice.

	Amount	Due date	Remarks
1st. instalment			
2nd. instalment			
3rd. instalment			
4th. instalment			
5th. instalment			
6th. instalment			
Total amount	_____		

A rebate of 10 per cent shall be given on payment of the
entire amount of the betterment charge at once in the beginning or
on the balance due at the time of payment.

On failure of payment of any instalment, the whole amount of
the betterment charge shall become payable at once and shall be
recovered as arrears of land revenue.

Issued under my signature and seal on thisday of....198..

Signature
with seal and
designation.

FORM 'B'
(Bye-law no.4)

..... DEVELOPMENT AUTHORITY
.....

No.

Date

198...

To:-

The Collector
.....

CERTIFICATE

(under sub-section (2) of section 38 of the Uttar Pradesh
Urban Planning and Development Act, 1973 read with bye-law no.4)

.....

Certified that the sum of Rs..... specified at serial no.2
below is due from the person/persons specified at serial no.1 below
on account of betterment charge. The aforesaid persons ordinarily
reside and own immovable properties in the district.

You are, therefore, requested to recover from the aforesaid
persons the said amount (alongwith expenses on recovery), as arrears
of land revenue and to remit the dues regarding the betterment charge
as soon as possible within one month from the date of recovery in the
manner already requested by the Development Authority/in the manner
mentioned hereinafter:

Details of the Claim

1. Name, percentage and permanent address of person or persons
against whom the recovery on account of betterment charge
is due to be made.
2. Amount of the betterment charge to be recovered from each
of the person/persons mentioned at serial no.1
3. Date when the said amount is due.

Date:

Signature
with Seal.

६०
५५

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास अभाग-2
संख्या-224/37-2-1983
लखनऊ दिनांक 2 जनवरी 1983

अध्या-सूचना
=====

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम अधिनियम, 1974 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 30 तम 1974 द्वारा परिष्कारों सहित पञ्चायत पुनः अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 तम 1973 की धारा 55 की उप धारा 2 के डांडों के तहत उपधारा-1 के अधीन शासित का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसमें समुन्नति प्रभार का अवधारण करने के लिए अध्या द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अध्या द्वारा समुन्नति प्रभार के अवधारण की प्रक्रिया नियमावली, 1983

248/52
17/2/83

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- §1 यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अध्या द्वारा समुन्नति प्रभार के अवधारण की प्रक्रिया नियमावली 1983 जहाँ जायेगी।

§2 यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ

2- जब तक विधाय का संदर्भ में कोई प्रतिकूल बाल न हो इस नियमावली में,-

आपत्ति कर्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिस पर अधिनियम की धारा-36 के अधीन समुन्नति प्रभार के निर्धारण के संबंध में नोटिस तामील की गई हो और जो उपाध्यक्ष द्वारा किए गए निर्धारण से असहमत हो या जो उपाध्यक्ष द्वारा किए गए निर्धारण को स्वीकार करने की सूचना उपाध्यक्ष को देने में असफल रहा हो।

अध्यक्ष को निर्देश-3-

§1 जब उपाध्यक्ष द्वारा किसी सम्पत्ति के संबंध में किए गए समुन्नति प्रभार के निर्धारण पर आपत्ति कर्ता द्वारा असहमति प्रकट की जाये, या जब वह उपाध्यक्ष को अधिनियम की धारा 36 की उपधारा 2 की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहे, तब उपाध्यक्ष अर्न्तगृह विभाग का अवधारण करने के लिए मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेंगा।

§2 मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट करते समय उपाध्यक्ष निम्न-लिखित सूचना देते हुए अभिलेख प्रस्तुत करेंगा:-

- क) ऐसी भूमि की स्थिति और सीमा जिसके लिए समुन्नति प्रभार का अवधारण किया जाना हो।
- ख) समुन्नति प्रभार के जाने वाले का नाम
- ग) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देा समुन्नति प्रभार की धनराशि
- घ) आपत्ति कर्तों द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों।
- ङ) निर्धारण आदेश और

पं० अधिनियम की धारा-26 की उपधारा-2 के अधीन तामील की गई निर्धारण की नोटिस की प्रतिलिपि जिसमें तामील करने का दिनांक और रीति इंगित होगी।

नोटिस की तामील

4- §1 उपधारा-2 के अधीन अर्जेंट प्रोसेस के तैयार में जांच करने के लिए दिनांक निम्न करेगा और उपाध्यक्ष और आपत्तिकर्ताओं पर प्रश्न-क में नोटिस तामील करेगा जिसमें वह समय, स्थान और जहाँ पर वह जांच करने की कार्यवाही करेगा, विनिर्दिष्ट करेगा और उन्हें अपने तमना उपस्थित होने के लिए निदेश भी देगा।

§2 अधिनियम §1 में व्यवस्थित नोटिस के अतिरिक्त उपाध्यक्ष समस्त आपत्तिकर्ताओं को सुवर्णित उक्त नोटिस ऐसे किसी स्थानीय समाचार पत्र में जिसका उस क्षेत्र में परिचालन हो प्रकाशित कर सकता है।

अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होना

5- उपाध्यक्ष या तो स्वयं या अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकार के माध्यम से या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हो सकता है और आपत्तिकर्ताओं या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों या विधि व्यवसायियों के माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं।

सिविल न्यायालय के रूप में अध्यक्ष की शक्ति

6. इस नियमावली के अधीन कोई जांच करते समय अध्यक्ष को सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति होगी जब वह निम्नलिखित क्रियाओं के सम्बन्ध में किसी बात का विचारण करे, अर्थात :

- §क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,
- §ख) दस्तावेजों को पकड़ और पेश करने की अपेक्षा करना ;
- §ग) किसी पक्षकार से ऐसे परिप्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा करना, जो अध्यक्ष की राय में आवश्यक हो ;
- §घ) प्रतिस्थापन और समझौते को अभिलिखित करना ; और
- §ङ. § न्याय के अन्वय के लिए कोई न्यायसंगत और समुचित आदेश देना।

लिखित विवरण-पत्र का दाखिला किया जाना

7. सुनवाई के प्रथम दिन या ऐसे किसी अनुवर्ती दिन को जिसे अध्यक्ष इस निमित्त नियत करे, प्रत्येक आपत्तिकर्ता लिखित विवरण दाखिल करेगा जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जाएगा जिनके आधार पर उसे उपाध्यक्ष द्वारा किये गये निर्धारण पर आपत्ति है जिसे सम्यक रूप से सत्यापित किया जाएगा जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7, नियम 15 के अधीन उपबन्धित है और उपाध्यक्ष उसी तरह सत्यापित प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है।

एक या अधिक आपत्तिकर्ताओं के उपस्थित न होने की स्थिति में प्रक्रिया

8. §1 यदि कोई आपत्तिकर्ता सुनवाई के दिन या ऐसे किसी अन्य दिन को जिसे दिन के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गयी हो, उपस्थित न हो तो अध्यक्ष ऐसे आपत्तिकर्ता के विरुद्ध एक पक्षीक कार्यवाही कर सकता है।

§2 जहाँ सुनवाई स्थगित कर दी गयी हो और आपत्तिकर्ता ऐसी सुनवाई के समय उपस्थित हो और पिछली बार अपनी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण बताये तो अध्यक्ष ऐसे निबन्धनों पर जो खर्च के सम्बन्ध में हो या अन्यथा उसकी सुनवाई कर सकता है, मानों वह अपनी उपस्थिति के दिन उपस्थित था।

स्थगन

9. अध्यक्ष समय-समय पर कार्यवाहियों को यदि पक्षों द्वारा या उनमें से किसी एक पक्ष द्वारा पर्याप्त कारण बताया जाय, ऐसे स्थगन के कारण होने वाले खर्च, यदि कोई हो के अधीन स्थगित कर सकता है।

अग्रतर सुनवाई के लिये आपत्तियों के पश्चात् स्थगन

10. आपत्तियों और प्रत्युत्तर के दाखिल करने के अतिरिक्त, अध्यक्ष पक्षों से शपथ-पत्र प्रति शपथ-पत्र और प्रत्युत्तर शपथ-पत्र और अपने मामले के समर्थन में दस्तावेज, यदि कोई हो, दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है और तत्पश्चात् विवादात्मक प्रश्न निरचित करेगा और अग्रतर सुनवाई के लिये दिनांक नियत करेगा।

प्रारम्भ करने का अधिकार

11. उपाध्यक्ष को अपना मामला प्रारम्भ करने का अधिकार होगा और अपने मामले का कथन करेगा और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

आपत्तिकर्ताओं द्वारा कथन और साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना

12. §11 आपत्तिकर्ता, अध्यक्ष द्वारा निर्देशित क्रम में, अपने-अपने मामलों का कथन करेगा और अपना साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा।
§21 उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, खण्डन में अपना साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकता है।

कार्यवाहियों का अभिलेख

13. अध्यक्ष, शपथ पर अपने समक्ष प्रस्तुत किये गये मौखिक साक्ष्य की यदि कोई हो, संक्षिप्त अभिलेखित करेगा। ऐसे साक्ष्य की संक्षिप्त और उनके समक्ष दाखिल किया गया कोई सुसंगत दस्तावेज भी कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग बनेगा।

बहस

14. पक्षों के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अध्यक्ष प्रत्येक पक्ष के मामले के समर्थन में बहस को सुनवाई कर सकता है।

निरीक्षण करने की अध्यक्ष की शक्ति

15. अध्यक्ष, कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, ऐसी किसी सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है जिसके सम्बन्ध में समुन्नति प्रभार का अवधारण किया जाना हो।

विनिश्चय

16. §11 अध्यक्ष सम्पूर्ण मामलों की सुनवाई करने और अपना निष्कर्ष निकालने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए नियम दिनांक को अपने निर्णय पर हस्ताक्षर करेगा और उसे सुनायेगा और उसका सार पक्षों को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण:- निर्णय भाग में हो सकता है जिसमें ऐसे विभिन्न आपत्तिकर्ताओं या आपत्तिकर्ताओं के विभिन्न समूह के सम्बन्ध में संव्यवहार किया गया हो जिनकी आपत्तियों में पर्याप्त रूप से एक ही प्रश्न अवधारण के लिए अन्तर्गृहीत हो।

§21 निर्णय में प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध में समुन्नति प्रभार और सम्पत्ति के स्वामियों या उसमें हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बीच ऐसे समुन्नति प्रभार का प्रभाजन, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट होगा और उसमें संक्षिप्त रूप से उन कारणों का भी उल्लेख किया जायगा जिन पर वह आधारित हो।

17. §11 जैसा उप नियम §21 में उपबन्धित है उसके अन्तर्गत, अध्यक्ष द्वारा निर्णय पर दिनांक डालने, हस्ताक्षर करने और उसे सुना दिया जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन या परिष्कार नहीं किया जायगा।

§21 निर्णय में लिखिकीय या गणितिकीय भूत या उसमें किसी आकस्मिक चूक या लोप से उत्पन्न त्रुटि को अध्यक्ष द्वारा स्वयं या किसी भी पक्ष के आवेदन पर ठीक किया जा सकता है यदि आवेदन निर्णय सुनाये जाने के तीसरे दिन के भीतर किया जाय।

परन्तु ऐसी शर्तों के पूर्ण नहीं होना नोटिस देना आवश्यक होगा ।

19. §10 ऐसे किसी मामले में जिसमें अध्याक्ष द्वारा आपत्तिकर्ताओं के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय दिया गया हो, वह उसे अपास्त करने के लिए अध्याक्ष को आवेदन-पत्र दे सकता है, और यदि वह अध्याक्ष का यह अभिप्राय कर देता है कि नोटिस तम्बूक रूप से तारीख नहीं की गई थी या वह कि वह अन्तिम सुनवाई के समय किसी पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो अध्याक्ष ऐसे विनियमों पर जो पूर्व के सम्बन्ध में हो या अन्यथा निर्णय को अपास्त कर सकता है और मामलों पर कार्यवाही करने के लिए दिनांक नियत करेगा ।

§20 एक पक्षीय निर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन-पत्र निर्णय के दिनांक से या जहाँ नोटिस तम्बूक रूप से तारीख नहीं की गई थी, वहाँ आपत्तिकर्ता को निर्णय का जानकारी होने के दिनांक से, तीस दिन के भीतर दिया जायगा ।

निर्णय प्राधिकरण और राज्य सरकार की भेजा जायगा

19. §11 निर्णय सुनाये जाने के दिनांक के एक मास के भीतर अध्याक्ष उसकी एक प्रति विभागत प्राधिकरण और एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा ।

§20 कोई आपत्तिकर्ता, आवेदन-पत्र देकर और ऐसी फीस का जैसी विनियमावली द्वारा विहित की जाय, भुगतान करके अध्याक्ष के निर्णय को प्रति प्राप्त कर सकता है ।

भलेषों का निरीक्षण

20. समुन्नति प्रभार के अधीन सम्बन्धित किसी कार्यवाही के किसी अभिप्रेत का निरीक्षण आदेश के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए दिये गये आवेदन-पत्र पर अधिपति निरीक्षण फीस का, जैसी विनियमावली द्वारा विहित की जाय, भुगतान करने पर, किया जा सकता है ।

वकालतनामा

21. कोई काउन्सेल समुन्नति प्रभार से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में किसी पक्ष या व्यक्ति के लिए तब तक अभिप्रेत या कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके पास उसी पक्ष में सम्बन्धित वकालतनामा न हो ।

प्रपत्र "क"

१ नियम 4 देखिये १

अध्यक्ष _____ विकास प्राधिकरण के समक्ष
 संख्या _____ दिनांक _____ 198 _____

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास, अधिनियम, 1973 को धारा 36 की उपधारा १4 के अधीन उपाध्यक्ष द्वारा समुन्नति प्रभार के निर्धारण के विरुद्ध आपत्तियों के निस्तारण के लिए नोटिस ।

सेवा में,

नाम _____
 पिता का नाम _____
 पता _____

यूँकि यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष _____
 विकास प्राधिकरण द्वारा _____
 रूपये के समुन्नति प्रभार के निर्धारण के विरुद्ध आपके
 द्वारा असहमति प्रकट की गयी है । असहमति प्रकट की गयी समझी गयी है:-

एतद्वारा आपसे उपर्युक्त अध्यक्ष के समक्ष _____
 में स्थित उसके कार्यालय में दिनांक _____ 198 _____
 को _____ बजे स्वयं या समयक रूप से प्राधिकृत अपने ऐसे अभिकर्ता
 के माध्यम से जो दावा से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो,
 उपस्थित होने को कहा जाता है ।

आपको सूचना सुनिश्चि दी जाती है कि उपरिलिखित दिनांक को आपके
 उपस्थित न होने पर, आपकी अनुपस्थिति में मामलों को सुनवाई और उसका
 अवधारण किया जायगा ।

दिनांक _____ 198 _____ को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से
 जारी किया गया ।

अध्यक्ष,
 विकास प्राधिकरण
 मुहर १

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, _____ विकास प्राधिकरण को
 आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित ।

अध्यक्ष,
 विकास प्राधिकरण
 मुहर १

आज्ञा में,
 तारीख ।

61
60

UTTAR PRADESH SHASAN
AWAS ANUJAG -2

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. ~~4XXXVII-2-1982A/248~~ dated ~~November 1982~~ January 31, 1983.

NOTIFICATION

No. ~~4361~~ /XXXVII-2-1982A/2. 1983
Dated Lucknow, ~~November 1982~~ January 31, 1983

In exercise of the powers under sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 53 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974), the Governor is pleased to make the following rules laying down the procedure to be followed by the Chairman for determination of the Betterment Charge.

The Uttar Pradesh Urban Planning and Development
(Procedure regarding Determination of Betterment
Charge by the Chairman) Rules, 1983.

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Procedure regarding Determination of the Betterment Charge by the Chairman) Rules, 1983;

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Definitions 2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -

"Objector" means a person on whom a notice has been served in respect of the assessment of Betterment Charge about any property under section 36 of the Act and who

60
19

दिनांक 12/11/2022

प्रतिनिधि बांधुका से कीजी प्रति बांधुका कलेक जुन ली
लेख बांधुका, दार प्रदीप, लकाज की लय मन्मुति के बांधुका प्रीति कि उ म
बांधुका की पदाबात मस्ट के विभाके परिशिष्ट नाम उ कम्प । उ म
दिनांक 22 नवम्बर 1958 की प्रमात्रि नसे उमा बांधुका से 1958
। पीक ली। प्रतिवा बांधुका की उपरान्त कराने से जुना ली ।
बांधुका से

दिनांक 26/11/2022

। बांधुका लकाज कर्मा ।
दुका बांधुका

प्रतिनिधि दार प्रदीप के लकाज विभाके प्रमात्रि की लकाज कर्मा
की लकाज निमात्रि के सुमात्र लकाज कर्माके कराने ली जुन लकाज के
बांधुका की लकाज कराने से जुना ली ।
बांधुका से

। बांधुका लकाज कर्मा ।
दुका बांधुका

... dissented from the assessment made by the Vice-Chairman or ^{who} has failed to give the Vice-Chairman the information of his acceptance of the assessment made by the Vice-Chairman.

Reference 3. (1) When the assessment of the betterment charge in respect of any property made by the Vice-Chairman is dissented to by the objector, or when he fails to give the Vice-Chairman the information required by sub-section (2) of section 36 of the Act within the period specified therein, the Vice-Chairman shall refer the case to the Chairman for determination of the matter involved.

(2) While referring the case to the Chairman, the Vice-Chairman shall submit the following information pointing out :-

- (a) the situation and the extent of the land for which the betterment charge is to be determined;
- (b) the names of the payee of the betterment charge;
- (c) the amount of the betterment charge payable by each person;
- (d) the objections filed by the objectors;
- (e) copy of the assessment order; and
- (f) copy of notice of assessment served under sub-section (2) of section 36 of the Act indicating the date and mode of service.

62-03

Service of Notice

4.(1) Thereafter the Chairman shall fix a date for holding enquiry about the matters involved and shall serve a notice ^{on the} on the Vice-Chairman and the objectors specifying therein the time, the day on which and the place where he shall proceed with the enquiry and also directing them to appear before ^{him.} him.

notice provided in sub-rule (1)

(2) In addition to the notice, the Chairman may publish the said notice in a local newspaper having its circulation in the locality addressed to all the objectors.

Appearance before the Chairman.

5. The Vice-Chairman may either appear before the Chairman in person or through the officer appointed by him in this behalf or through legal practitioners authorised by him and the objectors may appear before the Chairman either personally or through their authorised agents or legal practitioners.

Powers of the Chairman as Civil Court

6. While holding any enquiry under these rules, the Chairman shall have the power of a Civil Court under the Code of Civil Procedure when trying a suit in respect of the following matters namely :-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) requiring any party to answer such interrogatories as may in the opinion of the Chairman, be necessary;
- (d) recording substitution and compromise; and
- (e) to pass any just and proper order for the ends of justice ~~and for the achievement of the objects of the Act.~~

Filing of Written Statement

7. On the first day of the hearing, or on any subsequent day which the Chairman may appoint in this behalf, each objector shall file a statement in writing stating the grounds on which he objects to the assessment by the Vice-Chairman which shall be duly verified as provided under Order 7, Rule 1 of the Code of Civil Procedure, 1908 and the Vice-Chairman may file similarly verified replication.

Procedure
in case of
objection-
by one or more
objectors

8.(1) If any of the objectors does not appear on the day of day of hearing or on any other day to which the hearing may have been postponed, the Chairman may proceed ex-parte against such objector.

(2) Where the hearing has been adjourned and the objector, at such hearing, appears and shows sufficient cause for his previous non-appearance, the Chairman may, upon such terms as to costs or otherwise, may hear him, as if he had appeared on the day for his appearance.

Adjournment

9. The Chairman may from time to time adjourn the proceedings, if sufficient cause is shown, by the parties or any of them, subject to costs, if any, occasioned by such adjournment.

Adjourn-
ment after
objections
for further
hearing

10. In addition to the filing of the objections and the replication, the Chairman may require the parties to file affidavits, counter-affidavits and rejoinder affidavits and the documents, if any, in support of their case and shall thereafter frame the points in issue and fix date for further hearing.

Right
to
begin

11. The Vice-Chairman shall have the right to begin and shall state his case and produce his evidence.

Statement
and
Production

12(1) The objectors, in the order directed by the Chairman shall state their cases and produce their evidence, if any.

evidence by
objectors.

(2) The Vice-Chairman, by leave of the Chairman, may produce his evidence, if any, in rebuttal.

Record
of the
proceedings

13. The Chairman shall record the summary of the evidence, if any, produced before him, ^{orally} the summary of such evidence and any relevant document filed before him shall also form part of the record of the proceedings.

64 66

Arguments

14. After the conclusion of the evidence of the parties, the Chairman may hear arguments in support of each party's case

Power of Chairman to inspect

15. The Chairman may, at any stage of the proceedings, inspect any property in respect of which the Betterment Charge is to be determined.

Decision

16(1) The Chairman, after hearing the whole case and coming to his conclusion, shall sign and pronounce his decision on the day fixed for the purpose and shall communicate the substance thereof to the parties.

Explanation The decision may be in parts dealing with different objectors or different sets of objectors whose objections involve substantially the same questions for determination.

(2) The decision shall specify the Betterment Charge regarding each property and apportionment, if any, of such Betterment Charge between the owners of the property or any other person having an interest therein, and shall state briefly the grounds on which it is based.

(3) The decision shall state the reasons and the amount of cost of the proceedings awarded by the Chairman and by whom and in what proportions they are to be paid.

(4) When the assessment of the Vice-Chairman is not upheld, the cost shall ordinarily be paid by the Authority unless the Chairman for special reasons otherwise directs.

17(1) The decision when dated and signed ^{and provided pronounced} by the Chairman shall not afterwards be altered or added to, except as provided in sub-rule (2).

(2) Clerical or arithmetical mistakes in the decision or errors arising therein from any accidental slip or omission may be corrected by the Chairman on his own motion or on the application of ^{any of} the parties if applied within thirty days of its pronouncement.

Provided that a notice to the parties shall be necessary before such correction.

18.(1) In any case in which the decision has been given by the Chairman ex-parte against the objector, he may apply to the Chairman for setting it aside; and if he satisfies the Chairman that notice was not duly served, or that he was prevented by any sufficient cause at the time of final hearing, the Chairman may set aside the decision upon such terms as to costs or otherwise and shall fix a date for proceeding with the case.

(2) An application for setting aside the ex-parte decision shall be made within thirty days from the date of the decision or where the notice was not duly served when the objector had knowledge of the decision.

Decision
to be sent
to the
Authority
and the
State
Government

19(1) Not later than one month from the date of the pronouncement of the decision, the Chairman shall send one copy of each of it to the Development Authority and to the State Government.

(2) Any objector may, on application and payment of the fees as may be prescribed by the Regulations, obtain a copy of the decision ~~from~~ the Chairman.

Inspection
of
records.

20. Inspection of any record of any proceeding relating to the levy of Betterment Charge may be made with the permission of the Chairman on an application moved for the purpose and on payment of inspection fee as may be prescribed by the Regulations.

Vakalat
nama

21. No counsel shall plead or act for any ^{party or} person in any proceedings relating to Betterment Charge unless he holds a Vakalatnama duly executed in his favour.

BEFORE THE CHAIRMAN.....DEVELOPMENT AUTHORITY

No.

Dated198...

NOTICE FOR DISPOSAL OF OBJECTIONS
against the assessment of Betterment Charge
by the Vice-Chairman under sub-section (4)
of section 26 of the Uttar Pradesh Urban
Planning and Development Act, 1973.

To,

Name(s)
~~XXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXX~~
Parentage
Address

Whereas a dissent has been made / deemed to have been made
by you against the ^{assessment} ~~15%~~ of Betterment Charge amount ^{10%} ~~to~~
by the Vice-Chairman,.....Development Authority in respect
of the property described hereunder:

... ..
... ..

You are hereby called upon to appear before the aforesaid
Chairman in person or ~~by~~ ^{through your} duly authorised agent, able to
answer all such questions relating to the claim on the
day of, 198... at ...O'Clock in his office at
.....

Take notice that in default of your appearance on the
day beforementioned, the case shall be heard and determined
in your absence.

Given under my hand and the seal ^{on} this.....day
of.....198...

Chairman,
..... Development Authority
(Seal)

Copy forwarded to the Vice-Chairman,.....Development
Authority for necessary action.

Chairman,
.....Development Authority
(SEAL)

विषय सं० ।

टी०बी० बार्क वांदमंज हाउसिंग स्कीम में ब्लूण्ड सं० ए/29 पर विरातानगर हाउसिंग स्कीम योजना फेज -1 के अन्तर्गत भूमि अर्जत का कार्य ।

तखनक शहर में बढ़ती हुई आवादी को देखते हुए आवासीय समस्या को सुलभ करने हेतु ब्लूण्ड संख्या ए/29 रिक्त पड़ा हुआ है । इस पर एक आवासीय योजना बनाई गई है जिसका कुल क्षेत्रफल 18470 वर्ग फिट है , जिसे भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 व 6, 17 11 1 की विधिपूर्वक जारी कराने हेतु तखनक विकास प्राधिकरण के बैठक की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में जिनापिकारी को दिनांक 3.3.83 को भेजे जा चुके हैं । योजना की आउटलाइन निम्न प्रकार है ।

1. बार्क : 80फिट चौड़ी सड़क ।
2. साउथ : ब्लूण्ड संख्या ए/28 ।
3. ईस्ट : ब्लूण्ड का- भाग बी/88 एवं ब्लूण्ड सं० बी/87 ।
4. वेस्ट : 80फिट चौड़ी रोड ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित बिन्दु तखनक विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

1. योजना जिसका क्षेत्रफल 18470 वर्गफिट है । भूमि अर्जत अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
2. योजना के नाम में विरातानगर आवासीय योजना फेज -1 रखने पर विचार ।

विषय सं० 2

टी जी० नार्थ चांदभंज हाउसिंग स्कीम में ग्लूबण्ड संख्याए/12, ए/13 पर गिरातानगर हाउसिंग योजना फेज-3 के अन्तर्गत भूमि अर्जन का कार्य ।

तखनऊ शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आवासीय समस्या को सुलभ कराने हेतु गिरातानगर में स्थित ग्लूबण्ड संख्या ए/12, ए/13 रिक्त पडा हुआ है । इस पर एक आवासीय योजना बनाई गई है । जिसका कुल क्षेत्रफल 34623 वर्ग फिट है , जिसे भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत चारा 4,6 एवं 17।।। की विहितियां जारी कराने हेतु तखनऊ विकास प्राधिकरण के बैठक की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में गिरातानगर की दिनांक 23.3.83 को भेजे जा चुके हैं । योजना की बाउन्ड्री निम्न प्रकार है ।

1. नार्थ : ग्लूबण्ड भाग बी /42 तथा ग्लूबण्ड नं० बी/41, बी/40, बी/39
2. साउथ : 80 फिट चौड़ी रोड ।
3. ईस्ट : 60 फिट चौड़ी रोड ।
4. वेस्ट : ग्लूबण्ड नं० ए/14 ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित बिन्दु तखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृताई प्रस्तुत है ।

1. योजना जिसका क्षेत्रफल 34623 वर्ग फिट है भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।

गिरातानगर तखनऊ आवासीय योजना फेज-3।

टी०जी० नार्थ चांदमंज हाउसिंग स्कीम में ब्लूण्ड संख्या ए/16 पर
बिराला नगर हाउसिंग स्कीम फेज -4 के अन्तर्गत भूमि अर्जन का कार्य ।

तखतक शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आवासीय समस्या को सुलभ करने हेतु बिरालानगर में स्थित ब्लूण्ड संख्या ए/16 रिक्त पड़ा हुआ है । इस पर एक आवासीय योजना बनाई गई है । जिसका कुल क्षेत्रफल 18786 वर्गफिट है । जिसे भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 व 6 एवं 17(1) की विधिपूर्वक जारी कराने हेतु तखतक विकास प्राधिकरण के बैठक की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में जिलाधिकारी को दिनांक 24.3.83 को भेजे जा चुके हैं । योजना की बाउन्ड्री निम्न प्रकार है ।

1. नार्थ : ब्लूण्ड का भाग बी/44 एवं बी/45 ब्लूण्ड ।
2. साउथ : 80 फिट चौड़ी रोड ।
3. ईस्ट : ब्लूण्ड सं० ए/15 ।
4. वेस्ट : 40 फिट चौड़ी रोड ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्न लिखित बिन्दु तखतक विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

1. योजना जिसका क्षेत्रफल 18786 वर्गफिट है भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
2. योजना का नाम ' बिरालानगर आवासीय योजना फेज-4 ' रखने पर विचार ।

विषय संख्या - 1

टी० जी० नार्थ वांदगंज हाउसिंग स्कीम में ब्लूण्ड संख्या ए/17 पर
निरालानगर हाउसिंग स्कीम फेज-5 के अन्तर्गत भूमि अर्जन का कार्य ।

तखनऊ शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आवासीय समस्या को सुलभ करने हेतु निरालानगर में रिक्त ब्लूण्ड संख्या ए /17 रिक्त पड़ा हुआ है। इस पर एक आवासीय योजना बनाई गई है । जिसका कुल क्षेत्रफल 18850 वर्गफिट है । जिसे भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 व 6 , 17 ॥ १ ॥ की विनियमितियां जारी करावे हेतु तखनऊ विकास प्राधिकरण के बैठक की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में जिलाधिकारी को दिनांक 21.03.83 को भेजे जा चुके है । योजना की बाउन्ड्री निम्न प्रकार है ।

1. नार्थ : 40 फिट चौड़ी रोड ।
2. साउथ : ब्लूण्ड सं० ए/18 ।
3. ईस्ट : 80 फिट चौड़ी रोड ।
4. वेस्ट : ब्लूण्ड का भाग बी/47 एवं ब्लूण्ड नं० बी/46

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित बिन्दु तखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृताई प्रस्तुत है ।

1. योजना जिसका क्षेत्रफल 18850 वर्गफिट है । भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
2. योजना का नाम ॥ निराला नगर आवासीय योजना फेज-5 ॥ रखने पर विचार ।

टी०जी० लार्ड चांदमंज साउथिंग स्कीम में ब्लूण्ड सं० ए/23 पर
निरालाबगर साउथिंग योजना फेज -6 के अन्तर्गत भूमि अर्जन का कार्य ।

तखनऊ शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आवासीय समस्या को सुलभ करने हेतु निरालाबगर में स्थित ब्लूण्ड सं० ए/23 रिक्त पड़ा हुआ है । इस पर एक आवासीय योजना बनाई गई है । जिसका कुल क्षेत्रफल 15000 वर्गफिट है । जिसे भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 व 6 , 17(1) की विधिप्रतिपां जारी करावे हेतु तखनऊ विकास प्राधिकरण के बैठक की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में जिलाधिकारी को दिनांक 21.3.83 को भेजे जा चुके है योजना की बाउन्ड्री निम्न प्रकार है ।

1. लार्ड : ब्लूण्ड का भाग बी/ 53 एवं ब्लूण्ड सं० बी/54 ।
2. साउथ : 80 फिट चौड़ी रोड ।
3. ईस्ट : ब्लूण्ड सं० ए/22 ।
4. वेस्ट : ब्लूण्ड सं० ए/24 ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित बिन्दु तखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

1. योजना जिसका क्षेत्रफल 15000 वर्गफिट है । भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
 2. योजना का भाग । निरालाबगर साउथिंग स्कीम फेज-6 । रखने पर विचार ।
-

विषय संख्या -6
=====

टी० जी० नार्थ चांदनगंज हाउसिंग स्कीम में ब्लूग्रुंड संख्या ए/25एवं ए/ 26 पर गिरातानगर हाउसिंग स्कीम फेज नं-7 के अन्तर्गत भूमि अर्जन का कार्य ।

तखनक शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आवासीय समस्या को सुलझ कराने हेतु गिरातानगर में स्थित ब्लूग्रुंड संख्या ए/25एवं ए/26 स्थित पड़ा हुआ है । इस पर एक आवासीय योजना बनाई गई है । जिसका कुल क्षेत्रफल 34450 वर्ग फिट है । जिसे भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4, 6 व 17 ॥॥ की विहितियां जारी कराने हेतु तखनक विकास प्राधिकरण के बैठक की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में गिरातानगरी को दिनांक 21.3.83 को भेजे जा चुके है । योजना की बाउन्ड्री निम्न प्रकार है ।

1. नार्थ : ब्लूग्रुंड का भाग बी/56 तथा ब्लूग्रुंड संख्या बी/57 एवं बी/58 ।
2. साउथ : 80 फिट चौड़ी रोड ।
3. ईस्ट : ब्लूग्रुंड संख्या ए/24 ।
4. वेस्ट : 60 फिट चौड़ी रोड ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित विन्दु तखनक विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृतार्थ प्रस्तुत हैं ।

1. योजना जिसका क्षेत्रफल 34450 वर्ग फिट है, भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
2. योजना का नाम ॥ गिरातानगर आवासीय योजना फेज-7 ॥ रखने पर विचार ।

विषय संख्या -7

=====

वे रोड से वजीर हसन मार्ग पर मुड़ने पर वजीर हसन मार्ग के उत्तर में सड़क से लगी हुई भूमि खसरा नं० 60 पर आवासीय योजना हेतु भूमि का अर्जन ।

वजीर हसन मार्ग पर मुड़ने पर वजीर हसन मार्ग के उत्तर में सड़क से लगी हुई भूमि । जिस पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कर किया गया है ।, की भूमि पर आवासीय योजना बनाई गई है । इस योजना का कुल क्षेत्रफल बीघा 2-10-13-1 है । योजना की चौहद्दी निम्न प्रकार है ।

1. उत्तर : खसरा नं० 59 पी.ओ० सुलतान गंज ।
2. पूर्व : वे रोड ।
3. पश्चिम : आदरम रोड ।
4. दक्षिण : खसरा नं० 68 पी. ओ० सुलतानगंज, मस्जिद और पक्का गढ़ावा ।

उपरोक्त योजना का प्रस्ताव तत्काल विकास प्राधिकरण की बैठक की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 17(1) व 17(1)-ए के प्रावधानों सहित धारा 4 व 6, की विनियमितता प्राप्त से जारी कराते हेतु जिलाधिकारी तत्काल को दिनांक 9.5.83 को भेजे जा चुके हैं ।

अतः उपरोक्त स्थिति में निम्न बिन्दु स्वीकृताई प्रस्तुत हैं ।

1. योजना का नाम 'अशोक मार्ग पर आवासीय योजना' रखने की अनुमति ।
2. योजना में आते, वाली भूमि का क्षेत्रफल बीघा 2-10-13-1 है जो भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति।

फातिमा हास्पिटल के समीप आवासीय एवं अनुपयोगी सुविधा
हेतु भूमि अर्जन ।

फातिमा हास्पिटल के पास खली भूमि बीघा ०-१२-२-१५ है ।
उसी भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अर्जन करके फातिमा हास्पिटल को
आवासीय एवं अनुपयोगी कार्य के लिए दिया जाता है ।

अतएव तखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक की औपचारिक
स्वीकृति प्राप्त करने की प्रत्याशा में उपरोक्त प्रस्ताव की विज्ञप्तियां जारी
कराने हेतु जिलाधिकारी तखनऊ को दिनांक ३.२.८३ भेजे जा चुके हैं । इस
योजना की भूमि की चौहद्दी निम्न प्रकार से है ।

१. उत्तर : पक्का भवन खारा नं० १४५पी. और १४१पी. ।
२. पूर्व : पक्का भवन खारा नं० १४१ पी. और १४०पी. ।
३. पश्चिम : महानगर, रहीमतनगर पक्का रोड ।
४. दक्षिण : पक्का रोड ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित बिन्दु तखनऊ विकास प्राधिकरण
हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत हैं ।

१. उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल बी० ०-१२-२-१५ है भूमि अर्जन
अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
२. योजना का नाम : फातिमा हास्पिटल के समीप आवासीय एवं
अनुपयोगी सुविधा हेतु योजना : रखने की अनुमति ।

तेज बहादुर सपरु मार्ग पर आवासीय योजना ।

लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आवासीय समस्या को सुलझ करने हेतु तेजबहादुर सपरु मार्ग पर सीमेन्ट भवन के पास एक आवासीय योजना बनाई गई है ।

उक्त योजना का कुल क्षेत्रफल बीघा 0-14-16-0 है । इस भूखण्ड को आवासीय योजना हेतु अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है । भूमि अर्जन का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रत्याशा में जिलाधिकारी को विज्ञप्तियां जारी कराये हेतु भेजे जा चुके हैं । भूमि/बौद्धिकी निम्न प्रकार है ।

1. उत्तर : पक्की लेन ।
2. दक्षिण : पक्का सीमेन्ट भवन ।
3. पूर्व : पक्का भवन खतरा नं० 143 भाग ।
4. पश्चिम : पक्की लेन ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित बिन्दु लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

1. उक्त योजना हेतु जिसका कुल क्षेत्रफल 0-14-16-0 है भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
2. योजना का नाम : तेज बहादुर सपरु मार्ग पर आवासीय योजना रखने की अनुमति ।

हरदोई रोड पर राधा ग्राम ^{दुग्ध विकास तथा आवासीय} योजना हेतु 551.88 एकड़ भूमि का अर्जन ।

लखनऊ शहर से दुग्ध डेरियों व मवेशियों को बाहर ले जाने हेतु उक्त योजना प्रस्तावित की गई है। जिसके अधीन 551.88 एकड़ भूमि अर्जित करके दैटिल कातोली बनायी जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर जिसमें रिकार्डेड व मौजूदा आबादी सम्मिलित है । कच्चे व पक्के मकान बने होने के कारण से धारा 17 लागू करने के साथ-साथ धारा 17(1) व 17(1)-ए के विज्ञप्तियां शासन से जारी कराने हेतु प्रस्ताव को लखनऊ विकास प्राधिकरण के बैठक की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव को जिलाधिकारी लखनऊ को दिनांक 9.6.83 को भेज दिये गये है । योजना की बाउन्ड्री निम्न प्रकार से है ।

1. उत्तर : सीमा ग्राम बरीकता, गजराहा ।
2. दक्षिण : हरदोई रोड ।
3. पूर्व : सीमा मोहल्ला मुसाहबमल और नगरियां और ठाकुर गंज चौराहा से मऊघाट रोड ।
4. पश्चिम : सीमा ग्राम बरावनखुर्द और बरीकता ।

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित विन्डू लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

1. उक्त योजना जिसका क्षेत्रफल 551.88 एकड़ है भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
2. योजना का नाम व हरदोई रोड पर राधा ग्राम ^{दुग्ध विकास तथा} आवासीय योजना रखने पर विचार ।

विषय सं० ११

उजरियांव आवासीय योजना भाग-2 हेतु 2095.36 एकड़ भूमि का अर्जन ।

तखनऊ शहर की बढ़ती हुई आवादी को देखते हुए आवासीय समस्या को पुनः करने हेतु उजरियांव योजना भाग-1 के समीप उक्त योजना प्रस्तावित की गई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2095.36 एकड़ है । अतएव भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4, 6 व 17॥१॥ की विज्ञप्तियां जारी कराने हेतु तखनऊ विकास प्राधिकरण के बैठक की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में जिताधिकारी को दिनांक 6.6.83 को भेजे जा चुके हैं । योजना की बाउन्ड्री निम्न प्रकार से है ।

1. उत्तर : फैजाबाद रोड़ और खसरा नं० 286 ग्राम चिनहट ।
2. दक्षिण : यड़ी रेलवे लाइन, खसरा नं० 238, 648, 659 ग्राम खरवार, नं० 218 ग्राम हुसड़िया और नं० 10 ग्राम मखदुमपुर ।
3. पूर्व : खसरा नं० 326स, 327स, 335, 336, 337, 346, 344, 329 सं, 364, 365, 379, 601, 602, 606, 609, 610, 611, 600 ग्राम चिनहट, नं० 3, 45, 48 ग्राम चकमन्हीरी और नं० 175, 184 और 210 ग्राम खरवार ।
4. पश्चिम : उजरियांव आवासीय योजना [गोमती नगर] भाग - 1

उपर्युक्त योजना हेतु निम्नलिखित विन्दु तखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

1. योजना जिसका क्षेत्रफल 2095.36 एकड़ है । भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की अनुमति ।
2. योजना का नाम [उजरियांव आवासीय योजना] गोमती नगर] भाग -2] रखने पर विचार ।

विषय: लखनऊ नगर में सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण करके बसे हुए तथा अन्य प्रकार से निवास करने वाले आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों हेतु भूखण्डों तथा भावनों आदि का विकास।

X=X=X=X=X=X=X

प्रायः देखा गया है कि लखनऊ नगर में गाजिउद्दीन हैदर कैनाल, पाटा नाला, सरकटा नाला अनेक नजूल भूखण्डों पर तथा सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं। जबभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो इन व्यक्तियों को सुरक्षित स्थल पर ले जाना एक समस्या होती है और उसके उपरान्त पुनः यह इन नालों के पेटे में आकर बस जाते हैं और इस प्रकार से एक बड़ी विषम स्थिति बनी रहती है। अभी तक इन व्यक्तियों हेतु इनकी आर्थिक क्षमता के अनुकूल कोई योजना परिचालित नहीं की गई। इस पूरे प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त यह उचित समझा गया कि इन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों हेतु एक योजना चलाई जाये जिसमें अधिक से अधिक विकसित भूखण्ड तथा भावन इनको उपलब्ध कराये जा सकें। ऐसा ज्ञात हुआ है कि इनमें से अधिकांश लोग कुछ न कुछ व्यवसाय करते हैं और उनकी आमदनी भी इस प्रकार से है कि वे एक या दो रुपये रोज अपने आवासीय व्यवस्था हेतु बचा सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा एक योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत 1/- रुपये प्रतिदिन बचा लेने वाले व्यक्ति को 12 फिट x 32 फिट का एक विकसित भूखण्ड प्राप्त हो सकेगा और 3/- रुपये प्रतिदिन बचा लेने वाले व्यक्ति को एक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों हेतु निर्धारित भावन प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि कुछ लोग व्यवसाय आदि चाहें तो उन्हें मात्र 2/- प्रतिदिन बचाने के उपरान्त कोई स्टाल या क्यास्क नगर के उपयुक्त स्थल पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह ज्ञात करने के लिये कि क्या यह व्यक्ति अपनी ही पूँजी द्वारा इस योजना में भाग लेंगे, इस योजना का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया। योजना के विषय में सच्छिप्त विवरण इस टिप्पणी के साथ संलग्न किया गया है। अभी तक इस योजना के अधीन लगभग 10,000 प्रार्थनापत्र तथा फार्म आदि बिक चुके हैं और योजना के संपाप्त होने की तिथि 29 जून, 1983 निर्धारित की गई है। ऐसी सम्भावना है कि निर्धारित तिथि तक 10,000 से लेकर 15,000 तक व्यक्ति अपने को इस योजना में पंजीकृत करा लेंगे।

यह सुनिश्चित किया गया कि इस योजना हेतु नगर के विभिन्न भागों में स्थलों का विकास किया जाये जिसके अधीन कानपुर रोड, कैम्बल रोड रेशाबाग क्षेत्र, गोमती नगर, अलीगंज, सीतापुर रोड, बालू अड्डा, हाता मीर-तकी मीर, हाता रसूल खाँ आदि अनेक स्थानों पर भूखण्डों तथा भावनों के विकास तथा निर्माण का कार्य संचालित किया जा रहा है। इन स्थलों पर भूमि उपलब्ध है और जो विकास कार्य किया जा रहा है उसके अधीन सड़क सर्वेस ड्रेनेज, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सुलभ शौचालय अथवा सीवर लाइन जैसी भी स्थिति हो तथा अन्य सभी नागरिक सुविधायें इन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जावेंगी।

क्रमशः—

यह योजना वर्तमान शासन की नीति को ध्यान में रखाकर विशेष महत्व रखाती है और चूंकि जन-सामान्य द्वारा इस योजना की ग्राह्यता लगभग प्रमाणित सी हो चुकी है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्वीकृति तथा आदेश इस योजना पर अपेक्षित हैं।

साइड्स एवं सविसेज के भूखण्ड तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण का कार्यक्रम

क्रम सं०	योजना का नाम	संख्या	वित्त पोषण	वर्तमान स्थिति	
1.	2.	3.	4.	5.	
		भूखण्ड	भवन	का श्रोत	
1.	नैपियर रोड भाग-2	-	300	हुडको	ले- आउट बन गया है । योजना तैयार की जा रही है ।
2.	हाता रतूल खाँ	-	72	राजस्व	16 भवनों का निर्माण दि० 30.6.1983 तक पूर्ण हो जायेगा ।
3.	कैलाश कुंज	100	64	हुडको	शोष भवनों का निर्माण स्थान की उपलब्धता के अनुसार धीरे-धीरे किया जायेगा । साइड्स एवं सविसेज का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है । भवनों के निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित कर ली गयी हैं । योजना ऋण प्राप्त करने हेतु तैयार की जा रही है ।
4.	मीरतकी मीर	-	108	हुडको	निविदायें आमन्त्रित कर ली गयी हैं । योजना ऋण प्राप्त करने हेतु तैयार की जा रही है ।
5.	गोमती नगर आवास योजना ।	1500	3000	हुडको	500 साइड्स एवं सविसेज की निविदायें प्राप्त हो गई हैं तथा 1000 साइड्स एवं सविसेज की निविदायें आमन्त्रित कर ली गयी हैं । ई०डब्लू०एस० भवनों की निविदायें आमन्त्रित की गयी हैं । 1534 ई०डब्लू०एस० भवनों की योजना हुडको द्वारा स्वीकृति हो चुकी है शोष के के लिये योजना तैयार की जा रही है जो शीघ्र ही भेज दी जायेगी ।
6.	कानपुर रोड स्कीम	1689	1790	हुडको	896 ई०डब्लू०एस० भवनों का कार्य प्रारम्भ हो गया है इसकी योजना हुडको द्वारा स्वीकृत भी हो चुकी है । शोष के लिये योजना तैयार की जा रही है ।

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					§11§ 1189 साईदत एवं सविसेज तथा 894 भवनों की निविदायें प्राप्त हो गई हैं , जिन्हें शीघ्र ही फाइलाइज करके कार्य प्रारम्भ कराया जावेगा ।
7.	सीतापुर रोड स्कीम	700	800	हुडको	§111§ 500 साईदत एवं सविसेज की निविदायें आमन्त्रित को जा रही हैं । § 1 § कार्य प्रारम्भ हो गया है ।
8.	कुर्सी रोड स्कीम	300	-	हुडको	§11 § योजना इस माह के अन्त तक हुडको को भेज दी जावेगी । §1§ ले आउट तैयार किया जा रहा है ।
9.	राम नगर/शेषाबाग	1200	-	हुडको	§11§ दि0 15.7.1983 तक योजना हुडको को भेज दी जावेगी । §1 § राम नगर योजना का ले आउट पुनरीक्षित किया जा रहा है ।
10.	कैम्बल रोड स्कीम	1000	-	हुडको	§11§ शेषाबाग की येजना पुनरीक्षित की जा रही है । §1 § निविदायें आमन्त्रित कर ली गयी हैं ।
	योग -	<u>6489</u>	<u>6134</u>		§11§ हुडको को योजना दिनांक 30.6.1983 तक भेज दी जावेगी ।

टी. वर्मा /...

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर व्यवसायिक केन्द्रों, कार्यालय भवनों तथा अन्य रोजगार केन्द्रों के विकसित करने की योजना।
x=x=x=x=x=x=x=x

जैसा कि सर्वविदित है लखनऊ, हालांकि भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रदेशों की राजधानी है परन्तु इस नगर को राजधानी के रूप में कभी भी एकीकृत विकास के साथ विकसित नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप यह देखा जाता है कि जितने भी कार्यालय तथा व्यवसायिक केन्द्र हैं वे नगर के मध्य भाग में केवल विधानसभा, अशोक मार्ग, हजरतगंज आदि क्षेत्र में स्थित हैं और आवासीय कालोनियों नगर के बाहर आठ-दस किलोमीटर दूर स्थित हैं। इसके फलस्वरूप प्रायः टैफिक की भीषण समस्या उत्पन्न होती है और गोमती नदी के आर-पार के क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुलों पर प्रातः तथा सायंकाल भीषण भीड़-भाड़ तथा टैफिक समस्या आयोजित उत्पन्न होती रहती है। इसके अतिरिक्त कार्यालय समय के पूर्व तथा कार्यालय समय के उपरान्त इतनी अधिक भीड़ सड़कों पर हो जाती है कि टैफिक्स सिग्नल व्यवस्था को भी कायम रखना कठिन हो जाता है। चूंकि प्रति वर्ष नये-नये कार्यालय खुलते हैं और जो कार्यालय पहले से कार्य कर रहे हैं उनमें भी व्यवसाय के प्रोत्त बढ़ते रहते हैं अतः यह समस्या दिन-प्रतिदिन भीषण रूप लेती जा रही है। इस समस्या पर विचार करने के उपरान्त यह उचित समझा जा रहा है कि विभिन्न कार्यालयों में, व्यवसायिक केन्द्रों में, तथा अन्य उद्देश्य धान्धों में लगे हुए व्यक्तियों के प्रयोजनार्थ नगर के विभिन्न भागों में व्यवसायिक केन्द्र बनाये जायें जिससे कि जो व्यक्ति नगर के दूर वाली कालोनियों में रह रहे हैं उनको उसी क्षेत्र में व्यवसाय आदि प्राप्त हो जाये और इस कारण दिन प्रतिदिन मध्य क्षेत्र पर भी लगातार दबाव पड़ता जा रहा है उसमें कुछ कमी आवे और लखनऊ नगर का एक सुनियोजित विकास भाविष्य में हो सके। इसको ध्यान में रखाकर अबतक विकसित किये गये व्यवसायिक केन्द्रों के अतिरिक्त निम्नांकित व्यवसायिक तथा आवासीय योजनायें विशेष रूप से संचालित की जा रही हैं :-

1- अलीगंज क्षेत्र में सेक्टर "एच" में स्थापित किया जाने वाला व्यवसायिक केन्द्र।

अलीगंज क्षेत्र में ही कपूरथला व्यवसायिक केन्द्र में जो ग्राउन्ड सेल के आधार पर कार्यालय तथा दुकानें आदि बनाई जा रही हैं वह बड़ी-बड़ी पूंजी वाले बिल्डर्स तक ही सीमित रहें। यह देखा गया कि कम पूंजी वाले व्यवसायी भी नगर के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं और यदि छोटे-छोटे भूखण्ड बेचे जायें और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अभिकल्पना के आधार पर उन्हें विकसित किया जाये तो निश्चय ही और अधिक व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना इस क्षेत्र में हो सकेगी। इसी को ध्यान में रखाकर सेक्टर "एच" में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में व्यवसायिक केन्द्र बनाया जा रहा है। इस व्यवसायिक केन्द्र का एक ले-आउट प्लान बैठक के समय

माननीय सदस्यों के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है । इस योजना के आर्थिक पहलू पर एक टिप्पणी भी अवलोकन हेतु संलग्न है ।

2- लखानऊ फैजाबाद रोड के सहारे स्थापित होने वाले कैलाशकुन्ज की योजना ।

यह एक नजूल भूखण्ड है जिसमें कि अतिक्रमण हो चुके हैं । लगभग 110 आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्ति इस पूरे भूखण्ड पर होपड़ी आदि लगा कर रहने लगे और इसी स्थल पर तीन बड़ी आरा मशानें, एक डेरी, एक ताड़ी खाना एक स्कूल और पाँच-छः दुकानें कायम हो गईं । वस्तुतः यह भूखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग को सरकारी कर्मचारियों के आवासों हेतु हस्तान्तरित किया गया था परन्तु उनके द्वारा समय से इसका उपयोग न होने के कारण यह सम्पूर्ण क्षेत्र अनधिकृत कब्जे में आ गया । चूँकि यह क्षेत्र इन्द्रा नगर जैती पोशा-कालोनी के सामने सड़क के सहारे स्थित है और देखने पर मलिन बस्ती का एक दुःख उपस्थित होता है अतः नगर की सुन्दरता तथा नगर नियोजन के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखाते हुए इसका पुर्ननियोजन एवं विकास अत्यन्त आवश्यक हो गया था । इस स्थल पर अतिक्रमण करके बसने वाले लोगों को वर्तमान परिस्थितियों में बिना कोई विकल्प दिये हुए हटाना असम्भव सा है । इन व्यक्तियों द्वारा इसी क्षेत्र से दूर अन्य स्थान पर विकल्प स्वीकार नहीं किया गया । अतः यह उचित समझा गया कि इस पूरे क्षेत्र का एक सुनियोजित विकास किया जाये जिसके अधीन आर्थिक दृष्टि से दुर्बल इन सभानों लगभग 110 व्यक्तियों को मौके पर ही छोटे-छोटे भूखण्ड दे दिये जायें और अन्य अतिक्रमण कारियों को भी इस स्थल पर ही बसाया जाये । अभी तक यह व्यक्ति निःशुल्क अतिक्रमण करके रह रहे थे और अब इनको जो बसाया जा रहा है तो इनसे नियमान्तर्गत निर्धारित प्रीमियम तथा किराया आदि भी लिया जावेगा । आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों को नीलामी की प्रक्रिया से छूट देकर प्राधिकरण द्वारा इस हेतु संयोजित योजना के अधीन पुर्नवासित करने का प्रस्ताव है तथा अन्य व्यवसायिक व्यक्तियों से प्रचलित बाजार दर से नियमानुसार प्रीमियम लेने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र बचेगा वहाँ पर एक व्यवसायिक केन्द्र बनाया जायेगा । इस व्यवसायिक केन्द्र के अन्तर्गत स्थल पर दुकानें तथा कार्यालय आदि हेतु स्थान बनाया जायेगा । इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों हेतु आवासों के दो ब्लाक मौके पर बनाया जायेगा जिसमें लगभग 64 आवास होंगे । राज्य सम्पत्ति विभाग को यह आफर दे दिया गया है कि यदि वे चाहें तो इन आवासों को क्रय कर सकते हैं । इस योजना के अनुसार मौके पर से अतिक्रमण अब हटा लिये गये हैं और जैसा कि सभा-कक्षा में ले-आउट प्लान प्रस्तुत कर दिया गया है । उसके अन्तर्गत विकास कार्य प्रगति पर है और भूमि को अतिक्रमण से रोकने के लिये आवश्यक

क्रमणः—

स्थल विकास का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है ।

3- कानपुर रोड नगर विकास योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक केन्द्र की स्थापना

कानपुर रोड नगर विकास योजना एक बड़ी योजना है और इसमें सब मिलाकर लगभग 4,000 एकड़ क्षेत्र पर निर्माण तथा विकास कार्य किया जाना है । अबतक लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्र को लिया गया है जिसके अन्तर्गत व्यापक स्तर पर विकास तथा निर्माण कार्य हो रहा है । कानपुर रोड के सहारे दोनों नहरों को पार करते ही लगभग 90 एकड़ का एक क्षेत्र इस स्थल का टाउन-सेन्टर $\{$ व्यवसायिक केन्द्र $\}$ के रूप में विकसित किया जा रहा है । इस क्षेत्र में कुछ कार्यालय आदि स्थापित करना आवश्यक होगा जिससे योजना में निर्माण तथा विकास कार्य के साथ साथ इस स्थल पर व्यवसाय भी उपलब्ध हों और इस स्थल पर रहने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवसाय आदि हेतु नगर के मध्य भाग पर ही निर्भर न रहना पड़े । इसे ध्यान में रखाकर इस पूरे क्षेत्र में से प्रस्तावित 90 एकड़ क्षेत्र को व्यवसायिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है । सर्व प्रथम लगभग 8-10 एकड़ क्षेत्र में कुछ विकास तथा निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव है । इसमें से कुछ क्षेत्र को विकसित करके भूमि का विक्रय किया जायेगा जिससे व्यक्तिगत पूँजी के साथ इस क्षेत्र का व्यवसायिक केन्द्र, कपुरथाला मार्केटिंग काम्प्लेक्स की भाँति विकसित किया जाये परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी सर्वप्रथम कुछ न कुछ विकास तथा निर्माण कार्य करना होगा जिससे कि अन्य व्यक्ति भी इस दिशा में योगदान देना प्रारम्भ करें । प्रस्ताव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक बहुमन्जिले कार्यालय भवन का निर्माण इस स्थल पर कराया जाये और यह निर्माण कराने के पूर्व विभिन्न कार्यालयों की आवश्यकता को अँकते हुए उनसे पंजीकरण आदि करा लिया जाये अथावा शासन स्तर पर ही कुछ कार्यालय इस स्थल पर स्थापित करने हेतु आदेश पारित कराने का प्रयास किया जाये । इस प्रकार से इस क्षेत्र में एक बहुमन्जिले व्यवसायिक केन्द्र तथा कार्यालय भवन के निर्माण करने का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

4- छितवापुर व्यवसायिक काम्प्लेक्स

छितवापुर क्षेत्र में विधान सभा मार्ग के सहारे एक स्थल उपलब्ध था जिसको विकसित करने के लिये विगत आठ-दस वर्षों से प्रयास चल रहा है । इस योजना को पंजीकरण हेतु प्रकाशित किया गया था और लगभग तीन सौ $\{$ 300 $\}$ दुकानों का पंजीकरण हो चुका है । सब मिलाकर लगभग 350 दुकानें निर्माणाधीन हैं । इसके अतिरिक्त यह भवन तीन मन्जिला शापिंग काम्प्लेक्स के साथ ही साथ सब मिलाकर चौदह मन्जिला भवन होगा जिसमें कि कार्यालय भवन स्थापित किया जायेगा । कार्यालय भवन को बल्क सेल के आधार पर निस्तारित करने का

प्रस्ताव है और रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, फूड कॉर्पोरेशन आफ इन्डिया तथा कुछ अन्य संस्थाओं से भी पत्र व्यवहार चल रहा है। ऐसी सम्भावना है कि निकट भविष्य में इस पूरे कार्यालय भवन को बल्क सेल के आधार पर निस्तारित कर दिया जायेगा जिसके अधीन प्राधिकरण को लाभ भी प्राप्त होगा। इस योजना के विषय में संक्षिप्त आकड़े निम्नांकित हैं:-

1-	योजना पर आने वाली लागत	:	लगभग 2.00 करोड़ ₹ मूल आगुणन 1.64 करोड़ ₹ का है ₹
2-	दुकानों की संख्या	:	350 ₹ लगभग ₹
3-	निर्मित भवन क्षेत्रफल	:	एक लाख वर्गफिट ₹लगभग ₹
4-	निर्माण करने वाली एजेंसी का नाम	:	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
5-	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	:	1 दिसम्बर, 1982
6-	कार्य पूरा होने की अवधि	:	15 माह ₹ अर्थात् मार्च, 1984 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाने की आशा है ₹

बुकिंग आदि करते समय पुर्नवास सम्बन्धी योजना का ध्यान रखा गया है और इस कॉम्प्लेक्स में अब भी लगभग 50 दुकानें इस हेतु उपलब्ध हैं जिसमें कि पुर्नवास के दृष्टिकोण से जिनका उपयोग किया जा सकेगा। योजना पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है।

5- ला-प्लास क्षेत्र में बहुमन्जिले आवासीय भवनों का निर्माण

लखनऊ नगर में विधान सभा मार्ग तथा अज्ञोक मार्ग के समीप बड़े-बड़े कार्यालय स्थापित हैं और दिन प्रतिदिन इन कार्यालयों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इस स्थल पर पर्याप्त आवासीय सुविधा न होने के कारण इन कार्यालयों में कार्य करने वाले व्यक्ति नगर से बाहर दूर स्थानों पर रहते हैं और प्रतिदिन कार्यालय में आने जाने में अनावश्यक ट्रैफिक में वृद्धि होती है और इन व्यक्तियों को भी असुविधा होती है। इसको ध्यान में रखाकर यह उचित समझा गया कि संस्थाओं के लिये आवासीय कालोनी की बुकिंग खोली जाये। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही साथ संस्थागत आवासों हेतु पंजीकरण झोला गया था और इस हेतु रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, उत्तर-प्रदेश जलनिगम तथा अन्य अनेक संस्थाओं ने एवं इसके साथ साथ कुछ व्यक्तियों ने भी अपने पंजीकरण कराये हैं। इस योजना के स्वतः वित्त-पोषित होना सुनिश्चित है और इसी कारण निर्माण तथा विकास कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। इस स्थल पर लखनऊ विकास प्राधि-करण का एक भूखण्ड गद्दे के रूप में पड़ा था जिसको विकसित करके इस योजना के उपयोग में लाया जायेगा। समीप में ही कुछ नवूल भूमि भी

उपलब्ध है जिसपर अतिक्रमण होने का भय बना रहता है । शासन से अनुरोध किया गया है कि उक्त भूमि को भी इसी योजना हेतु समर्पित कर दें जिससे कि सम्पूर्ण क्षेत्र को विकसित करके यह बहुखाण्डी भवन बनाया जा सके ।

इस योजना में 144 फ्लैट्स निर्मित किये जायेंगे । अनुमानित लागत लगभग 221 लाख रुपये की है । योजना की अभिकल्पना का कार्य मे० छावरा ब्रदर्स ऐण्ड ऐसोसियेट्स, नई दिल्ली को सौंपा गया है । इस योजना का निर्माण कार्य मे० विग ऐण्ड सन्स को न्युनतम निविदा के आधार पर दिया गया है ।

चूँकि बहुखाण्डी भवनों के विषय में अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय कन्ट्रैक्टर्स एवं बिल्डर्स पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सके हैं और इस योजना से लखनऊ विकास प्राधिकरण बहुमन्जिले भवनों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुभारम्भ करने जा रहा है, अतः ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट एवं कन्ट्रैक्टर्स की ही सेवायें जन-हित में ली गई हैं । इस विषय में अबतक की गई व्यवस्था पर स्वीकृति तथा योजना पर सामान्य स्वीकृति हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेशों अपेक्षित हैं ।

6- बटलर पैलेस कालोनी तथा गोमती बन्धा के बीच में उपलब्ध भूखण्ड पर निर्माण तथा विकास कार्य

बटलर पैलेस कालोनी के पीछे से शमशान घाट जाने वाली सड़क के सहारे बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गये हैं । सड़क के दूसरी ओर भी जो नज़ूल भूखण्ड अबतक उपलब्ध हैं उसमें बड़ी संख्या में अतिक्रमण होने की सम्भावना बनी रहती है । इस स्थल पर मलिन बस्ती को रोकने के हित में इसका विकास तथा निर्माण कार्य अत्यावश्यक है । यह भूखण्ड गड्ढे के रूप में है और बहुमन्जिले भवन के अलावा अन्य प्रकार का निर्माण इस भूखण्ड में प्रभावकारी नहीं है । चूँकि इस क्षेत्र की स्थिति हज़रतगंज क्षेत्र के समीप है अतः परिकल्पित यह है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति तथा संस्थायें भवनों को प्राप्त करने हेतु सामने आवेंगी, इसे ध्यान में रखाकर इस स्थल पर बहुखाण्डी भवन बनाये जाने के प्रकरण पर विचार किया जा रहा है । इस बात की पूरी सम्भावना है कि यदि इस योजना पर विकास तथा निर्माण कार्य किया जाता है तो मलिन बस्ती बनने से रोका जा सकेगा, नज़ूल भूमि का सदुपयोग हो सकेगा तथा नगर के मध्य क्षेत्र में जहाँ पर कि कार्यालय भवनों की बहुल्यता और आवासीय भवनों की कमी है वहाँ पर एक सन्तुलन कायम हो सकेगा और अधिक से अधिक आवासीय फ्लैट्स उपलब्ध हो सकेंगे । इस परिपेक्ष्य में यह योजना प्रस्तावित है ।

जैसा कि ऊपर ला-प्लास योजना के विषय में उल्लेख किया गया है, इस योजना हेतु मे० मेहता गाँधी ऐण्ड ऐसोसियेट्स ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट की सेवायें प्राप्त की गई हैं जिन्होंने योजना का एक स्वस्थ प्रस्तुत किया है । इसके अतिरिक्त राजकीय निर्माण निगम ने भी इस योजना की अभिकल्पना कर ली है और उनके द्वारा भी प्लान आदि प्रस्तुत किये गये हैं । स्वयत्त पोषित योजना के अधीन साधानों की उपलब्धता तथा

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सँसाधानों को ध्यान में रखाकर इस योजना पर क्रमशः निर्माण तथा विकास कार्य किया जायेगा । योजना पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

7- विधान भवन के सामने विशेषर नाथा रोड पर वर्तमान आर०एफ०सी० कार्यालय के परिसर में बहुखण्डी कार्यालय भवन बनाये जाने की योजना

इस योजना हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है । चूँकि यह स्थल विधान भवन के सामने स्थित है और यहाँ पर कोई कार्यालय भवन आदि न बनाये जाने से कोई न कोई प्राइवेट पार्टी द्वारा इस स्थल पर निर्माण कार्य कराये जाने की सम्भावना बनी रहती है । अतः उचित यह समझा गया कि शासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखाकर ही इस स्थल पर एक कार्यालय भवन बनाया जाये जिससे कि सरकारी कार्यालय अधिक से अधिक विधान भवन के समीप स्थापित हो सकें । इस स्थल पर जो भी कार्यालय भवन बनाया जायेगा उसे स्ववित्त पोषित करने का प्रस्ताव है ।

8- गोमती नगर क्षेत्र में सरकारी निगमों के कार्यालयों को स्थापित करने हेतु कार्यालय भवन बनाये जाने की योजना ।

गोमती नगर क्षेत्र में सरकारी निगमों के कार्यालयों का एक कॉम्प्लेक्स बनाये जाने का प्रस्ताव है । लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी कार्यालय उक्त स्थल पर ही स्थापित करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । गोमती नदी तथा गोमती नगर योजना के बीच स्थित लगभग 250 एकड़ क्षेत्र को हरा धारा ही रखने का प्रस्ताव है और इसी क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे कार्यालय भवन बनाया जाना नगर की सुन्दरता तथा आवश्यकताओं के अनुसम होगा । लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय तथा कुछ अन्य निगमों के कार्यालय भी इस स्थल पर बनाये जा सकते हैं । इस प्रस्ताव पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

उपरोक्त योजनाएँ जो कि व्यवसायिक केन्द्रों तथा कार्यालय भवनों आदि से सम्बन्धित हैं, पर प्राधिकरण के आदेश अपेक्षित हैं ।

विषय संख्या: 13 "क"

पृष्ठ संख्या: 1

विषय: बटलर पैलेस कालोनी के समीप स्थित
बहुखाण्डी आवास योजना ।

X=X=X=X=X=X=X=X

बटलर पैलेस कालोनी तथा गोमती बन्धा के बीच गड्ढे के स्म में लगभग 6 एकड़ का एक नज़ूल भूखाण्ड स्थित है । यह भूखाण्ड निचले गड्ढे के स्म में है और बाढ़ के दिनों में पहले यहाँ पानी भर जाता था परन्तु अब गोमती नदी में बाढ़ सुरक्षा योजना कार्यान्वित हो जाने के उपरान्त अब यह स्थल बाढ़ से सुरक्षित हो गया है । चूँकि यह स्थल हज़रतगंज क्षेत्र के समीप स्थित है, अतः यह उचित समझा गया कि इस स्थल पर एक बहुखाण्डी आवासीय भवन बनाया जाये जिससे कि व्यक्ति-गत तथा सँस्थागत आवासीय समस्या का समाधान हो सके ।

आर्किटेक्ट के पैनल में पंजीकृत मे० मेहता गॉंधी ऐण्ड ऐसोसियेट्स को इस योजना के अधिकल्पना तथा आगणन आदि बनाने का कार्य सौंपा गया । मे० मेहता गॉंधी ऐण्ड ऐसोसियेट्स ने 24 तीन मन्जिले तथा 144 12 मन्जिले, इस प्रकार से सब 168 फ्लैट्स के निर्माण किये जाने का मानचित्र तथा प्रारम्भिक आगणन प्रस्तुत किया । योजना का प्रारम्भिक आगणन 207.00 लाख रुपये अनुमानित है । इस योजना का भी प्रकाशन ला-प्लास योजना के साथ ही कर दिया गया था और ला-प्लास योजना में सशर्त पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट्स उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त लगभग 62 पंजीकरण ऐसे हैं जिनको कि इस योजना में भवन उपलब्ध कराये जाने हैं । इस प्रकार से निर्माण कार्य प्रारम्भ होते ही योजना में पुनःपंजीकरण खोले जाने के उपरान्त यह योजना स्वतः वित्त पोषित हो जाने की पूरी आशा है ।

इस योजना हेतु निर्माण कार्य का टेन्डर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया और एक माह का समय देकर 25 मई, 1983 हेतु निविदायें माँगी गईं । इस हेतु उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम सहित चार अन्य कन्ट्रैक्टर्स ने अपनी निविदायें दी हैं । यह निविदायें अशर्त विचाराधीन हैं और इनपर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

उपरोक्त सुरक्षा पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

विषय: ला-प्लास क्षेत्र में बहुमनिजले आवासीय भवनों का निर्माण ।

X=X=X=X=X=X=X=X

हरतगंज के समीप स्थित ला-प्लास क्षेत्र में आकर्षक स्थल पर लगभग 40,000 वर्गफिट लखानऊ विकास प्राधिकरण की भूमि निचले गड्ढे के रूप में उपलब्ध है । इसी भूमि के बगल में लगभग 60,000 वर्गफिट भूमि नजूल की है । यह पूरी भूमि निचले क्षेत्र के रूप में है और वर्षा ऋतु में जब कभी भारी बाढ़ आती है तो यदा-कदा डूबने की भी आशांका बनी रहती है परन्तु सामान्यतया लखानऊ में बाढ़ योजना लागू हो जाने के उपरान्त अब यह स्थल बाढ़ से सुरक्षित हो गया है हालांकि नियला होने के कारण इसका विकास अभी तक नहीं हो पाया है । बाढ़ से सुरक्षित होने के कारण अब इस स्थल को यदि विकसित नहीं किया गया तो ऐसी सम्भावना है कि इस स्थल पर भी मलिन बस्ती बस जायेगी । इसको ध्यान में रखाते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखाकर कि अभी तक लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थागत आवासों हेतु कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं लाई गयी है, यह उचित समझा गया कि इस स्थल पर एक बहुमनिजला भवन बनाया जाए जिसमें कि आवासीय फ्लैट्स विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं को उपलब्ध कराये जायें । पृष्ठित भूमि में यह योजना तैयार की गई और योजना के विषय में निम्नांकित विवरण विशेष रूप से विचारणीय है।

इस स्थल पर निर्माण कार्य के लिये आर्किटेक्ट्स के पैनल में अंकित 50 डाबरा ब्रदर्स स्पड ऐसोसियेट्स को यह कार्य सौंपा गया । उनके द्वारा स्थल का अध्ययन करने के उपरान्त एक मानचित्र तथा आगणन प्रारम्भिक प्रस्तुत किया गया । आगणन का विवरण निम्नांकित है :-

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1- | भावन के सिविल कार्य पर अनुमानित लागत
1981 के पी0डब्लू0डी0शिड्युल के
आधार पर | 90.89 लाख (लगभग) |
| 2- | पाइल फाउन्डेशन आदि पर हेतु | 40.00 लाख (लगभग) |

इस प्रकार योजना पर पी0डब्लू0डी0 के 1981 के शिड्युल पर लगभग 131.00 लाख रुपये का प्रारम्भिक आगणन प्रस्तुत किया गया । इस प्रारम्भिक आगणन को आधार मानते हुए कास्ट एकाउन्टेन्ट कम इकोनामिक प्लानर ने सैलन आख्या के अनुस्य प्रत्येक फ्लैट का 2.60 लाख रुपये कीमत आँकी है । इसमें प्राधिकरण का लाभांश तथा प्रशासकीय व्यय आदि सम्मिलित है ।

इस योजना के वित्तीय पोषण के हित में सभावार पत्रों के माध्यम से पंजीकरण हेतु फरवरी, 1983 में योजना प्रकाशित की गई । इस योजना का प्रकाशन करते समय यह शर्त रखी गई थी कि इसके साथ बटलर पैलेस योजना के भी फ्लैटों का भी पंजीकरण किया जायेगा और वरीयता क्रम में इस योजना तथा बटलर पैलेस योजना के फ्लैट्स पंजीकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जायेंगे । ला-प्लास योजना में 144 फ्लैट्स निर्माण करने

का प्रस्ताव है और अबतक इस योजना हेतु 201 पंजीकरण हो चुके हैं। इस प्रकार से वित्तीय दृष्टि से इस योजना का पोषाण सुनिश्चित है क्योंकि यह पूरे फ़ैदस स्वतः वित्त पोषित योजना के अधीन निर्मित किये जा रहे हैं। लगभग 152 फ़ैदस संस्थाओं से सम्बन्धित हैं और शोषा फ़ैदस विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत कराये गये हैं। पंजीकृत व्यक्तियों में 152 पंजीकरण तो कैश-डाउन के आधार पर हैं और शोषा स्वतः वित्त पोषित योजना के अधीन पंजीकरण कराये गये हैं और इन व्यक्तियों द्वारा भी अल्पावधि में ही क्लिंटों में धानराशि जमा कर दी जावेगी।

राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने के उपरान्त इस योजना की निविदायें दिनांक 5 अप्रैल, 1983 को माँगी गईं। इस प्रकाशन के क्रम में निम्नांकित दो निविदायें प्राप्त हुईं :-

- 1- मे० विंग रेण्ड सन्स, कानपुर
- 2- मे० सेठी ब्रदर्स, नई दिल्ली

मे० विंग रेण्ड सन्स की निविदा पाइल फाउन्डेशन छोड़कर शोषा सिविल कार्य के लिये 1981 के पी०डब्लू०डी० शेड्यूल पर 117 प्रतिशत पर थी जबकि मे० सेठी ब्रदर्स की निविदा इसी कार्य हेतु 123 प्रतिशत पर 1981 के पी०डब्लू०डी० शेड्यूल पर थी।

न्यूनतम निविदा होने के आधार पर मे० विंग रेण्ड सन्स का टेन्डर स्वीकार कर लिया गया और दिनांक 6 मई, 1983 को इनको वर्क-आर्डर दे दिया गया।

मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और एक ब्लाक के नीव आदि की खुदाई आदि चल रही है। उपरोक्त प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है।

P.No.4

STATEMENT SHOWING TENTATIVE COSTING OF ONE
FLAT LAPLACE (AS PER TENDER RECEIVED)

1.	Covered Area of one block (72 Flats) :-	88,041.576 Sft.
2.	Covered Area of one flat:-	1222.9997 Sft.
	Say	1223.00 Sft.
3.	No of Storeys :-	12
4.	Total No of Flats :-	144
	Total Construction Cost :- (As per Tender Received)	Rs. 221.04 Lacs
	Construction Cost of one Flat	= $\frac{221.04}{144}$
		Rs. 1.535 Lacs
	Say	Rs. 1.54 Lacs
		<u>Rs. in Lacs</u>
(i)	Construction Cost (As per Tender)	1.54
(ii)	Provision for Extra Items @ 5%	$\frac{0.08}{1.62}$
(iii)	Work Charge @ 1/2%	$\frac{0.01}{1.63}$
(iv)	Administrative Charges @ 10%	$\frac{0.16}{1.79}$
(v)	Maintenance Charges @ 1%	$\frac{0.02}{1.81}$
(vi)	Profit @ 10%	$\frac{0.18}{1.99}$
(vii)	Cost of Lard (for 1223.00 Sft @ Rs 50.00 per Sft.)	$\frac{0.61}{2.60}$
	Sale Price	<u>2.60</u>

अतीगंज योजना के अन्तर्गत सेक्टर " एच " में व्यवसायिक केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में

राजमऊ शहर का विकास गत वर्षों में बहुमुखी रूप में नगर के चारों ओर तीव्र गति से हो रहा है। नगर की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियोजित व्यवसायिक केन्द्रों की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से राजमऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतीगंज आवास योजना के अन्तर्गत कूपरशला व्यवसायिक केन्द्र की स्थापना की गई है। इस उद्देश्य की दूसरी कड़ी अतीगंज योजना के अन्तर्गत ही सेक्टर "एच" के व्यवसायिक केन्द्र की योजना है, जो प्रस्तावित की गई है। यह क्षेत्र अतीगंज योजना के आवासीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है।

2. प्रस्तावित स्थल के पूर्व में 40 फुट चौड़ी सड़क पश्चिम में आवासीय झुण्ड, दक्षिण में 100 फुट चौड़ी सड़क तथा उत्तर में एक संस्था को दी गई भूमि स्थित है। चूंकि उक्त सेक्टर के दक्षिण में 100 फुट चौड़ी सड़क है जो कि निवासियों की दृष्टि से व्यवसाय के लिये उपयुक्त है।

3. इस योजना में सुविधाजनक पार्किंग के लिये स्थान बनाये गये हैं। अभिकल्पन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि वाहनों का प्रवेश एवं नििकास अलग अलग हो। इस केन्द्र में छोटे - छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यवसाय हेतु भू-तल पर दुकानों का प्राविधान प्रस्तावित है। तदोपरान्त यह विधित किया गया है कि दुकानों के ऊपर के तल कार्यालय हेतु उपयोग में लाये जाय।

4. उपरोक्त केन्द्र में सौन्दर्य की दृष्टि में एक पार्क का भी प्राविधान है जो कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी तथा इस योजना का एक आकर्षण होगी।

5. योजना का कुल क्षेत्र 13682 वर्ग मी० है जिसमें भू-आच्छादित क्षेत्रफल 4905 वर्ग मी० है जो कुल क्षेत्रफल का 31.28 प्रतिशत है। प्रस्तावित एफ.ए.आर. 100 है। कुल आच्छादित क्षेत्रफल 15192 वर्ग मी० है।

6. योजना की कुल लागत रु० 23.60 लाख आती है। इसमें 33 प्रतिशत लागत लागू लगाया गया है और इस प्रकार विक्रय मूल्य रु० 31.39 लाख आता है। योजना की संपूर्ण इकोनामिक्स संतुल्य है।

7. प्राधिकरण कृपया विचार करें कि निर्णय लेने का कष्ट करें।

8/14/02/03

SECTOR 'H' COMMERCIAL PROJECT ALIGANJ SCHEME

STATEMENT SHOWING AREA CHART

Total area of the scheme	15682 Smt.
A. Non saleable area :-	
(i) Under Green belt	4039 Smt.
(ii) Under Parking	1194 Smt.
(iii) Under Path way	5544 Smt.
B. Saleable area	4908 Smt.
C. <u>Distribution of saleable area :-</u>	
Block No.1	576 Smt.
Block No.2	675 Smt.
Block No.3	540 Smt.
Block No.4	432 Smt.
Block No.5	540 Smt.
Block No.6	540 Smt.
Block No.7	460 Smt.
Block No.8	245 Smt.
Block No.9	270 Smt.
Block No.10	630 Smt.

STATEMENT SHOWING COST OF PROJECT

	<u>Rs. in lacs</u>
1. Cost of Development (as per information given by E.E.4)	13.78
2. Escalation @ 10%	<u>1.38</u>
	15.16
3. Work charge & contingency @ 5%	<u>0.76</u>
	15.92
4. Administrative and general charges @ 12%	<u>1.91</u>
	17.83
5. Routine and special Maintenance charges @ 5%	<u>0.89</u>
	18.72
6. Interest @ 16% (for 6 months)	<u>1.50</u>
	20.22
7. Cost of raw land (for 15682 Smt. @ Rs.21.53 per Smt. i.e., Rs.2/- per Sft.)	<u>3.38</u>
	23.60
8. Profit @ 33%	<u>7.79</u>
	<u>31.39</u>
Sa-le price=	

SECTOR 'H' COMMERCIAL PROJECT ALIGANJ SCHEME
 DETAILS OF AREA GROUND COVERAGE & F.A.R.

Sl. No.	Block No.	GCV	Base-ment	Ground floor	First floor	Second floor	Third floor	Total (Sqm.) area	Remark
1.	1	576	-	576	576	-	-	1152	
2.	2	675	675	675	675	-	-	2025	
3.	3	540	-	540	540	540	-	1620	
4.	4	432	432	432	432	432	432	2160	
5.	5	540	540	540	540	540	540	2700	
6.	6	540	-	540	540	540	-	1620	
7.	7	460	460	460	460	-	-	1380	
8.	8	245	245	245	245	-	-	735	
9.	9	270	-	270	270	-	-	540	
10.	10	630	-	630	630	-	-	1260	
		4908	2352	4908	4908	2052	972	15192	
			$\frac{3}{7056}$	$\frac{4}{19632}$	$\frac{2}{9816}$	$\frac{2}{4104}$	$\frac{1.5}{1458}$	42066	

Total cost of project 3139000

Total loaded area 42066

Cost per Smt. $\frac{3139000}{42066}$ Rs.74.62 Per Smt.

Say Rs.74.75 Per Smt.

SECTOR 'H' COMMERCIAL PROJECT ALIGANJ SCHEME
STATEMENT OF COST BASED ON WEIGHTAGE

Sl. No.	Block No.	Basement		Ground floor		First floor		Second floor		Third floor		Total Sale price	Rate per Smt.	Proposed minimum Reserve Price	Remark
		Area in Smt.	Cost	Area in Smt.	Cost	Area in Smt.	Cost	Area in Smt.	Cost	Area in Smt.	Cost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Rs.		Rs.	
1.	1	-	-	576	172224	576	86112	-	-	-	-	258336	448.50	2.60	
2.	2	675	151369	675	201825	675	100913	-	-	-	-	454107	672.75	4.55	
3.	3	-	-	540	161460	540	80730	540	80730	-	-	322920	598.00	3.25	
4.	4	432	96876	432	129168	432	64584	432	64584	432	48438	403650	934.36	4.05	
5.	5	540	121095	540	161460	540	80730	540	80730	540	60548	504563	934.38	5.05	
6.	6	-	-	540	161460	540	80730	540	80730	-	-	322920	598.00	3.25	
7.	7	460	103155	460	137540	460	68770	-	-	-	-	309465	672.75	3.10	
8.	8	245	54941	245	73255	245	36628	-	-	-	-	164824	672.75	1.65	
9.	9	-	-	270	80730	270	40365	-	-	-	-	121095	448.50	1.25	
10.	10	-	-	630	188370	630	94185	-	-	-	-	282555	448.50	2.85	
		2352	527436	4908	1467492	4908	733747	2052	306774	972	108986	3144435		31.60	

विषय संख्या: 14

पृष्ठ संख्या: 22

विषय: आवास सचिव के अर्ध शताब्दीय पत्र संख्या
781/पी0एस0/एन0वी0एस0/83, दिनांक 15-6-83
के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य-क्षेत्र
में स्थित किराये पर आवंटित होने वाले भवनों
के विषय में नीति का निर्धारण ।
x=x=x=x=x=x=x=x=x

अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आने वाले किराये के भवनों के विषय में इस नीति का अनुसरण किया जा रहा है कि जब भी नये आवन्टी को भवन आवंटित किया जाये तो भवन का पुराना बकाया किराया प्राप्त करके ही नये आवन्टी को भवन का कृष्णा दिया जाये । यह नियम सम्भवतः इस आधार पर बनाया गया था कि किराये के भवनों में जो लम्बा किराये का बकाया चला आता है वह नया आवन्टी स्वेच्छा से दे दे और प्राधिकरण को वित्तीय लाभ होने के साथ-साथ आवन्टी की सुविधा ऐसे ही व्यक्ति को दी जाये जो कि अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार वहन कर सके । क्योंकि किराये के भवनों को आवन्टी करने की स्पष्ट नियमावली नहीं बनी हुई है, अतः इस प्रकार का प्रबन्ध अभी तक चलता आ रहा है । अधिकांश लोग इसका अनुपालन भी कर रहे हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाले किराये के भवनों के विषय में पहले ही बिक्रय करके प्राधिकरण के विकास हेतु मूल पूँजी सृजित करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष तथा प्राधिकरण के समक्ष भी समय-समय पर विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है परन्तु अभी तक इसपर निर्णय नहीं हो सका है ।

इसी क्रम में आवास सचिव का अर्ध शताब्दीय पत्र संलग्नक "क" प्राप्त हुआ है जिसके अधीन इस नीति को उचित न बतलाते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि अबतक चल रही प्रणाली को बदल दिया जाये । इस परिपेक्ष्य में यह प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचार तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

उपाध्यक्षा, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित
 सचिव, आवास एवं नगर विकास के अर्धा शासकीय
 पत्र संख्या: 781/पी०एस०/एन०वी०एस०/83, दिनांक
 15 जून, 1983 की प्रतिलिपि।

x=x=x=x=x=x=x=x

आपको स्मरण होगा कि दिनांक 10 जून, 1983 को सचिव, मुख्य मन्त्री जी के कक्षा में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो यह नियम बनाया गया है कि उनके द्वारा आवन्टित व्यक्तियों से भवन अथावा दूकान का पूर्व आवन्टियों के उमर अवशेष किराया भी लिया जायेगा, पर पुर्नविचार किया जायेगा और नियम में संशोधन कर दिया जायेगा। जैसा कि मैंने बैठक में कहा था कि प्रथमदृष्टया यह नियम उचित नहीं प्रतीत होता। इस सम्बन्ध में मैं एक पत्र आपको पूर्व में भी लिखा चुका हूँ अतः यह उचित होगा कि इस नियम को जो न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है, को विकास प्राधिकरण द्वारा बदल दिया जाये। आपको यह भी स्मरण होगा कि सचिव, मुख्य मन्त्री जी के कक्षा में हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही 30 जून, 1983 तक समाप्त कर ली जायेगी। कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रति लिपि

विषय:- प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट " ए " जोन 4 & हजरतगंज क्षेत्र & के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में

लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत हजरतगंज क्षेत्र जो प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "ए" जोन 4 के अन्तर्गत आता है उसका एक जोनल डेवलपमेन्ट प्लान बनाया गया था । इस जोनल डेवलपमेन्ट प्लान पर सुझाव/ आपत्तियों के आमन्त्रण के लिये दिनांक 14.5.82 को विकास प्राधिकरण की बैठक के मद संख्या 6 में स्वीकृति की गयी तथा इसकी सूचना 10.12.82 को स्थानीय तीन अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी । इस प्रस्तुत जोनल डेवलपमेन्ट प्लान पर जो आपत्तियों/ सुझाव प्राप्त हुए उनकी सुनवाई 3.1.1983 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी । जनता द्वारा जो आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये उसके पश्चात संशोधित जोनल डेवलपमेन्ट प्लान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, तथा इस प्लान को शासन से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्वीकृति अपेक्षित है ।

विषय:- प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "बी" जोन 4 निरालानगर व जोन 5 ४ महानगर
एवं महानगर विस्तार ४ के संशोधित जोनल डेवलपमेन्ट प्लान की स्वीकृति
के सम्बन्ध में ।

लखनऊ महायोजना के प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट "बी" में जोन न. 4 निरालानगर एवं उससे सम्बन्धित आबादी क्षेत्र तथा जोन न. 5 महानगर एवं महानगर विस्तार तथा उससे सम्बन्धित आबादी क्षेत्र के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के प्रारूप तैयार किये गये थे, तथा उस पर विकास प्राधिकरण की बैठक 18.2.83 की विषय संख्या पांच में लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित जोनल डेवलपमेन्ट प्लान पर जनता की आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु स्वीकृति दी गयी थी । इसकी विज्ञापित स्थानीय "नार्दन इण्डिया पत्रिका " बुधवार 2 मार्च 1983 में की गयी थी जिस पर जनता द्वारा आपत्ति / सुझाव की सुनवाई 19.4.83 को की गयी । इस प्रकार जनता से प्राप्त आपत्ति/ सुझाव के सुनने के पश्चात् संशोधित जोनल डेवलपमेन्ट प्लान जोन 4 जोन 5 शासन से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति प्रस्तुत है ।

विषय:- लखानऊ कानपुर रोड नगर प्रसाद योजना के सेक्टर"डी" में उच्च आय वर्गीय एक मंजिले प्रथम श्रेणी के 50 भावन एवं उच्च आय वर्गीय एक मंजिले द्वितीय श्रेणी के 100 भावनों की संयुक्त योजना आवास तथा नगर विकास निगम नई दिल्ली, को आवश्यक ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत करना ।

लखानऊ कानपुर रोड नगर प्रसाद योजना के सेक्टर"डी" लगभग विकसित किया जा चुका है जिसमें उउरोक्त श्रेणी के भावनों का प्राविधान किया गया है एवं स्थल उपलब्ध हैं । इन श्रेणी के भावनों के लिये पंजीकरण किया जा चुका है शेष भावनों के लिये पंजीकरण शीघ्र ही किया जायेगा जनता की मांग पर्याप्त संख्या में आने की प्रबल सम्भावना है । प्रथम श्रेणी के भावनों का निर्माण 2852.5 वर्गफिट $\{ 40'-9" \times 70'-0" \}$ अर्थात् 264.95 वर्ग मी० के भूखण्ड पर तीन कमरों का निर्माण एवं द्वितीय श्रेणी के भावनों का निर्माण $\{ 32'-3" \times 61'-9" \}$ अर्थात् 1992 वर्ग फिट अर्थात् 185 वर्ग मी० के भूखण्ड पर 3 कमरों का निर्माण किया जायेगा । जिनकी निर्माण लागत क्रमशः रू०- 75,124=00 एवं रू०- 75,006=00 प्रति भावन अनुमानित है । तदनुसार प्रति भावन बिक्रय मूल्य रू०- 1,25,000/= के अन्तर्गत रखा जाना प्रस्तावित है । योजना की लागत रू०- 1,12,59,300/= अर्थात् रू०- 1,12,60,000 के अन्तर्गत है । उपरोक्त योजना आवास तथा नगर विकास निगम लि० नई दिल्ली को प्रेषित कर दी गयी है । जिसकी स्वीकृति एवं अनुमोदन अपेक्षित है ।

विषय:-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु आयोजित
कानपुर रोड़ योजना के अन्तर्गत सेक्टर-डी-1 में
विभिन्न प्रकार के भावनों का निर्माण।
-:-:-:-:-

सेक्टर-डी-1 कानपुर रोड़ योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार
के भावन प्रस्तावित हैं:-

1.	साइट एण्ड सर्वेसिंग	-	1179
2.	ई0डब्लू0 एस0	-	894
3.	मिनी एम0 आई0जी0	-	507
4.	एम0 आई0 जी0	-	436
5.	प्लानट	-	142

उपरोक्त भावनों के निर्माण हेतु " हऊको " दिल्ली में
5 योजनायें स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी हैं तथा इनकी तकनीकी जाँच हऊको
में की जा चुकी है तथा आगामी तीन माह में धारणा प्राप्त हो गी।
विकास कार्यो तथा भावन निर्माण को शामिल करते हुये प्रोजेक्ट का कुल
मूल्य लगभग ४०- 3.27 करोड़ है। शासन से धारण्टी भी प्राप्त करवा
है जिसके लिये सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राधिकरण की ओर
से हस्ताक्षर करने के लिये अधिकाृत किया जाना एवं उपरोक्त प्रोजेक्ट की
स्वीकृति वाँछनीय है। भावनों के विक्रय के लिये रजिस्ट्रेशन चला हुआ है।
तथा पंजीकरण जारी है। संस्थागत आवासीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु
भी इन भावनों की आवश्यकता होगी। अतः इस योजना के कार्यान्वयन
का विशेष महत्व है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 जून 1983 के समक्ष विचारार्थ आख्या
अनुपूरक विषय :- श्री सै० मोदी, बैडमिंटन खिलाड़ी को लखनऊ
सि. २५ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराया जाना ।

=====

श्री सै० मोदी, बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने पत्र दिनांक
4 जून 1983 द्वारा भवन निर्मित किए जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराये
जाने का अनुरोध किया है । वे लखनऊ में ही बसना चाहते हैं ।
उन्होंने सूचित किया है कि "कामनवेल्थ गेम्स, बिस्बेन-1982" के
विजेता होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एक लाख रुपये
का पारितोषिक भी प्रदान किया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन सामान्य को भूमि-भवन
आवंटित किए जाने हेतु स्पष्ट नियम हैं और इस हेतु प्राधिकरण द्वारा
घोषित स्कीम में पंजीकृत व्यक्तियों को लाटरी के आधार पर भूमि
अथवा भवन आवंटित किए जाते हैं । श्री सै० मोदी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति
प्राप्त खिलाड़ी हैं और लखनऊ के लिए यह सौभाग्य की बात होगी कि
इनकी श्रेणी का खिलाड़ी लखनऊ में निवास करे ।

इस परिपेक्ष्य में यह प्रस्तावित है कि श्री सै० मोदी को
पंजीकरण एवं लाटरी की प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए एक उपयुक्त
भूखण्ड गोमती नगर योजना या कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत जहाँ
भी वह स्वीकार करें, निर्धारित दर अदा करने की शर्त पर आवंटित
की जाये ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

2- बैटरमेन्ट_टैक्स- विकसित तथा अविकसित क्षेत्रों में बैटरमेन्ट शुल्क लगाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण एक्ट की धारा 35 एवं 36 में प्राविधान है। धारा 35 के अंतर्गत निम्न लिखित प्राविधान है ।

विकास प्राधिकरण द्वारा योजना को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित क्षेत्र की जमीन के मूल्य में जितनी वृद्ध होगी उतना 1/3 भाग विकास शुल्क § बैटर मेन्ट टैक्स § होगा। इस प्राविधान के अनुसार विकास शुल्क लगाने हेतु निम्न लिखित जानकारी आवश्यक होगी ।

- § 1 § योजना कार्यान्वित करने से पहले भूमि की दर,
- § 2 § योजना कार्यान्वित करने के बाद भूमि की दर,
- § 3 § उपरोक्त दोनों की निश्चित करने हेतु कोई एक निश्चित तरीका न होने से व्यवहारिक कठिनाइयों तथा कानूनी अड़चने पड़ने की सम्भावना है अतः इस सम्बन्ध में प्रस्तावित किया जाता है कि कानपुर विकास प्राधिकरण में लिये गए रटे बैटर-मेन्ट टैक्स की दर जो निम्नवत है के आधार पर विकास शुल्क प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत पुरानी आबादी तथा उसके बाहर 1/4 मील क्षेत्र के भवनों पर लिया जाये ।

1- 30 फीट या उससे कम चौड़ी सड़क पर,	₹ 18/- प्र.व. मी०
2- 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर,	₹ 24/- "
3- खुली जमीन पर,	₹ 30/- "

योजना के अंदर आबादी के निकट जो खुली भूमि पूर्व में खंतिहर रही है और मास्टर प्लान में रहायशी अथवा व्यवसायिक प्रस्तावित है और जिसका आबादी में परिवर्तित आपेक्षित है ऐसी भूमि पर बैटरमेन्ट टैक्स के साथ- 2 बाध्य विकास शुल्क रहायशी हेतु 1/50 प्रति वर्ग फुट तथा ₹ 3/50 व्यवसायिक भूखंड के क्षेत्र पर लिया जाय ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकसित तथा अविकसित क्षेत्रों में बाह्य विकास शुल्क लगाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक हेतु आख्या,

लखनऊ विकास प्राधिकरण विकसित क्षेत्रों में जहाँ विकास कार्य पूरा में पूर्ण हो चुके हैं इन क्षेत्रों में बड़े भूखंडों को सब डिवाइडेड कर छोटे- 2 भूखंडों में विभाजित कर भवन निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है अथवा बड़े भूखंडों पर बहुमंजिले भवन प्रस्तावित किये जा रहे हैं जिससे पूर्व से मौजूद क्षेत्र की डेनिसिटी बढ़ रही है जिससे देखते हुये पूर्व से उपलब्ध विकास सुविधा जैसे सड़क, सॉवर वाटरमैन, स्ट्रीट लाइट आदि पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है बढ़ती हुई डेनिसिटी के अनुसार सम्बन्धित सुविधा डिजाइन के आंकड़ों से कम होती जा रही है जिससे नव विकसित सब डिवाइडेड भूखंड अथवा बहुखंडी भवन को समुचित विकास सुविधा भविष्य में उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा जब तक कि उक्त सुविधाओं को बढ़ी हुई डेनिसिटी के अनुसम पुनः डिजाइन कर निर्मित न किया जाये। उक्त निर्माण में प्राधिकरण के अमर धन भार आयेगा। जिसको पूरा करने के लिये सब-डिवीजन भूखंडों, दो मंजिल से ऊपर की मंजिल में भवनों, बहुखंडी भवनों, 7, 200 वर्गफुट क्षेत्रफल से बड़े भूखंडों एवं उन पर स्थित भवनों में की जाने वाली वृद्धि स्वामियों से बाह्य विकास शुल्क के स्म में प्राधिकरण द्वारा लिये जाने की अनुमति की जाती है। अविकसित क्षेत्रों में जहाँ अभी समुचित विकास सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ भी विकास सुविधाओं के निर्माण के समय इस बड़े क्षेत्र के अनुसम ही विकास सुविधाओं की डिजाइन करनी होगी जिससे विकास कार्य पर अधिक भार भविष्य में आयेगा। जिसके अनुसार अविकसित क्षेत्र में जहाँ कुछ इन्टर्नल विकास कार्य हो भी गये हैं शेष होने हैं तो ऐसे क्षेत्रों के भवन चित्र पारित करते समय भी भू-स्वामियों अथवा भवन स्वामियों से बाह्य विकास शुल्क लिया जाना होगा। उक्त बाह्य विकास शुल्क विकसित क्षेत्र में सब डिवीजन भूखंडों 7, 200 वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों पर तथा तीसरी मंजिल के प्रस्तावित भवनों पर रु01/50 प्रति वर्गफुट में भूखंड क्षेत्रफल की दर से लिये जाने की अनुमति की जाती है अविकसित क्षेत्रों में भी इसी दर से बाह्य विकास शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। तीन मंजिल से ऊपर एवं बहुखंडी भवनों के मामले में रु03/50 प्रतिवर्गफुट फ्लोर एरिया के आधार पर प्रस्तावित है। ~~प्रस्तावित~~ यहाँ उल्लेखनीय है विधायक निवास ~~द्वारा~~ ~~स्वतः~~ में तथा हुसेनगंज के चौराहे पर पुराना विधायक निवास परिसर में बहुमंजिले आवासीय भवनों के विषय में शासन ने 3/50 से 4/50 साये प्रतिवर्ग फुट के दर से बाह्य विकास हेतु प्राधिकरण को धनराशि जमा किया है बाह्य विकास शुल्क प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में भी इसी आधार पर देय होगा अगर पट्टे की शर्तों में सब डिवीजन तथा बहुखंडी भवन का निर्माण की शर्तों का प्राविधान नहीं होगा।

विषय :- हडको एवं अन्य संस्थाओं से अनुबन्ध करने के लिए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकार दिया जाना ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपनी योजनाओं के संचालन के लिए विभिन्न संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने होते हैं और उनसे पत्र व्यवहार, अनुबन्धपत्र आदि करने होते हैं । इन कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण की ओर से उपाध्यक्ष या सचिव अथवा दोनों अधिकारियों को अलग अलग हस्ताक्षर करने होते हैं ।

अतएव प्रस्ताव है कि विभिन्न प्रपत्रों, अनुबन्धों आदि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया जाये ।

अब तक किए गए अनुबन्ध पत्रादि पर उपाध्यक्ष एवं सचिव द्वारा किए गए हस्ताक्षरों को भी अनुमोदित किए जाने हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है । उक्त हस्ताक्षर प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति स्कीमों के अनुपालन में ही किए गए हैं ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन
बहुखाण्डी भवनों हेतु आर्किटेक्ट्स की नियुक्ति ।
x=x=x=x=x=x=x

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं और निकट भविष्य में कई नई योजनाएँ प्रस्तावित हैं जिनमें कुछ बहुखाण्डी भवन भी निर्मित होंगे । लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियोजन विभाग पर काफी कार्य-भार होने के कारण यह विचार किया गया कि कुछ महत्वपूर्ण बहुखाण्डी योजनाओं की अभिकल्पना का कार्य बाहरी आर्किटेक्ट्स से सौंप कर लिया जायें । इस सन्दर्भ में आर्किटेक्ट्स के पैनल बनाने का निर्णय लिया गया । आर्किटेक्ट्स के पैनल बनाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति नियुक्ति की गई :-

- 1- श्री ए०पी० सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
- 2- श्री जे०पी० हुवे, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश
- 3- श्री एम०एम० डी० सेठ, प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, उ०प्र०
- 4- डॉ० वी०रम० खन्ना, सदस्य, विधान परिषद/सदस्य, ल०वि०प्र०

समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट्स के प्रार्थनापत्र आमन्त्रित किये गये थे और इस हेतु केवल 11 अश्विनी उपस्थित हुए थे जिनका व्यक्तिगत रूप से इस समिति ने दिनांक 3-1-83 को 11.00 बजे साक्षात्कार किया । साक्षात्कार करने के उपरान्त निम्नांकित आर्किटेक्ट्स का एक पैनल इस कार्य हेतु अनुमोदित किया गया है :-

- 1- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
- 2- सर्वश्री मेहता गाँधी ऐण्ड एसोसियेट्स, नई दिल्ली
- 3- सर्वश्री छावड़ा ऐण्ड ब्रदर्स एसोसियेट्स, नई दिल्ली
- 4- सर्वश्री कोठारी ऐण्ड एसोसियेट्स, नई दिल्ली
- 5- सर्व श्री चड्ढा ऐण्ड एसोसियेट्स, नई दिल्ली

आर्किटेक्ट्स को फीस आदि देने के विषय में समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करते समय ही यह निर्णय ले लिया गया था कि आर्किटेक्ट्स की फीस 2 प्रतिशत होगी और आने जाने का यात्रा भात्ता आर्किटेक्ट्स को वास्तविक देय होगा । यह भी शर्त रखी गई है कि 200/- रुपये प्रति दिन की दर से उनको लखनऊ यात्रा के समय डी०ए० दिया जावेगा । इन्हीं शर्तों के आधार पर यह चयन किया गया है और जो आर्किटेक्ट्स इन शर्तों का पालन नहीं कर सकते थे उनके प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया गया ।

चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई आर्किटेक्ट्स के पैनल तथा शर्तों पर प्राधिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है ।

विषय सं०: 21

पृष्ठ सं०: 18

विषय:- पत्रकारों को आर्बिट्रल भूखंडों पर उनसे ब्याज न लिये जाने के सम्बन्ध में ।

====

अलीगंज योजना के अन्तर्गत कुछ पत्रकारों को भूखंड वर्ष-1977 में आर्बिट्रल किये गये थे। शासन ने पत्रकारों हेतु भूखंड आर्बिट्रल में अनुदान दिया था। इसे घटाकर उन्हें उस समय भूखंड रु० 3-20 प्रति प्रति वर्ग फुट के हिसाब से दिया गया। पत्रकारों को भूखंड अनुदान की धनराशि कम करके समय-समय पर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर आर्बिट्रल किये गये हैं। पत्रकारों से भूखंड के प्रीमियम की धनराशि दो किस्मों में माँगी गई।

श्री सियाराम शरण त्रिपाठी से प्रथम किस्त रु० 3950/= की दिनांक 22-5-77 तक माँगी गई थी। इन्होंने द्वितीय किस्त समय के अन्दर जमा नहीं की, बल्कि इसका पूर्ण भुगतान दिनांक 19-4-82 को किया।

इसी प्रकार श्री जे०बी०एस० चौहान ने अब तक धनराशि का कोई भुगतान नहीं किया है। बिलम्ब से भुगतान होने पर प्राधिकरण में 15% ब्याज लेने का प्राविधान है। चूँकि पत्रकारों को भूखंड विशेष परिस्थितियों में आर्बिट्रल हुए थे इसलिए प्राधिकरण इस बिन्दु पर निर्णय लेने का कष्ट करे कि इनसे ब्याज लिया जाय अथवा नहीं। यदि लिया जाय तो किस्त दर से ।

=====

विषय :- रोड पेवर फिनिशर यूनिट की स्थापना

=====

लखनऊ नगर के मार्गों का रख रखाव और उनका निर्माण उतने उच्च कोटि का नहीं है जैसा दिल्ली या अन्य बड़े मेट्रोपालिटन शहरों का है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लखनऊ नगर के नव निर्मित मार्गों के निर्माण एवं निर्मित मार्गों के रख रखाव के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है और यह आवश्यक पाया गया कि यहाँ के सभी मार्ग पेवर फिनिशर यूनिट द्वारा तैयार किये जायें। पेवर फिनिशर यूनिट एक ऐसी प्रणाली है जिसमें गरम तारकोल को पत्थर की गिट्टी से मिला कर मार्ग के ऊपर बिछाया जाता है और रोड रोलर के माध्यम से इसे अच्छी तरह दबा कर इसकी सतह को सुदृढ़ एवं बराबर कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वर्षा ऋतु का जल इसमें प्रवेश नहीं कर पाता और मार्ग के स्थायी होने की सुनिश्चितता बनी रहती है जिससे मार्ग का धरातल बहुत ही उत्तम एवं मजबूत हो जाता है और इनका जीवन काल बढ़ जाता है।

उपरोक्त यूनिट में निम्नलिखित इकाइयों की आवश्यकता होती है :-

§1§

डाटमिक्स प्लाण्ट - यह एक यंत्र है जो एक ही स्थल पर तगर दिया जाता है और इसके अन्तर्गत अपने आप तारकोल और पत्थर की रोड़ी दोनों गरम होकर एक साथ मिल जाते हैं और यह मिला हुआ तारकोल और गिट्टी मार्गों पर बिछाये जाने के लिए स्वतः टिपर ट्रकों में उड़ेल जाता है।

§2§

टिपर ट्रक :- यह टिपर ट्रक गरम और मिले हुए तारकोल तथा गिट्टी को ढुलाई कर कार्य स्थल पर पेवर फिनिशर में डाल देता है।

§3§

पेवर फिनिशर :- मिले हुए तारकोल और गिट्टी को यह पेवर फिनिशर मार्ग पर निर्धारित मोटाई में बिछाता है और उसके धरातल को निर्धारित करता है। धरातल में आवश्यक ढाल को ठीक कर ऊँचाई निचाई को बराबर करता है।

§4§

रोड रोलर :- पेवर फिनिशर द्वारा गरम तारकोल और गिट्टी को जो मार्ग पर बिछा होता है, रोड रोलर दबा दबा कर बराबर करते रहते हैं। चूँकि गिट्टी का धरातल एक इंच से तीन इंच होता है अतः यह रोड रोलर अच्छी तरह से इनको दबाते हैं और सतह को बराबर करते रहते हैं। रोड रोलर और पेवर फिनिशर दोनों मिल कर धरातल को बिल्कुल बराबर कर देते हैं और किसी भी प्रकार की ऊँचाई निचाई मार्ग में नहीं रह जाती।

§5§

कांक्रिटलोडर :- यह कांक्रिट लोडर सूखी कांक्रिट को स्वतः उठा कर हाट मिक्स प्लाण्ट में डाल देता है और वहाँ पर यह गिट्टी साफ गरम होकर निटमिन में मिल जाती है।

इन कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया जिसके लिए रोड रोलर को छोड़कर बाकी किसी की भी निविदायें प्राप्त नहीं हुईं। इन रोड रोलर में 7 प्रतिष्ठानों ने अपनी निविदायें दीं किन्तु इनपर विचार इसलिए स्थगित किया गया चूंकि पेवर फिनिसर यूनिट के बिना इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। पेवर फिनिसर बनाये जाने के केवल भारत में दो ही प्रतिष्ठान हैं जो निम्नलिखित हैं :-

- 1- मेसर्स मार्शल एण्ड संस, मद्रास
- 2- मेसर्स अपोलो इंडस्ट्रीज़, गुजरात

रोड रोलर के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए दिल्ली, मद्रास आदि समाचार पत्रों में निविदायें आमंत्रित कराई गईं तथा पेवर की उपरोक्त फर्मों का पता लगाकर इन्हें तार द्वारा भी सूचित किया गया। इस प्रकार विभिन्न निविदायें प्राप्त की गईं। सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से उनकी दरें एवं शर्तें कम कराने के लिए विचार विमर्श हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया जिसमें उपाध्यक्ष की अध्यक्षता सहित सचिव, कास्ट एकाउण्टेंट, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य लेखाधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता सदस्य थे। इन अधिकारियों की समिति के समक्ष उपरोक्त सभी इकाइयों के प्रतिनिधि विचार विमर्श हेतु बुलाये गये। उनके मूल्यों एवं शर्तों के विषय में जांच की गई तथा उपलब्ध कराने का समय पूछा गया और अन्त में इन इकाइयों को गुणात्मकता, मूल्य, समय पर उपलब्ध कराने की क्षमता आदि विषयों पर विचार करके निर्णय लिया गया और निम्नांकित फर्मों को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आदेश दिये गये :-

- 1- पेवर फिनिसर - मेसर्स अपोलो इंडस्ट्रीज़, गुजरात
मूल्य रु 4,96,680/-
- 2- हाट मिक्स प्लांट- मेसर्स अपोलो इंडस्ट्रीज़, गुजरात
मूल्य रु 14,92,700/-
- 3- रोड रोलर - 2-रोड रोलर मेसर्स गार्डन रीच सिप बिल्डर
कलकत्ता मूल्य रु 2,33,000/- प्रति रोलर
3-रोड रोलर मेसर्स रोड बिल्डिंग मशीनरी
कापरिशान, कलकत्ता मूल्य रु 2,17,000/-
प्रति रोलर
किन्तु इनकी असमर्थता के बाद 3 रोड रोलर्स
मेसर्स टेक्सको लिमिटेड को रु 2,33,000
प्रति रोलर की दर से उपलब्ध कराने के
आदेश दिये गये
- 4- ट्रिपर टक - इन कार्यों हेतु 5 टक की आवश्यकता थी
जिनमें व्यवहारिक आवश्यकता को देखते
हए 4 मेसर्स लेलेण्ड को रु 2,20,500/-
प्रति टक की दर से तथा एक टक मेसर्स
पीमियर कार सेल्स बम्बई से रु 2,00,000/-
पर क्रय किया गया।
- 5- आटोमेटिक लोडर- इसकी शीघ्रता नहीं थी और एक आटोमेटिक
मल्टी परपज लोडर की आवश्यकता को देखते
हए यह निर्णय लिया गया कि मेसर्स स्कोर्ट्स
लि०, फरीदाबाद, नई दिल्ली से एक मल्टी
परपज लोडर-कम-बल्डोजर-कम-स्केपर-कम-टैक
डिगरं क्रय कर लिया जाये। जिससे अवकाश

के क्षणों में यह अन्य कार्य भी करता रहे। मेसर्स स्कोर्ट्स लि० द्वारा स्त्री निर्मित यह मल्टी परपज मशीन विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर तथा वाटर मेन की लाइनों को बिछाने के लिए खाइयों की खुदाई, अनाधिकृत भूखण्डों के निर्माण तोड़ने, भूमि को समतल करने एवं पेवर फिनिशर यूनिट के लिए कांक्रिट लोडिंग का कार्य करेगी। इसकी लागत ₹ 7,00,000 आयेगी।

इस क्रम में निम्नांकित लागत की मशीनरी के क्रय पर स्वीकृति अपेक्षित है :-

	मूल्य	दोष व अन्य व्यय छोड़कर
1- पेवर फिनिशर तथा हाटमिक्स प्लाण्ट यूनिट	19,89,390/-	
2- ट्रिपर ट्रक्स - 5	8,82,000/-	
3- रोड रोलर - 5	11,65,000/-	
4- लोडर 1	7,00,000/-	

विषय :- लखनऊ विकास प्राधिकरण में बुल्डोजर्स की व्यवस्था
=====

विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर के सभी मार्गों पर विभिन्न योजनायें प्रगति पर हैं जिसमें करोड़ों रुपये मूल्य के मिट्टी की कटाई समाप्त करने का कार्य निहित है। यह कार्य मजदूरों व ठेकेदारों की पुरानी पद्धति के अनुसूच कराराया जायेगा तो इनमें 3 वर्ष से कम का समय नहीं लगेगा अतः इन परिपाटी को परिवर्तित करने के लिए मिट्टी की कटाई, भाराई और उसे मजबूती से दबाने के लिए पूरी प्रक्रिया को बदलना आवश्यक होगा जिससे कम समय में अधिक मजबूत और अधिक मात्रा में कार्य करें अतएव बुल्डोजरों की आवश्यकता का महत्व समझा गया। इस सम्बन्ध में गंडक परियोजना, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से विचार किया गया तथा भारतीय सेवा के सम्बन्धित विभाग से पता लगाया गया और भारत वर्ष में निर्मित करने वाली संस्थाओं से भी इनके विषय में वार्ता की गई। परिणाम निम्नलिखित हैं :-

- 1- सिंचाई विभाग के बुल्डोजर खराब होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
- 2- भारतीय सेवा के 2 बुल्डोजर के किराये पर प्राप्त किए जाने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु उनके उपलब्ध होने में विलम्ब हो रहा है।
- 3- भारतवर्ष में बुल्डोजर बनाने वाले 2 संस्थान हैं, §1§ मेसर्स मार्शल एण्ड संस, मद्रास, तथा §2§ मेसर्स भारत अर्थ मूवर, लि०, बंगलौर। मेसर्स मार्शल एण्ड संस द्वारा केवल 200 हार्सपावर के बुल्डोजर बनाये जाते हैं किन्तु भारत अर्थ मूवर लि० द्वारा छोटे और 80 हार्स पावर के बुल्डोजर जो विकास प्राधिकरण के लिए उपयुक्त हैं, निर्मित किए जाते हैं। अतएव मेसर्स भारत अर्थ मूवर, लि० से एक बुल्डोजर रु० 8,32,750/- का प्राप्त कर लिया गया है + और दूसरे बुल्डोजर को प्राप्त करने के आदेश दिये गये हैं। इसप्रकार निकट भविष्य में विकास प्राधिकरण के पास दो नये बुल्डोजर, एक पुराना बुल्डोजर जिसकी मरम्मत आवश्यक है तथा दो भारतीय सेवा के बुल्डोजर प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण के कार्यों में तीव्रता आवेगी।

उपरोक्त विवरण प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण ।

x=x=x=x=x=x=x=x=x

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय भवन में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण दैनिक प्रशासनिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । प्राधिकरण की गतिविधियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि उपयुक्त कार्यालय भवन निर्मित कराया जाये । यदि सचिवालय द्वारा निर्धारित मानक को आधार माना जाये तो वर्तमान कार्यालय के क्षेत्रफल द्वारा प्राधिकरण के कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलाया जा सकता और लगभग 25,000 वर्गफिट का अतिरिक्त कार्यालय क्षेत्रफल की तुरन्त आवश्यकता है । प्राधिकरण पर वित्तीय भार अधिक न पड़े और कार्यालय की सुचारु रूप से व्यवस्था हो जाये, इस दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार किया गया और इस विषय में वस्तुस्थिति निम्नांकित प्रस्तुत की जा रही है :

प्राधिकरण के वर्तमान कार्यालय का क्षेत्रफल 1.7 एकड़ है । इस क्षेत्र में लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज तथा 1000 एफओआरओ अनुमत्य है । इस प्रकार से 3450 वर्गमीटर बिक्रय हेतु क्षेत्रफल प्राप्त होता है जिसपर निर्माण तथा विकास आदि किया जा सकता है । हाल ही में कपुरथला बाग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, शिवाजी मार्ग तथा निशातगंज क्षेत्र के व्यवसायिक भूखण्डों का नीलाम किया गया है । निम्नांकित दर से इन भूखण्डों की नीलामी बोली आई है :-

1-	कपुरथला बाग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स	दर 2500 रु 100 वर्गमीटर
2-	शिवाजी मार्ग	दर 4000 रु 100 वर्गमीटर
3-	निशातगंज क्षेत्र	दर 6000 रु 100 वर्गमीटर

चूँकि वर्तमान कार्यालय स्थल लखनऊ के आकर्षक व्यवसायिक केन्द्र के मध्य में स्थित है, अतः यदि सँयंत्र मान के साथ रु 4,000/- प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि का बिक्रय मूल्य लगाया जाये तो कार्यालय भूखण्ड के बिक्रय मात्र से लगभग 150 लाख रुपये की आमदनी होती है । यदि कार्यालय भवन का मलवा तथा अन्य सामग्री आदि बेचने का भी मूल्य लगा लिया जाये तो लगभग वर्तमान कार्यालय स्थल से लगभग 175 लाख रुपये की आमदनी होगी । इस प्रकार से प्राधिकरण पर विशेष आर्थिक भार न डालते हुए लगभग 2.00 करोड़ रुपये की लागत का एक बहुखण्डी भवन प्राधिकरण के कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुस्र बनाया जा सकता है ।

इस पृष्ठिठीभूमि में यह उचित होगा कि प्राधिकरण के नये कार्यालय भवन की अभिकल्पना तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाये और कार्यालय स्थान की जो कमी अनुभाव की जा रही है उसे शीघ्र दूर करके प्राधिकरण प्रशासन को और अधिक सक्षम तथा सशक्त बनाया जाये ।

मूल आय-व्ययक

वर्ष १९५३-५४



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लखनऊ

मूल बजट वर्ष 1983-84

की
विषय सूची

-----: 0 :-----

क्रम संख्या =====	विषय =====	पृष्ठ सं० =====
1.	बजट एक दृष्टि में	1
2.	बजट प्रस्तावना	2 से 4
3.	वर्ष 1982-83 की वित्तीय उपलब्धियाँ	5 से 8
4.	वर्ष 1982-83 की भौतिक उपलब्धियाँ	9 से 13
5.	वर्ष 1983-84 का बजट प्रस्ताव	14 से 16
6.	बजट वर्ष 1983-84 का आय व्यय	17 से 18
7.	वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के आय व्यय का तुलनात्मक विवरण	19 से 20
8.	विगत तीन वर्षों के आय व्यय के वास्तविक आकड़े	20 क
9.	बजट/ आय का विवरण	21 से 25
10.	बजट मदवार व्यय का विवरण	
	§ राजस्व लेखा §	26 से 29
	§ पूँजी लेखा §	30 से 36
	§ उच्यन्त लेखा §	37 से 38
11.	भूमि के विक्रय से आय विवरण	39 से 41
12.	भवनों की विक्री से आय का विवरण § व्यवसायिक केन्द्रों सहित §	42 से 44
13.	सम्भावित ऋणों का विवरण	45
14.	भवनों के निर्माण की प्रस्तावना	46
15.	भवनों के निर्माण की वित्तीय व्यवस्था	47
16.	अध्याष्ठान सम्बन्धी विवरण	48 से 71

-----: 0 :-----

मूल बजट 1983-84 एक दृष्टि में

आय पक्ष			व्यय पक्ष		
क्रमांक	मद	धनराशि लाखों ₹ में	क्रमांक	मद	धनराशि लाखों ₹ में
1 राजस्व			1. राजस्व		
1.	पट्टाका अधिशुल्क	5.00	1.	अधिष्ठान व्यय/अभियन्त्रणा के अतिरिक्त	45.01
2.	भावनों/दुकानों का किराया/प्रीमियम	83.38	2.	विकास कार्य/पुरानी योजनाएँ	74.70
3.	भावन चित्र/तावान शुल्क	9.87	3.	पुराने ऋणों पर व्याज/प्रतिदान	18.35
4.	अन्य प्राप्तियाँ	10.15	4.	संयोगिक व्यय तथा अन्य	42.05
	योग	108.40		योग	180.11
2. पूँजीगत			2 पूँजीगत		
क प्राप्तियाँ			1. अधिष्ठान व्यय/अभियन्त्रणा		
1.	भूमि की बिक्री	1742.08			50.52
2.	भावनों की बिक्री	2059.99	2.	ऋणों पर व्याज/प्रतिदान/निक्षेपनिधि	221.65
3.	व्यवसायिक केन्द्रों से आय	440.00	3.	भूमि अर्जन	800.00
4.	अन्य आय	10.00	4.	भूमि विकास/अन्य सुधार कार्य	1295.00
	योग	4252.07	5.	भवन निर्माण	2509.70
	योग	1063.59	6.	व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों का निर्माण	363.50
	योग	536.19	7.	क. मलिन बस्ती निपातन योजना	7.00
	योग	5960.25	ख. बाय गैस तथा जल प्रदूषण योजना	157.78	
	योग	1063.59	8.	मशीनरी एवं स्टोर्स	210.00
	योग	536.19	9.	अन्य व्यय	125.14
	योग	5960.25		योग	5740.29
	योग	1063.59		योग 1+2	5920.40
	योग	536.19			39.85
	योग	5960.25		महायोग 1, 2	5960.25
	योग	1063.59			
	योग	536.19			
	योग	5960.25			

सहायक लेखाधिकारी,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

मुख्य लेखाधिकारी,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

-2-

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
का
वित्तीय वर्ष 1983-84
का
मूल- आय-व्ययक

1- प्रस्तावना :

1.1 संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना :-

सर्व प्रथम लखनऊ नगर में आवास और विकास कार्यों का संचालन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। उत्तर प्रदेश मगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत फरवरी 1960 में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट लखनऊ नगर महापालिका के विकास विंग के रूप में शहर के आवास और विकास कार्यों का संचालन करने लगा। शहर की बढ़ती हुई आवादी के कारण यह अनुभव किया गया कि विकास और आवास के कार्यों को सुनियोजित ढंग से करने पर ही इस समस्या को सुलझाना सम्भव है। इसके समाधान की दृष्टि से वर्ष 1973 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की रचना की गयी थी और उसके अन्तर्गत शासकीय विज्ञापित संख्या 3923/37-2-वि0प0-72 दिनांक 11-9-74 द्वारा लखनऊ नगर को योजनावद्ध विकास हेतु विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका की सीमा के अन्दर का क्षेत्र तथा महापालिका सीमाओं 8 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र क्वैन्टोमेन्ट, केन्द्रीय सरकार द्वारा जल-थल तथा नभ सेना हेतु लिये क्षेत्र को छोड़कर विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। इस विकासशील क्षेत्र के सुनियोजित क्रैडिंग से विकास करने की दृष्टिकोण से लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना शासकीय विज्ञापित संख्या 2892/37-1-स21-वि0प्र0 दिनांक 13-9-1974 द्वारा की गयी। इस प्रकार अपने सम्पूर्ण परसम्पत्ति एवं दायित्व के साथ लखनऊ नगर महापालिका से अलग होकर प्राधिकरण एक स्टेट्युटरी बोर्ड के रूप में कार्य करने लगा। यद्यपि इसकी अचल सम्पत्ति एवं दायित्व, सेवा शर्तें लेखा नियमावली आदि के सम्बन्धित अधिनियम में जो अस्थाई व्यवस्था थी वही चलती रही।

1.2 संगठन:-

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार से है :-

पदेन सदस्य:

- 1- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, अध्यक्ष
- 2- प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ, उपाध्यक्ष।
- 3- सचिव, आवास विभाग, उ0 प्र0 शासन - सदस्य।
- 4- सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन - सदस्य।

- 5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन-सदस्य ।
 - 6- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम जिसकी स्थापना 30 प्र० जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज ऐक्ट, 1975 के अन्तर्गत हुई है सदस्य
 - 7- जिला अधिकारी, लखनऊ । सदस्य
 - 8- शासन द्वारा मनोनीत अशासकीय तीन सदस्य
- 1.3 उद्देश्य:-

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा -7 के अनुसार प्राधिकरण का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजनानुसार विकसित करना है। इस प्रयोजन हेतु इसका उद्देश्य निम्न प्रकार है :-

- 1- प्राधिकरण की भूमि तथा अन्य सम्पत्ति के अर्जन, धारण प्रबन्ध और व्ययन करना ।
 - 2- निर्माण इन्जीनियरिंग, खनन तथा अन्य क्रियाएँ कार्यान्वित करना ।
 - 3- जल, बिजली के प्रदाय के प्रबन्ध के सम्बन्ध में योजनाएँ निष्पादित करना ।
 - 4- मल का व्ययन करने और अन्य सेवाएँ तथा सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराना ।
- साधारणतयः विकास के प्रयोगों के लिये तथा अनुशासित प्रयोजनों के लिये भी कार्य करना है ।

1.4 कार्य-कलाप

उपरोक्त पैरा में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति के लिये विकास प्राधिकरण जिम्नाफित विभिन्न कार्यकलापों को विशेष रूप से करता है :-

- 1- भूमि अर्जन
- 2- भूमि का विकास
- 3- आवासीय भवनों का निर्माण विशेषतः दुर्बल वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु
- 4- दुकानों तथा बहुखण्डीय व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण ।
- 5- मलिन बस्ती पर्यावरण एवं निपातन योजना
- 6- भूमि विकास एवं निर्माण विनियम ।
- 7- शासन द्वारा निर्देशों के अनुरूप नजूल भूमि का विकास एवं नजूल सम्पत्ति का प्रबन्ध ।

1.5 उपरोक्त कार्य-कलापों के निष्पादन हेतु विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनायें कार्यान्वयन में हैं जिनका संचालन अभियन्त्रण खण्डों द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय संचालन चालू एवं बैंक खातों तथा शासन के निर्देशानुसार कोषागार में एक परसनल लेजर एकाउन्ट खोलकर किया जा रहा है।

सीड कैपिटल एवं बैंकों से प्राप्त ऋण माँग पत्रों के मूल धन को प्रतिदान हेतु निक्षेप निधि की स्थापना पहले ही कर दी गयी है जिससे इन ऋणों का समयानुसार भुगतान हो सके।

1.6 उत्तर प्रदेशा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-21 के अनुसार प्रत्येक वर्ष बजट पारित किया जाता है जिससे वार्षिक लेखों का समावेश रहता है। साथ ही वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है। तदनुसार मूल बजट 1983-84 प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बजट में उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित वर्ष 1982-83 के पुनरीक्षित आकड़े भी दर्शाए गये हैं।

1.7 उत्तर प्रदेशा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-22 के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बैलेन्स शीट प्रस्तुत करना आवश्यक है। परन्तु नगर महापालिका के विकास विंग में नगर महापालिका लेखा नियमावली लागू थी जो ^{जुदा कि} ~~जो~~ केंद्र एकरयूल एकाउन्टिंग का लागू होना आवश्यक है। इसी कारण बैलेन्स शीट बनाने बाधा पड रही है। वर्ष 1982-83 की बैलेन्स शीट बनाने केलिये एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की व्यवस्था की गयी है तथा यह बैलेन्स शीट वाह्य संकलन के आधार पर शीघ्र बन जाने की आशा है।

1.8 कानपुर विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा प्रणाली इकायाशियल एकाउन्टिंग लागू कर दी गयी है। उसी आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी ~~इस~~ यह प्रणाली शीघ्र लागू कर दी जायेगी।

1.9 प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये नगर महापालिका में लागू पेन्शन नियमावली लागू हैं और प्राधिकरण कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फंड छोटे बैंक में खोले गये हैं। जब स्वतन्त्र रूप में पेन्शन तथा प्रोविडेन्ड फंड नियमावली बन जायेगी तभी प्रोविडेन्ड फंड ऐक्ट 1925 के प्राविधान लागू हो सकेगे।

वित्तीय वर्ष 1982-83 की उपलब्धियाँ

2.1 आय

2.1.1 वित्तीय वर्ष 1982-83 में प्राधिकरण ने कुल आय में रिकार्ड स्थापित किया है। तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् रही :-

वर्ष	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1. ऋण के अतिरिक्त ₹लाखों में	187.23	287.41	226.65	290.81
2. ऋण सहित ₹लाखों में	327.96	833.26	310.94	425.03
	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
	300.16	306.37	405.09	1706.67
	540.11	579.83	728.07	1859.17

2.1.2 वित्तीय वर्ष 1982-83 में प्राधिकरण ने कुल आय प्राप्त करने में रिकार्ड स्थापित करते हुए किराये तथा किराया क्रय पद्धति की क्रियाएँ प्राप्त करने में भी रिकार्ड स्थापित किया है। वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक के आकड़ों की तुलना निम्नवत् है :-

वर्ष	1979-80	किराया क्रय पद्धति 1980-81	1981-82	₹ 50 लाखों में 1982-83
1. कुल माँग				
₹ अवशोषण को सम्मिलित करके	81.75	86.15	98.55	103.10
2. कुल वसूली	44.10	51.05	60.69	97.24
3. वसूली का प्रतिशत	54%	59%	61.5%	94.3%

किराया

वर्ष	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
₹ 50 लाखों में	12.87	13.56	9.22	15.28
	1981-82	1982-83		
	15.38	21.00		

2.1.3 वर्ष 1982-83 में मद वार आय की स्थिति निम्नवत् रही:-

आय की मदें	मूल बजट अनुमान 1982-83	उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित बजट 1982-83 अनुमान	वास्तविक आय 82-83
1.	2.	3.	4.

1.	2.	3.	4.
1. पदों का अधिशुल्क	5.00	4.25	4.64
2. भवनों/दुकानों का किराया /प्रीमियम	73.98	70.60	62.38
3. भवन चित्र तथा तावान शुल्क आदि	9.87	8.45	7.39
4. भूमि की बिक्री से आय	484.95	742.15	787.28
5. भवन बिक्री से आय	350.00	876.31	814.10
6. अन्य प्राप्तियाँ	14.75	21.75	30.88
7. ऋण	309.50	315.00	132.50
8. अनुदान	—	—	20.00
योग:	1248.05	2038.51	1859.17

2.1.5. आय कम होने के कारण हैं :-

1. इस प्रकार पुनरीक्षित बजट अनुमानों § 1982-83 § के विपरीत वास्तविक आय कम होने का प्रमुख कारण हुडको से ऋण प्राप्त न होना है । हुडको ने स्मया 100.46 लाख § सो 74.16 लाख + स्मया 25.90 लाख § का ऋण स्वीकृत तो कर दिया था परन्तु राज्य सरकार से गॉरटी विलम्ब से मिलने के कारण धानराशि प्राप्त न हो सकी ।

2.1.5. 2. छितवापुर व्यसायिक केन्द्र के लिये प्राविधानित स्मया 50.00 लाख का ऋण नहीं लिया गया ।

2.2 व्यय
=====

2.2.1 प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 1982-83 में व्यय में भी

रिकार्ड स्थापित किया हैं । स्थिति निम्नवत् रही :-

वर्ष	<u>1975-76</u>	<u>1976-77</u>	<u>1977-78</u>	<u>1978-79</u>
सो लाखों में	237.03	367.73	372.60	684.87
	<u>1979-80</u>	<u>1980-81</u>	<u>1981-82</u>	<u>1982-83</u>
	608.13	624.14	668.40	1702.21

कृपया:...

2.2.2. वर्ष 1982-83 में मदवार व्यय की स्थिति निम्नवत् रही :-

₹ स्मया लाखा में ₹

संख्या	व्यय की मदें	मूल बजट अनुमान 1982-83	उपाध्यक्ष द्वारा अनुमो- दित पुनरीक्षित बजट अनुमान 1982-83	वास्तविक व्यय 1982-83
1.	अधिशुभान व्यय	72.65	71.04	60.42
2.	कृषकों का भागतान/ निक्षेप निधियों का भुगतान	210.00	210.00	217.48
3.	भूमि अर्जन	175.00	440.00	371.03
4.	भूमि विकास	459.80	506.41	325.82
5.	भावन निर्माण	306.50	590.78	397.65
6.	व्यवसायिक केन्द्र/ दुकानों का निर्माण	150.10	135.00	78.25
7.	मलिन बस्ती निषातन योजना	6.00	4.00	4.23
8.	मशीनरी तथा स्टोर	80.00	96.00	108.63
9.	संयोगिक व्यय धान धान की वापसी की धानराशि आदि	99.15	143.80	138.70
योग:-		1,559.20	2,197.03	1,702.21

- 2.2.3 विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक व्यय होने की कारण है:-
- ११११ अधिष्ठान मद में विगत वर्षों से अधिक व्यय होने का प्रमुख कारण यह है कि वेतन आयोग 1979-80 की संस्तुति लागू करके कर्मचारियों के बकायें आदि का भुगतान किया गया और साथ ही साथ विशेष परिस्थितियों में होली से पूर्व अधिकारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों को वेतन भी वितरित किया गया।
- ११११ ऋणों के प्रतिदान मद में शासन की समस्त किस्तों के भुगतान सुनिश्चित किये गये जिससे ब्याज की दर में 3% से 3-1/2% तक छूट का लाभ उठाया गया तथा प्राधिकरण को अधिक ब्याज के भुगतान करने से बचाया गया।
- १११११ लखनऊ विकास प्राधिकरण पर 31.3.82 को शासकीय एवं संस्थागत ऋणों का अवशेष ₹0, 1,561.02 लाख था 1982-83 में ₹0, 132.50 लाख का ऋण प्राप्त हुआ तथा ₹0, 65.05 लाख का मूल धन भुगतान किया गया अतः 31.3.83 को ऋण अवशेष ₹0, 1,628.47 लाख था। मूल धन के अतिरिक्त ₹0, 128.43 लाख का ब्याज तथा ₹0, 24.00 लाख विशेष निधि में जमा किया गया जिससे ₹0, 250.00 लाख आधारित पूंजी ऋण तथा ₹0, 206.00 लाख के डिबेन्चर्स का प्रतिदान किया प्रयत्न जायेगा।
- 2.2.4 भूमि अर्जन के मद में एक विशेषता यह रही कि जिन योजनाओं में विगत वर्षों के प्रतिकर के भुगतान रुके हुए थे, कुछ न कुछ भुगतान कर दिये गये। रेशबाग/ बटलर पैलेस/विशेषवर नाथ रोड/ निराला नगर के अतिरिक्त गोमती नगर आवास योजना में प्रतिकर के भुगतान सुनिश्चित किये गये, पूरे वित्तीय वर्ष में ₹0, 371.03 लाख का भुगतान किया गया है।
- ११११ भूमि विकास/ भवनों के निर्माण में भी पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक व्यय किया गया। छितवापुर व्यवसायिक केन्द्र, उत्तर प्रदेशराजकीय निर्माण निगम को निर्माण करने हेतु दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 1982-83 में उनको लगभग 25.00 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया। जनता को आवासीय एवं व्यवसायिक सुविधा देने की मदों में आवासीय एवं व्यवसायिक सुविधा देने के साथ ही नगर के प्रमुख स्थानों पर पार्कों के निर्माण तथा अन्य सौन्दरीकरण के कार्यों पर भी प्रयुक्त धनराशि व्यय की गयी।

2.3- भौतिक उपलब्धियाँ
=====

(9)

2.3.1 - भूमि अर्जन

वित्तीय वर्ष 1982-83 में पिछले वर्षों की अपेक्षा रिकार्ड भूमि अर्जन की गई।

वर्ष	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
भौतिक एकड़ में	54.00	144.00	410.00	460.00
	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
	22.24	430.90	36.24	1839.18 1128.25

2.3.2 - वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त तक विभिन्न योजनाओं में भूमि अर्जन की स्थिति निम्नवत् रही।

अलीगंज	कानपुर रोड	गोमतीनगर	सीतापुर रोड	अन्य योजनाएं	योग
836.43	881.224	746.68 1650.00	333.57 170.53	35.26	2863.164 3573.44

2.3.3 - भूमि विकास

वित्तीय वर्ष 1982-83 में पिछले वर्षों की अपेक्षा रिकार्ड भूमि का विकास किया गया।

वर्ष	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
भौतिक एकड़ में	80.00	155.00	55.00	164.50
	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
	107.96	77.00	60.61	279.00

2.3.4- वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त तक विभिन्न योजनाओं में भूमि विकास की स्थिति निम्नवत् रही :-

अलीगंज	कानपुर रोड	गोमतीनगर	मोतीझील	अन्य योजनाएं	योग
800.00	250.00	50.00	20.00		1120.00

2.3.5- भवनों का निर्माण
=====

क्रमांक	भवनों का प्रकार	31.3.82 तक निर्मित भवनों की संख्या	वर्ष 1982-83 का लक्ष्य	वर्ष 1982-83 की उपलब्धियाँ
1.	उच्च आय वर्ग	137	29	29
2.	मध्यम आय वर्ग	659	334	295
3.	निम्न आय वर्ग	1653	666	467
4.	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग	3860	2366	1994
5.	साइट्स एण्ड सर्विसेज	1611	720	1218
योग: 5		7920	4115	4003

उपरोक्त उपलब्धता के अतिरिक्त इस प्रकार वर्ष 1982-83 में प्राधिकरण ने वर्ष 1981-82 के अन्त तक निर्मित कुल भवनों के आधे से अधिक भवन निर्मित करके रिकार्ड स्थापित किया।

2.3.6- भवनों/भूखण्डों का आवंटन
=====

2.3.6-1 वित्तीय वर्ष 1982-83 में भवनों के आवंटन की स्थिति निम्नवत् रही:-

क्रम सं०	भवनों का प्रकार	संख्या	फाइनेशियल इनवाल्मेन्ट ₹ 50 लाखों में ₹
1.	उच्च आय वर्ग	1	466.00
2.	मध्यम आय वर्ग	238	
3.	निम्न आय वर्ग	121	
4.	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग	1579	
5.	साइट्स एण्ड सर्विसेज	1095	
योग:-		3034	

2.3.6-2 वित्तीय वर्ष 1982-83 में विभिन्न आकार के भूखण्डों के आवंटन
===== की स्थिति निम्नवत् रही :-

क्रमांक	योजना का नाम	संख्या	
1.	अलीगंज	271	423.00
2.	कानपुर रोड़	262	
3.	गोमती नगर	563	
योग:-		1096	

(11)

2.3.6-3 उपरोक्त भूखण्डों के आवंटन के आंतरिकत लगभग 80.00 एकड़ एक मुश्त भूमि की बिक्री विभिन्न संस्थाओं को की गई। जिला प्रबंधक इटेलीफोन से कानपुर रोड योजना में 30.66 एकड़ भूमि लेने के लिये आवेदन किया तथा ₹25.00 लाख आग्रस धन जमाकर दिया।

धर्मशः

2.3.7 सौन्दर्यकरण योजनाएँ

(12)

2.3.7 नीलू बाग

पार्क के चारों ओर रेलिंग का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है पार्क के केन्द्र बिन्दु पर एक चिड़िया घर का निर्माण कराया गया है। सिचाई हेतु एक ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया है। फुहार के निर्माण हेतु नहर के निर्माण का कार्य 50% पूर्ण हो गया है। बच्चों के खेलने के सामान तथा बैठने के लिये बेंचों एवं शीट्स की आपूर्ति प्राप्त हो गयी है।

2.3.7.2 सूरज कुँड

सूरज कुँड की सफाई का कार्य पूर्ण हो गया है तथा चारों ओर की रेलिंग का कार्य भी लगभग 80% पूर्ण हो गया है। सूरज कुँड के चारों ओर रिटेनिंग वाल बना दी गयी है तथा उसे सुन्दर एवं आकर्षित बनाने हेतु आगरा लाल पत्थर की आपूर्ति प्राप्त हो गयी है। पार्क की सिचाई हेतु एक ट्यूब वेल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। पार्क में लगाई जाने वाली सूर्य प्रतिमा का माडल तैयार हो गया है।

2.3.7.3 शामे अवध बाजार

लखनऊ स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर क्लार्क अवध होटल के सामने 6 दुकानों का निर्माण कराया गया इसमें से तीन दुकानों का आवंटन हो चुका है।

2.3.7.4 यमुना झील

इस योजना में रेलिंग लगाने, चार पार्किंग, पैडल बोट, टिकट एवं क्लॉवर बेड्स का कार्य पूर्ण हो चुका है। रास्ती पर पत्थर लगाने का कार्य भी लगभग 80% पूर्ण हो गया है।

2.3.7.5 चन्द्र नगर पार्क

आलम बाग चौरी के पास स्थित चन्द्र नगर पार्क में बारवेड बायर पेन्सिंग तथा पानी की लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो गया है।

2.3.8 अन्य उपलब्धियाँ

§1 § कैसर बाग सच्ची मडी की तर्जोच्च बोली रु0 3.75 लाख की प्राप्त हुई जो प्राधिकरण की स्थापना से अब तक की अवधि में एक रिकार्ड है और गत वर्ष §1981-82 § प्राप्त धनराशि §रु0 2-95 लाख§ से 27% अधिक है।

§2§ वित्तीय वर्ष 1983-84 का वर्क प्रोग्राम बनाकर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-82 में रखा गया। इसी प्रोग्राम के आधार पर वर्ष 1983-84 की योजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य किया गया।

§3§ कार्यशील महिलाओं के लिये एक क्षात्रावास का निर्माण प्रारम्भ किया गया है प्रथम चरण में 24 कमरों का निर्माण किया जाना है। लगभग 50% कार्यपूर्ण हो चुका है।

§4§ मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम के मध्यम से अनुश्रवण § *monitoring* § करने के कारण ही वित्तीय वर्ष 1982-83 की उपलब्धियों में रिकार्ड स्थापित किया।

§5§ कपूरथला व्यवसायिक केन्द्र में बहुखंडीय व्यवसायिक / कार्यालयों के निर्माण हेतु ग्राउन्ड स्पेस का नीलाम किया गया जिसमें बड़े बड़े बिर्ल्ड्स ने भाग लिया। प्राधिकरण को इस योजना से समुचित लाभ प्राप्त हुआ।

§6§ बटलर पैलेस तथा लाप्लास में बहुखंडीय आवासीय फ्लैट्स की अभिकल्पना की गयी तथा फ्लैट्स हेतु पंजीकरण किया गया।

§7§ रेशाबाग योजना में भट्टे वाली भूमि महापालिका से लेकर टाइप "ए" तथा टाइप बी के भवनों के निर्माण की योजना तैयार की गयी। इन भवनों का निर्माण स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत होगा। कुछ भवनों हेतु पंजीकरण हो चुका है।

§8§ कर्मचारियों की भलाई के लिये एक कैन्टीन की स्थापना की गयी जिससे खाने पीने की वस्तुएँ लाभ हानि रहित आधार पर उपलब्ध कराई जा सकें।

3- वर्ष 1983-84 के बजट प्रस्ताव
 = = = = =

लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्णय अनुसार मूल बजट 1983-84 प्रोग्राम्सओरिन्टेड के स्म में बनाया गया है जिसमें आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं निम्न आय वर्ग की आवासीय समस्या सुलझाने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। सारांश में मूल बजट 1983-84 में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :-

- 3.1 बजट में प्रमुख योजनाओं के लेखों को पृथक पृथक रखने के आशय से प्रदे आय तथा व्यय मदों में पृथक पृथक स्म में स्थापित की गई हैं। अपने श्रोतों से आय प्राप्त का अधिक से अधिक अनुमान करके ऋण कम से कम प्राप्त का प्रयास किया गया है तथा प्रयास यह किया गया है कि स्वतः वित्त पोषित रहा जाये।
- 3.2 वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा योजना को समयबद्ध स्म में पूरा करने तथा बजट आय लक्ष्य के प्राप्त को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवसायिक केन्द्रों के तथा अन्य योजनाओं के कार्यन्वयन को चलाने तथा प्रोजेक्ट मानीटरिंग की व्यवस्था हेतु पर्ट तथा सी0पी0एम0चार्ट बनाये गये है / बनाये जा रहे हैं।
- 3.3 किये जाने वाले कार्यों की क्वालिटी कन्ट्रोल करने हेतु भी उचित प्रबन्ध किया जायेगा।
- 3.4 बजट 1983-84 पारित हो जाने के उपरान्त योजना बद्ध स्म में आय की प्राप्त तथा कार्य सम्पादन समय बद्ध करने का विचार है ताकि बजट में निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्य की परिपूर्ति हो सके।
- 3.5 कर्मचारियों के कल्याण की ओर भी ध्यान बजट में रक्खा गया है। कर्मचारियों के लिये एक स्वच्छ केन्टीन/लायब्रेरी का प्रबन्ध कर दिया गया है उनको भवन निर्माण/वाहन क्रय में सुविधा देने हेतु अग्रिम देने की व्यवस्था तथा उनके साँस्कृतिक खोलकूद में सहायता देने तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धन कर्मचारी के निधान पर वित्तीय सहायता देने हेतु भी उपबन्ध है जिसे स्वीकृत करने के लिये उपाध्यक्ष सक्षम होंगे।

4- 1983-84 में प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम
 x x x x x x x x x x x x x x x x

वर्ष 1983-84 का बजट प्राधिकरण के अबतक के इतिहास में सबसे व्यापक तथा कार्यशील एवं योजनाबद्ध बजट है जिसकी प्रमुख प्रस्तावनायें निम्नवत् हैं :-

4.1

भूमि अर्जन

प्रश्नगत बजट में अलीगंज, कानपुर रोड़, सीतापुर रोड़, नैपियर रोड़, हरदोई रोड़, बिजनौर रोड़, गोमती नगर इत्यादि में

भूमि अर्जित करने तथा उस पर स्मया 800 लाख व्यय करने का अनुमान है।

4.2 भूमि विकास =====

बजट में जिन योजनाओं का समावेश किया गया है। उनमें पूर्ण विकास का प्रयास किया जायेगा। अलीगंज योजना में समस्त सेक्टरों का विकास पूर्ण करने तथा टैंक सीवर/ एस0डब्लू0इन के निर्माण हेतु पर्याप्त मात्रा में धन रखा गया है। इसी प्रकार कानपुर रोड योजना में उन समस्त स्थानों पर जहाँ भवनों का निर्माण हो चुका है अथवा वह बन रहे हैं विकास किया जायेगा।

गोमती नगर/ नैपियर रोड/ सीतापुर रोड/ हातों में तथा अन्य प्रमुख स्थानों में जहाँ भवन निर्मित होंगे उनका पूर्ण विकास तथा अन्य सेक्टरों में सड़कों के निर्माण १ सोलिंग १ की सीमा तक कार्य कराने का विचार है।

समस्त योजनाओं में विकास कार्य पर लगभग रुपा 1154 लाख व्यय करने का विचार है।

4.3 भवन निर्माण =====

भवन निर्माण प्रस्तावना प्रमुख रूप से कानपुर रोड, गोमती नगर, बटलर पैलेस, लान्प्लात, रेतवाग, हाता रसूल खाँ, मैरिस मार्केट, डालीगंज नैपियर रोड, राम नगर, ओती नगर, तथा अन्य हातों में हैं।

बजट में कुल 17265 नये भवन बनाने का विचार है तथा 478,1982-83 के बचे भवनों को पूर्ण किया जायेगा। इन भवनों में 991 फ्लैट्स बनाने के अतिरिक्त 16274 भवन विभिन्न आय वर्गों के अन्तर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित है जिनमें ~~खिखिख~~ निम्न आय वर्ग तथा दुर्कल आय वर्ग हेतु 13269 भवन है जो कुल भवनों के 81.53% हैं उसके बाद मध्य आय वर्ग हेतु 2455 भवन १15.09% तथा उच्च आय वर्ग हेतु 550 भवन १ कुल के 3.38% निर्मित किये जायेंगे। भवनों के अतिरिक्त 8677 झुण्डों पूर्ण करके देने का प्रस्ताव है। विभिन्न संस्थाओं को बल्क-सेल में भूमि देवी जायेगी जिससे कार्यालय/ स्कूल इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होगी।

4.4 व्यवसायिक केन्द्रों तथा दुकानों का निर्माण :- =====

इस मद में निम्नवत् प्रस्तावना है।

१क१	छितवापुर काम्पलेक्स	12	खण्डीय केन्द्र
१ख१	आर0 टी0 ओ0	12	" "

- ग- अलीगंज सेक्टर एच/जी 50 दुकानें
 धा. नगर में विभिन्न स्थानों पर 100 "
 ड- कानपुर रोड़ 6 एकड़ भूलत का नीलाम
 4 एकड़ में दुकानों का निर्माण
 च- चौक व्यवसायिक केन्द्र भूलत का नीलाम
 छ- सूरजकुण्ड/सहकारता भवन के पीछे विकास कार्य पूर्ण किया जायेगा
 कपुरथाला फेज-2
 ज- वर्किंग वीमेन्स हास्टल १२१ 12 कमरों का निर्माण
 - इन के अतिरिक्त छोटी- छोटी योजनाओं सहित केन्द्रों के निर्माण पर
 स्मया 333.50 ला, T व्यय हेतु प्रस्तावित किये गये हैं ।
 4.5 सौन्दर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य
 क- नीबू बाग, सूरज कुण्ड, जमुनाझील, तथा चन्द्रनगर की योजनाओं में सौन्दरीकरण
 के शोषा कार्य पूर्ण करने के अतिरिक्त बजट वर्ष में कानपुर रोड़ योजना में
 एक नेशनल पार्क १ स्मया 10.00 लाखा की लागत से १ बनाने का विचार
 है तथा स्मया 18 लाखा की लागत से जमुनाझील फेज-2 तथा 12 लाखा
 स्मये की लागत से स्मयी दरवाजा १ कुरिया घाट १ के विकास हेतु
 प्राविधान रखे गये हैं । हरदोई रोड़ पर स्थिति जामा मस्जिद के चारों
 ओर के क्षेत्र को पार्क के स्म में विकसित किया जावेगा । इसके अतिरिक्त
 विधुत शवदाह गृह का शोषा कार्य पूर्ण किया जायेगा । इन प्रमुखा
 कार्यों के अतिरिक्त टिकैत राय तालाब, रोप ट्राली, गोमती बन्धा के विकास
 का पूर्ण प्रबन्धा हैं ।
 खा- अन्य विकास कार्यों में नगर में कैटिल कालोनीज के विकास हेतु स्मया 50 लाखा
 की व्यवस्था की गई हैं । नगर के स्पेसीफाइड मार्गों पर कलरिंग के कार्यों
 का भी प्रस्ताव हैं । साथ ही साथ नगर के अन्य स्थानों पर पार्कों के
 विकास हेतु स्मया 20 लाखा का प्राविधान रखा गया हैं ।
 5- प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय
 वर्ष 1982-83 में प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय 9 % आता हैं ।
 वर्ष 1983-84 में अभियन्त्रण कार्यों का वृद्ध कार्यक्रम लिया गया हैं, 1/52 मां
 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय 3 % आता हैं ।
 6- विकास व्यय
 वर्ष 1982-83 में विकास व्यय स्मया 1.20 लाखा प्रति एकड़
 आया । मूल्यों में वृद्धि के फलस्वस्म वर्ष 1983-84 में विकास व्यय
 स्मय. 1 लाखा प्रति एकड़ संभावित हैं ।
 २०००

1983-84 में राजस्व एवं पूँजी खाते में प्रस्तावित आय एवं व्यय का विवरण

क्रम संख्या	आय की मदें	मूल बजट 1983-84 ₹ 50 लाखों में
क-	राजस्व :- =====	
1.	पदों का अधिशुल्क	5.00
2.	भावनों/दुकानों का किराया एवं प्रीमियम	83.38
3.	भावन चित्र तथा तावान शुल्क आदि	9.87
4.	अन्य प्राप्तियाँ	10.15
	योग:	108.40
ख-	पूँजीगत ऋण/अनुदान छोड़कर	
1.	भूमि की बिक्री	1742.08
2.	भावनों की बिक्री से आय	2059.99
3.	व्यवसायिक केन्द्रों से आय	440.00
4.	अन्य प्राप्तियाँ	10.00
	योग:	4252.07
	₹ महायोग:	4360.47
प्रारम्भिक अवशोषण 1.4.83		171.19
" " विनियोजित		365.00
	₹ बी योजना	536.19
ग-	प्रस्तावित ऋण =====	
1.	राज्य सरकार	150.00
2.	संस्थागत ऋण	753.59
	योग	903.59
घ.	शासकीय अनुदान	160.00
	(₹) महायोग :	1063.59
	कुल योग ₹ + बी + सी	5960.25

(18)
राजस्व व पूँजीगत व्यय वर्ष 1983-84
=====

क्रम सं० व्यय की श्रेणियाँ मूल बजट 1983-84
₹ 50 लाखों में

राजस्व :-

1.	अधिष्ठान (अभियन्त्रण के अतिरिक्त)	45.00
2.	संयोजित व्यय	24.95
3.	विकास कार्य (पुरानी योजनाएँ) तथा अनुरक्षण	74.70
4.	पुराने ऋणों पर व्याज/प्रतिदान	18.35
5.	अन्य व्यय	17.10
	योग:	180.11

पूँजीगत :-

1.	अधिष्ठान व्यय (अभियन्त्रण)	50.52
2.	ऋणों पर व्याज / प्रतिदान निक्षेप निधि को भुगतान	221.65
3.	भूमि अर्जन	800.00
4.	भूमि विकास (योजनाओं में अन्य विकास कार्य)	1204.00 91.00
5.	भवन निर्माण	2509.70
6.	व्यवसायिक केन्द्र/दुकानों का निर्माण	363.50
7.1-	स्तम्भ योजनाएँ	7.00
2-	बाय गैस तथा जल प्रदूषण योजना	157.78
8.	मशीनरी एवं स्टोर्स	210.00
9.	अन्य व्यय	125.14

योग: 5740.29

महायोग: 5920.40

अन्तिम अवशेष (समावित) 39.85

कुल योग: 5960.25

-19-

पुनरीक्षित बजट 1982-83 तथा मूल बजट 1983-84 का तुलनात्मक विवरण

आय	रु. स्मया लाखों में		
आय मदें	उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित बजट 1982-83	वास्तविक 1982-82	मूल बजट 1983-84
क- राजस्व			
=====			
1. पट्टों का अधिशुल्क	4.25	4.64	5.00
2. भावनों दुकानों इत्यादि का किराया/प्रीमियम	70.60	62.38	83.38
3. भावन चित्र तथा अन्य शुल्क	8.45	7.39	9.87
4. अन्य प्राप्तियाँ	9.75	11.69	10.15
योग रु.	93.05	86.10	108.40
ख- पूँजी खाता			
1. भूमि की बिक्री	742.15	787.28	1742.08
2. भावनों की बिक्री	801.31	771.55	2059.99
3. व्यवसायिक केन्द्रों से	75.00	42.55	440.00
4. अन्य	12.00	19.19	10.00
योग रु.	1630.46	1620.57	4252.07
ग- ऋण			
=====			
1. शासकीय ऋण	140.00	99.87	150.00
2. संस्थागत ऋण	165.00	32.63	753.59
योग:	305	132.50	903.59
11. शासकीय अनुदान	10.00	20.00	160.00
योग रु.	315.00	152.50	1063.59
महोयोग रु. + ख + ग	2038.51	1859.17	5424.06

व्यय

=====

क्रम सं०	व्यय मदें	पुनरीक्षित बजट 1982-83	वास्तविक 1982-83	मूल बजट 1982-84
----------	-----------	---------------------------	---------------------	--------------------

राजस्व

=====

1.	अधिष्ठान	37.86	32.93	45.01
2.	विकास/अनुरक्षण कार्य	34.20	24.07	74.70
3.	ऋणों का प्रतिदान	16.30	17.21	18.35
4.	अन्य व्यय	34.95	25.16	42.05

योग:-

123.31 99.37 180.51

पूँजीगत

=====

1.	अधिष्ठान	23.18	27.49	50.52
2.	ऋणों का प्रतिदान तथा निक्षेप निधि में अंशदान	193.70	200.27	221.65
3.	भूमि अर्जन	440.00	371.03	800.00
4.	योजनाओं में विकास कार्य	363.36	235.44	1204.00
5.	अन्य विकास कार्य	98.85	66.31	91.00
6.	भवन निर्माण	590.78	397.65	2509.70
7.	व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण	145.00	78.25	363.50
8.	§1§ स्लम योजना/क्लरिंग	4.00	4.23	7.00
	§11§ बाये गैस/ जलप्रदूषण योजना -		-	157.78
9.	मशीनरी एवं स्टोर्स	96.00	108.63	210.00
10.	अन्य व्यय	108.85	113.54	125.14

योग: 2073.72

1602.84 5740.29

महायोग: 2197.03

1702.21 5920.40

गत तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति
=====

आय				अव्यय			
मद	1980-81	81-82	82-83	मद	1980-81	81-82	82-83
राजस्व =====				राजस्व =====			
1. पट्टों का अधिशुल्क	22.46	2.94	4.64	अधिष्ठान	21.76	23.24	32.93
2. भवन/दुकानों का किराया	42.46	47.28	62.38	विकास/अनुरक्षण	14.29	10.99	24.07
3. भवन चित्र/अन्य शुल्क	3.65	5.15	7.39	ऋणों का प्रतिदान	17.83	17.27	17.21
4. अन्य प्राप्तियाँ	6.43	11.55	11.69	अन्य व्यय	17.08	21.26	25.16
॥योग: 55.00				॥योग: 70.96			
पूँजी खाता =====				पूँजी =====			
1. भूमि की बिक्री	165.20	180.48	787.28	1. अधिष्ठान	19.82	22.40	27.49
2. भवनों की बिक्री	72.55	151.18	771.55	2. ऋणों का प्रतिदान/व्याज इत्यादि	150.51	174.49	200.27
3. व्यवसायिक केन्द्रों से आय	-	-	42.55	3. भूमि अर्जन	47.15	93.04	371.03
4. अन्य	13.62	6.51	19.19	4. भूमि विकास योजनागत	95.97	61.72	235.44
॥योग: 251.37				॥योग: 338.17			
ऋण/अनुदान =====				ऋण/अनुदान =====			
शासकीय ऋण	152.09	145.93	99.87	5. अन्य विकास कार्य	14.98	11.67	66.31
" अनुदान	"	104.00	20.00	6. भवननिर्माण	135.75	164.01	397.65
संस्थागत ऋण	121.37	73.05	32.63	7. व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण	10.64	7.50	78.25
॥योग: 273.46				॥योग: 322.98			
महायोग:				महायोग:			
579.83				728.07			
1859.17				1602.84			
				महायोग:			
				634.14			
				668.40			
				1702.21			

मूल बजट 1983-84

(21)

क्र. सं०	आय के शीर्षक	वास्तविक आंकड़े 1981-82	उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित बजट 1982-83	वास्तविक आंकड़े 1982-83	मूल बजट 1983-84	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रारम्भिक अवशेष	2,19,35,829	3,16,51,858	3,16,51,858	1,11,19,358	
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

वर्ष 1982-83 के अन्त में 31.383 के अन्तिम अवशेष से यह मूल बजट प्रारम्भ किया गया है। इस वास्तविक अवशेष के अतिरिक्त स्मया 500 लाख का विनियोजित धन भी था जिस के विस्तृत लिए स्मया 135 लाख के समायोजन उपरान्त स्मया 365 लाख बजट वर्ष में उपलब्ध होगा।

क- राजस्व लेखा विधानन योजनाओं से लीजरेन्ट	2,93,601	4,25,000	4,63,762	5,00,000	
योग:-	2,93,601	4,25,000	4,63,762	5,00,000	

अलीगंज तथा अन्य योजनाओं में लीज रेन्ट के स्म में धनराशि आवंटियों से प्राप्त की जाती है। सम्भावित बकाया तथा चालू मांग को ध्यान में रखा कर प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

क. पुराने भवनों की हायर पेंरचेज किराया की वसूली	4,85,508	8,00,000	10,18,503	11,00,000
ख. भवनों का किराया	13,58,891	19,00,000	19,19,699	20,00,000
ग. दुकानों का किराया				
1. हजरतगंज जूनपथा मार्केट	25,85,679	40,00,000	29,34,465	36,50,000
2. सिन्डर्स डम्प आलमबाग	-	20,000	15,075	35,0000
3. अलीगंज	9,245	10,000	9,00	50,000
4. महानगर	-	10,000	9460	10,000
5. आई0टी0 कालेज	40,746	1,00,000	2,00,245	50,000
6. नक्शास तथा अन्य	3,000	2,00,000	51,378	4,53,000
योग:-	44,83,069	69,40,000	61,49,725	76,63,000

मद 2क में प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व निर्मित विधानन योजनाओं में किराया क्रय आधार पर उठे हुए भवनों की किरायों की वसूली की धनराशि जमा की जाती है।

मद 2ख तथा ग में प्राधिकरण द्वारा किराये पर दिए गये भवनों, दुकानों तथा कार्यालय भवनों की आय जमा की जाती है। दिनांक 31.3.83 को संभावित बकाया लगभग 46 लाख तथा वर्ष 83-84 की मांग लगभग 48 लाख होने की संभावना है। कुल 94 लाख स्मया के मांग के विस्तृत 76.63 लाख स्मये की वसूली का प्राविधान किया गया है। जबकि 1982-83 की वास्तविक आय रु 61.50 लाख है।

क. दुकानों का प्रीमियम				
1. हजरतगंज	48,331	1,0000	60,000	100000
2. सिन्डर्स डम्प आलमबाग	1,36,338	5,0000	19,500	25,000
3. आई0टी0 कालेज	4,995	5,0000	6,154	50,000
4. अन्य	55,559	10,000	2,263	5,00,000
योग:-	2,45,223	120000	87917	675000

दुकानों के प्रीमियम के सम्बन्ध में यह टोकेन प्राविधान रखे गये हैं।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4. क॥	असल सम्पत्ति के खिलखों पर शुल्क					
ख॥	अन्य शुल्कों से आय					
1.	भावन चित्र शुल्क	2,43,599	2,50,000	2,95,402	2,55,000	
2.	तावान शुल्क	2,22,005	5,00,000	3,04,928	6,00,000	
3.	असुहायित शुल्क	8,025	10,000	11,330	10,000	
4.	अन्य शुल्क विकास	40,947	85,000	1,27,631	1,22,000	
	योग:-	5,14,576	8,45,000	7,39,291	9,87,000	

भावन विभाग से प्राप्त आय इन मदों में जमा होती है। मदों के अनुदान वास्तविक आय के आधार पर है तथा तावान शुल्क से संभावित वृद्धि को ध्यान में रखाकर की गई है।

5.	अन्य प्राप्तियाँ					
1	क॥ रेजिडेंसी शुल्क तथा ख॥ गौतमबुद्ध पार्क से शुल्क	80,829	5,000	4,887	15,000	
2.	नजूल से प्राप्तियाँ	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	
3.	बाजार एवं मंडियों से आय	4,08,925	2,00,000	2,03,118	3,00,000	
4.	विविध प्राप्तियाँ	5,15,571	3,70,000	5,44,533	2,50,000	
	योग:	11,55,325	9,75,000	11,69,486	10,15,000	
	महायोग:	66,91,794	93,05,000	86,10,111	1,38,40,000	

अन्य प्राप्तियों के मद 5॥1॥क॥ख॥ में रेजिडेंसी तथा गौतम बुद्ध पार्क के शुल्क की आय उप मद ॥2॥ में नजूल निधि से प्राप्त अंशदान की आय तथा उप मद ॥3॥ में बाजारों तथा मंडियों की नीलामी से जो आय होती है, जमा की जाती है।

6	लेखों से स्थानान्तरण					
॥1॥	अन्य लेखों से राजस्व लेखों में स्थानान्तरण	10,45,467	33,95,000	15,60,143	73,60,000	
	कुल राजस्व आय	77,37,261	127,00,000	101,70,254	18200,000	

राजस्व लेखों की आय- वयस पक्षा से कम होने के कारण ऐसी लेखों में अपने अंतर्गत की आय से भुगतान सम्पन्न किए जाते हैं।

7- सम्पत्ति की बिक्री		पूँजी लेखा			
1.	भूमि की बिक्री से आय				
क-	अलीगंज	1,71,06,982	1,80,00,000	2,36,98,280	40,146,000
ख-	कानपुर रोड़	9,03,985	2,74,15,000	2,38,03,231	37810,000
ग-	मोती झील योजना	-	-	2,400	-
घ.	गोमती नगर योजना	-	2,38,00,000	2,61,41,546	5,41,61,000
ड.	सीतापुर रोड़	-	-	50,00,000	41,391,000
च.	अन्य	36,718	50,00,000	82,656	7,00,000
		13047685	74215000	78728,113	1742,08000

कृषया आय मदों के विस्तृत विवरण पृष्ठ 39 से 41 तक अवलोकन करें।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. व्यवसायिक केन्द्रों से आय						

क-	छितवापुर	-	50,00,000	26,19,090	2,00,00,000	कृपया आय मदों के विस्तृत विवरण पृष्ठ 44 से ... तक अवलोकन करें।
ख-	आरोटोओ	-	-	-	1,00,00,000	
ग-	चौक	-	-	-	1,00,00,000	
घ-	अलीगंज तथा अन्य	-	25,00,000	16,35,465	40,00,000	
	योग:-	-	75,00,000	42,54,555	4,40,00,000	

3. भावनों की बिक्री से आय						
क-भावनों का पूर्ण विक्रय						
1.	अलीगंज	92,40,884	1,80,00,000	1,87,14,685	67,65,000	कृपया आय मदों के विस्तृत विवरण पृष्ठ 42 से 43 तक अवलोकन करें।
2.	कानपुर रोड़	15,57,586	90,00,000	16,14,945	18,00,000	
3.	मोती झील	4,09,800	-	3,68,000	-	
4.	गोमती नगर	-	400,00,000	399,49,500	3,91,20,000	
5.	बटलर पैलेस/ला-प्लास	-	80,00,000	90,36,942	4,84,75,000	
6.	शंभाबाग/हाता रसूल खाँ	-	20,00,000	24,29,394	1,66,23,000	
7.	अन्य	-	-	1,74,600	42,00,000	

ख-हायर परसेज पर विक्रय						
1.	अलीगंज	38,72,733	29,31,000	46,08,546	39,56,000	कृपया आय मदों के विस्तृत विवरण पृष्ठ 42 से 43 तक अवलोकन करें।
2.	कानपुर रोड़	9,000	1,00,000	6,881	3,66,50,000	
3.	मोती झील	28,000	1,00,000	-	1,00,000	
4.	गोमती नगर	-	-	-	4,82,00,000	
5.	अन्य/अहाताओं तथा योजनाओं से	-	-	2,51,437	1,00,000	
	योग:-	1,51,18,003	801,31,000	7,71,54,930	20,59,99,000	

7.	व्याज तथा अन्य प्राप्ति	6,51,282	12,00,000	19,18,770	10,00,000	
	योग :-	3,38,16,970	16,30,46,000	16,20,56,368	42,52,07,000	

	राजस्व को स्थानान्तरित §-§	10,45,467	33,95,000	15,60,143	73,60,000	
	महायोग :	3,27,71,503	15,96,51,000	16,04,96,225	41,78,47,000	

1	2	3	4	5	6	7
9. शासन से ऋण						
1. मलिन वस्ती सुधार योजना				27, 00,000	1,50,00,000	
2. अन्य योजनाये	28,17,300		10,00,000		-	
3. एल.आई.सी./जी.आई.सी.	1,17,76,200		1,30,00,000	72, 87,200		
4. भारत सरकार से ऋण	-		-	-	1,60,00,000	
10. शासन से अनुदान						
1. गन्दी वस्ती पर्यावरण सुधार योजना	-		-	-	-	
2. अन्य ऋिंरा रोड/महिला, होस्टल हेतु <i>बाया गेस पाइपलाइन</i>	1,04, 00,000		10,00,000	20,00,000	160, 00,000	
11. संस्थागत ऋण						
1. हडको से ऋण	73,05,000		1,15, 00,000	32,63,000	7,53,59,000	
2. बैंक से ऋण	-		50,00,000	-	-	
3. बैंको से ओवरड्राफ्ट/अग्रिम	-		-	-	-	
योग ऋिंख	3,22,98,500		3,15,00, 000	152,50,200	10,63,59,000	
पूँजीखाते का योग ऋिंक + ख	6,50,70,003		19,11,51,000	17,57,46,425	52,42,06,000	
महायोग ऋिंराजस्व/पूँजी	7,28,07,264		20,38,51,000	18,59,16,679	54,24,06,000	
विनियोजन हेतु स्थानात्किरित	-		-	5,50,00,000	-	
	7,28,07,264		20,38,51,000	13,09,16,679	54,24,06,000	
प्रारम्भिक अवशेष	2,1935,829		3,16,51,358	3,16,51,358	1,71,19,358	
उचन्त लेख से ट्रांसफर	37,48,350		-	* 2,47,72,221	3,65,00,000	
महा योग:	9,84,91,443		23,55,02,858	18,73,40,758	59,60,25,358	
* डिपॉजिट के विरुद्ध अग्रिम	रु 1,35,00,000					
विनियोजन का आहरण	रु 49,84,506					
खण्डीय डिपॉजिट इत्यादि	रु 62,87,715					
योग	रु 2,47,72,221					

शासन से तथा संस्थागत संभावित ऋणों की प्राप्ति का विवरण पृष्ठ 48 पर है। भारत सरकार से बायो गैस प्लान्ट योजना के अन्तर्गत रु 150 लाख तथा जल प्रदूषण योजना हेतु रु 10 लाख के ऋण लेने का प्रस्ताव है।

क्र०सं०	व्यय के शीर्षक	वास्तविक आंकड़ें 1981-82	उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पुनर्ीक्षित बजट 1982-83	वास्तविक आंकड़े 1982-83	मूल बजट 1983-84
1	2	3	4	5	6
1- राजस्व लेखा					
१।१ अधिष्ठान					
१क	सामान्य प्रशासन	7,21,417	11,62,000	11,25,889	14,64,000
१ख	लेखा एवं कोषालय	2,38,152	4,05,000	2,97,084	4,66,000
१ग	कांिस्टिंग विभाग	1,36,441	76,000	76,056	1,29,000
१घ	न्यायाधिकरण का स्टाफ	73,809	1,36,000	1,20,480	1,02,000
१ङ	सम्पत्ति विभाग	1,98,893	4,71,000	4,28,054	5,72,000
१च	किराया अनुभाग	2,50,032	2,90,000	2,00,613	3,34,000
१छ	नजूल अनुभाग	2,38,794	4,80,000	3,74,607	4,93,000
१ज	विधि विभाग	98,513	1,74,000	1,52,204	1,70,000
१झ	भवन विभाग	3,68,047	5,92,000	5,18,349	7,71,000
	योग:	23,24,098	37,86,000	32,93,336	45,01,000
2-	अंकेक्षण शुल्क	3,00,000	3,00,000	3,69,990	6,50,000
3-	पुस्तकालय एवं वाचनालय	2,831	20,000	13,034	25,000
	योग:	26,26,929	46,06,000	41,76,350	51,76,000
4- संयोगिक तथा अन्य व्यय					
1.	टेलीफोन	25,912	1,00,000	51,534	1,50,000
2.	विविध व्यय	36,814	25,000	94,733	1,00,000
3.	वीडियो	2,038	60,000	10,229	60,000
4.	प्राधिकरण तथा अन्य बैठकों पर व्यय	9,510	20,000	20,396	25,000
5.	फार्म/स्टेशनरी	1,39,155	1,50,000	3,30,431	2,50,000
6.	किराया/टैक्सेज	7,50,000	5,00,000	2,94,262	13,00,000
7.	फर्निचर्स	46,010	50,000	21,399	1,00,000
8.	कर्मचारियों के कल्याण हेतु सुविधा	-	80,000	-	60,000
9.	मानदेय	1,500	50,000	30,000	50,000
10.	अग्रिम कर्मचारियों को	1,034	2,50,000	88,865	2,50,000
11.	अन्य व्यय	22,406	1,50,000	68,815	1,50,000
	योग :रु०	10,34,379	14,15,000	10,20,664	24,95,000

अधिष्ठान मदों में सामान्य प्रशासन/राजस्व समाहरण तथा सम्पत्ति व्यवस्था करने वाले विभागों का प्राविधान रखा गया है। प्राविधान नये वेतन मानों पर आधारित है तथा विधेयक भाग पृष्ठ 40 से 59 पर है। कार्यों की सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु कुछ अतिरिक्त मदों हेतु अनुमान सम्पत्ति का विवेक रखा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों की सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जिसकी आडिट फीस का भुगतान करना होता है जिसके भुगतान हेतु व्यवस्था की गयी है।

राजस्व विभागों के संयोगिक व्यय हेतु प्राविधान इन मदों में किया गया है।

1	2	3	4	5	6
5- ऋणों का प्रतिदान					
क- पुराने शासकीय ऋण					
क- पूलधन का प्रतिदान	4,49,597	800000	742957	745000	
ख- व्याज का भुगतान	12,77,525	830000	978165	1090000	
	योग -	17,27,122	16,30,000	1721,122	1835000
6- मशीनरी और यंत्र	62098	300000	52892	200000	
7- उपकरण एवं भंडार वस्तुएँ	1,49,492	200,000	205024	150000	
	योग	2,11,505	500000	257916	350000
४-४ प्राधिकरण के वाहनों का रख रखाव					
1- ईंधन पर व्यय		150,000	8122	150000	
2- वाहनों की मरम्मत तथा अनुसरण	4,02,462	450000	246702	300000	
	योग	4,02,462	600000	254824	450000
महायोग	6,13,967	1100000	512740	800000	

प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व जो ऋण प्राप्त हुए थे उनकी परिसम्पत्ति/दायित्व प्राधिकरण को प्राप्त होने के कारण ऋणों का प्रतिदान करना होता है जिसका प्राविधान इस मद में किया गया है।

मद 6 तथा 7 में टूल एण्ड प्लान्ट्स के क्रय करने का प्राविधान है। मद

7-४ प्राधिकरण की डीकिल्स हेतु ईंधन क्रय तथा उनके अनुरक्षण हेतु प्राविधान रखे गये हैं।

1	2	3	4	5	6
8	श्रृंखला पुरानी योजनाओं में विकास कार्य				
	1-भूमि सर्वेक्षण एवं विकास	47,371	25000	138459	50000
	2-मार्ग एवं गलियाँ	1,48,525	150000	93745	100000
	3-मन नाले नालियाँ	63,264	75000	19406	50000
	4-जल संभरण	16,273	50000	27578	50000
	5-रोशनी	1,25,193	50000	14158	100000
	6-पार्क	1,86,441	20000	2658	50000
	7-प्रकीर्ण एवं आकस्मिक व्यय	23,985	70000	87807	100000
	योग श्रृंखला	6,11,052	440,000	383811	500000

श्रृंखला विभिन्न पार्कों का रखरखाव

1-अलीगंज	-	150000	157119	175000
2-कानपुर रोड	-	50000	48064	50000
3-अन्य नजूल पार्क	-	1130000	1029173	1360000
योग श्रृंखला	-	1330000	1234356	1585000

श्रृंखला कार पार्किंग निर्माण

1-हजरत गंज	-	-	-	500000
2-अमीनाबाद	-	-	-	250000
3-चारबाग	-	-	-	250000
महायोग	611,052	1770000	16,18167	3085000

9 श्रृंखला मरम्मत/अनुरक्षण/निर्माण कार्य

1-भवनो की मरम्मत	2,70,412	500000	240717	400000
2-कार्यालय भवन की मरम्मत	2,01,307	225000	341165	1000000
3-कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु गृह निर्माण	-	600000	-	2500000
4-दुकानों एवं क्रियात्मक	16,182	50000	11221	50000
योग	4,87,901	13,75,000	593,103	39,50,000

प्राधिकरण की स्थापना के समय अलीगंज योजना के अतिरिक्त महानगर, महानगरविस्तार, लुतुबपुर, पेपर मिल, मधिया इत्यादि योजनाएँ थीं जिनके विकसित कार्यों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान रखा गया है।

मद सं० 8 ख में विकसित पार्कों की देख रेख का प्राविधान रखा गया है।

नगर में ट्रैफिक नियन्त्रण के आश्रय से प्रथम चरण में हजरतगंज चारबाग तथा अमीनाबाद में कार पार्किंग निर्मित करने हेतु प्राविधान किया गया है।

श्रृंखला 9 श्रृंखला तथा श्रृंखला में प्राधिकरण के किराये पर उठे भवनो तथा दुकानों के अनुरक्षण का प्राविधान रखा गया है। लक्ष्मण विकास प्राधिकरण कार्यालय नजूल भवन में स्थित है। इसके अनुरक्षण हेतु प्राविधान मद सं० 8 श्रृंखला 11 में है।

(39)

§ग§ प्राधिकरण की दुकानों / केन्द्रों का
रखा रखाव आदि

		1,37,000		21,5000
1- जनपथ	-	120000	85134	100000
2- नरखास	-	100000	55892	200000
3-आई0 टी0 कालेज	-	10000	820	10000
4-सिण्डर्स डम्प	-	25000	9856	50000
5- अन्य	-	20000	43976	75000

§ग§ मद सं0 9 §ख§ के
प्राधिकरण के अधिकारियों को भवनों के निर्माण
के लिये प्राविधान रखा गया है।

योग §ख§

- 275000 195678 4,35000

महायोग §क §ख§

4,87,901 16,50000 786,781 43,85,000

10 जमा धन की वापिसी

1- ठेकेदारों की प्रतिभूति/अन्य निपेक्ष	25,727	100,000	19533	150000
2- किराये एवं प्रीमियम	1,03,365	50000	17878	75000
3- अन्य	45,353	10000	61846	10000

योग-

1,74,445 160000 99257 235000

महायोग -

72,75795 12331000 9937081 1,8011000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
मुंजी लेखा व्यय :-						
1.	मुख्य अभियन्ता कार्यालय	73,733	1,22,000	89,904	1,40,000	
2.	अभियन्त्रणा खाण्ड-1	5,22,536	4,07,000	5,11,110	6,50,000	
3.	अभियन्त्रणा खाण्ड-2	3,60,312	3,57,000	3,30,615	4,76,000	
4.	अभियन्त्रणा खाण्ड-3	3,06,687	4,25,000	4,44,494	4,94,000	
5.	अभियन्त्रणा खाण्ड-4	3,27,177	4,47,000	3,45,715	3,83,000	
6.	अभियन्त्रणा खाण्ड-5	3,40,055	4,54,000	4,43,221	5,07,000	
7.	अभियन्त्रणा खाण्ड-6	-	3,50,000	1,00,785	5,01,000	
8.	भूमि अर्जन अधिष्ठान खाण्ड-7	32,888	2,43,000	94,057	3,98,000	
9.	नगर नियोजन विभाग	2,76,888	4,07,000	3,57,282	5,47,000	
10.	अभियन्त्रणा खाण्ड-8	-	42,000	17,678	4,14,000	
11.	अभियन्त्रणा खाण्ड-9	-	464,000	14,178	1,58,000	
12.	अभियन्त्रणा खाण्ड-10	-	-	-	1,60,000	
13.	प्रोजेक्ट खाण्ड बायो गैस	-	-	-	222,000	
योग:-		22,40,276	33,18,000	27,49,039	50,52,000	

सांयोगिक व्यय तथा अन्य व्यय

1.	प्राविधिक आडिट फीस	-	-	-	-	
2.	फर्नीचर	8,382	1,25,000	37,318	1,9,000	
3.	विधि व्यय	5,500	10,000	26,159	2,0,000	
4.	छपाई का व्यय	32,769	3,00,000	2,63,336	3,00,000	
5.	लेखान सामग्री	43,647	1,50,000	5,089	1,71,000	
6.	बिजली / टेलीफोन	9,289	1,00,000	52,506	81,000	
7.	वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन	3,24,991	8,00,000	8,89,090	9,0,000	
8.	कर्मचारियों का अग्रिम	5,590	2,00,000	10,600	2,0,000	
9.	विधि व्यय	7,966	1,00,000	53,052	1,0,000	
10.	कर आदि	2,12,872	17,50,000	22,81,739	3,0,000	
11.	बाहनों का रखरखाव	68,282	-	-	-	
12.	नगर के सर्वे हेतु	-	50,000	1,000	0,000	
13.	प्लान प्रिपेरेशन/छपाई	60,000	1,00,000	-	0,000	
योग:-		7,79,288	36,85,000	36,19,889	25,4,000	

शासकीय श्रणों का प्रतिदान :-

क.	मूल धान का प्रतिदान	27,23,764	35,00,000	35,07,819	40,70,000	
ख.	व्याज का भुगतान	73,97,875	64,70,000	86,10,520	87,75,000	
11. संस्थागत श्रण						
क.	मूल धान का प्रतिदान	19,22,000	33,00,000	22,54,000	28,0,000	
ख.	व्याज का भुगतान	30,06,055	37,00,000	32,55,226	40,00,000	
ग.	निषेधा निधि का भुगतान	23,95,395	24,00,000	23,99,395	24,00,000	
योग:-		1,74,49,089	1,93,70,000	2,00,26,960	2,21,65,000	

विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता तथा नगर नियोजन कार्यालय के अतिरिक्त 9 खाण्ड है, जिनके अधिष्ठान सम्बंधी प्राविधान नये वेतनमान पर आधारित हैं। इन मदों में रखे गये प्राविधानों के विस्तृत विवरण आगे पृष्ठ 60 से 71 तक हैं। बाये गैस प्लान्ट योजना को कार्यान्वित करने तथा प्रोजेक्ट को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक प्रोजेक्ट खाण्ड तथा अन्य कार्यों की परिपूर्ति हेतु खाण्ड 9 तथा 10 स्थापित करने हेतु अतिरिक्त पदों हेतु अनुमान रखे गये हैं।

अभियन्त्रणा खाण्डों के विभिन्न सांयोगिक मदों के व्यय हेतु प्राविधान इन मदों में किये गये हैं। वाहनों की मरम्मत हेतु प्राविधान राजस्व लेखों में मद संख्या 78 खा में किया गया है।

लेखान विकास प्राधिकरण की स्थापना से अब तक जो श्रण प्राप्त हुए हैं उन के व्याज तथा मूल धान के भुगतान की व्यवस्था इन मदों में की गयी है। प्राधिकरण को वर्ष 1982-83 में जो संस्थागत अथवा शासकीय श्रण प्राप्त हुये हैं उन का भुगतान भी वर्ष 1983-84 में करना होगा। अतएव पुनरीक्षित बजट की अपेक्षा मूल बजट में प्राविधान कुछ बढ़ाकर रखे गये हैं।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4. भूमि अर्जन						
1. अतीर्ण योजना	23,03,821	70,00,000	10,69,950	50,00,000		
2. कानपुर रोड़	67,50,000	70,00,000	85,00,000	2,00,00,000		
3. मैथिल रोड़	-	5,00,000	-	20,00,000		
4. सीतापुर रोड़	-	150,00,000	45,00,000	2,00,00,000		
5. गोमती नगर योजना	-	1,45,00,000	135,33,488	3,00,00,000		
6. बटनर गैज/एशाबाग/बी.एन. रोड़	-	-	12,86,489	15,00,000		
7. अन्य योजनाएँ/हाता तथा अन्य योजनाएँ/रिहा रोड़, राधा गाँव	2,50,000	100,00,000	84,13,000	15,00,000		
योग:	93,03,821	440,00,000	3,71,02,927	8,00,00,000		

गठानक विकास प्राधिकरण द्वारा बजट वर्ष में गोमती नगर, सीतापुर रोड़, मैथिल रोड़भाग-3, 4, कानपुर रोड़, हरदोई रोड़, बिजनौर रोड़ में भूमि अर्जित करने की व्यवस्था की जा रही है, जिले प्रतिकर के भुगतान हेतु व्यवस्था इत मद् में की गयी है।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5. भूमि विकास						
1. अतीर्ण योजना						
1. भूमि का सर्वेक्षण	2,690	22,000	16,033	65,000		
2. भूमि का सुधार	1,80,548	3,70,000	2,78,874	5,00,000		
3. मार्ग एवं गलियों	14,41,527	29,00,000	24,41,619	20,00,000		
4. मल नाले व नालियाँ/सड़क वाटर ड्रेन सहित	7,94,274	19,00,000	18,54,589	18,00,000		
5. जल व्यवस्था	69,208	14,00,000	12,19,862	13,00,000		
6. रोशानी	65,331	37,00,000	34,99,070	30,00,000		
7. पार्क	1,28,683	2,00,000	5,91,325	17,00,000		
8. आकस्मिक व्यय	86,841	1,44,000	2,49,010	2,35,000		
9. विकसित कार्यों का रखरखाव	-	3,00,000	92,345	2,00,000		
योग:	27,69,102	1,09,36,000	102,42,727	1,08,00,000		

अतीर्ण योजना के समस्त सेक्टरों के विकास कार्य पूर्ण करने हेतु प्राविधान इन मदों में किए गये हैं।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. कानपुर रोड़						
1. भूमि का सर्वेक्षण	98,724	1,00,000	21,397	5,30,000		
2. भूमि का सुधार	1,23,491	5,00,000	4,17,729	24,20,000		
3. मार्ग एवं गलियों	18,77,323	35,80,000	45,45,442	1,01,65,000		
4. मल नाले एवं नालियाँ	5,84,673	45,00,000	32,63,472	78,82,000		
5. रोशानी	1,40,147	15,00,000	13,81,155	26,20,000		
6. जल व्यवस्था	3,22,829	10,00,000	10,50,930	25,30,000		
7. पार्क	97,528	5,00,000	6,42,104	37,50,000		
8. आकस्मिक व्यय	79,513	4,00,000	1,01,299	7,53,000		
9. विकसित कार्यों का रखरखाव	-	1,00,000	24,725	8,00,000		
योग:	33,24,228	121,80,000	114,48,253	3,15,00,000		

इस योजना के सेक्टर डी, ई, एफ, ट्रांसपोर्ट नगर में पूर्ण विकास हेतु तथा सेक्टर डी-1 तथा बी प्रत्येक में 10 एकड़ भूमि के विकास हेतु सेक्टर-के0 तथा के0 में भूमि के विकास में सड़को की सोलिंग तक कार्य होगा।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3. सीतापुर रोड़						
1. भूमि का सर्वेक्षण	-	-	-	2,00,000		
2. भूमि विकास	-	-	-	6,00,000		
3. मार्ग एवं गलियाँ	-	-	-	20,00,000		
4. मल नाले और नालियाँ	-	-	-	7,00,000		
5. जल व्यवस्था	-	-	-	3,50,000		
6. रोशानी	-	-	-	9,50,000		
7. पार्क	-	-	-	1,00,000		
8. आकस्मिक व्यय	-	-	-	1,00,000		
योग:	-	-	-	50,00,000		

विभिन्न कार्य भूमि के विकास तथा सड़को की सोलिंग की सीमा तक कार्य सम्पादित कराने हेतु इन मदों में प्राविधान रखा गया है।

1	2	3	4	5	6
4- मोमती नगर योजना					
1-भूमि का सर्वेक्षण	-	265000	43286	4,60,000	
2-भूमि विकास	-	575000	-	57,40,000	
3-सड़के	-	7800000	1182,756	2,92,00,000	
4- मल नाले नालियाँ	-	500000	-	76,50,000	
5- जल व्यवस्था	-	50,000	-	45,50,000	
6-रोशानी	-	500 000	-	1,05,00,000	
7-पार्क	-	200000	-	14,00,000	
8-आकस्मिक व्यय	-	230,000	-	5,00,000	
	योग	-	10120000	1226,042	6,00,00,000

जिन स्थानों पर इस योजना में भवन निर्मित किए जाने हैं उसके पूर्ण विकास हेतु प्राविधान रखे गये हैं। अन्य स्थानों पर भूमि विकास का कार्य सम्पादित किया जायेगा तथा सड़कों की सोलिंग कार्य की सीमा तक पूर्ण भी करने का विचार है।

**5- अन्य योजनाये § जिसमें बटलर पैलेस ला-प्लास
ऐशाबाग, हाते तथा अन्य योजनाए §**

1-भूमि सर्वेक्षण	-	80000	75697	55,000	
2-भूमि का सुधार	4,731	12,20000	203468	8,75000	
3-मार्ग एवं गलियाँ	5,710	11,00,000	96435	19,00,000	
4- मल नाले एवं नालिया	21,866	2,25,000	50013	25,60,000	
5- जल व्यवस्था	14675	2,00,000	61973	9,70,000	
6-रोशानी	8,782	1,25,000	66345	6,30,000	
7-पार्क	6,637	50,000	28153	6,60,000	
8-आकस्मिक व्यय	15,790	50,000	32328	350,000	
9- चिह्नित कार्यों का रखरखाव	-	50,000	12480	1,00,000	
	योग	78,191	3100,000	626892	81,00,000
	महायोग	6171,521	36336000	23543914	11,54,00,000

इस मद में प्रमुख रूप से नैपियर रोड, हाता रतूल एवं ऐशाबाग, बटलर पैलेस ला-प्लास तथा अन्य योजनाओं में विकास कार्यों को सम्पादित करने हेतु पूर्ण प्राविधान रखे गये हैं। महानगर योजना में रु० 50 लाख की लागत से 'सीवर' डालने का विचार है जिसके लिये रु० 10 लाख का रोकेने प्राविधान रु० सं० § सम्मिलित किया गया है।

15 (u)

16 - आवासीय निर्माण

1- अलीगंज

	3	4	5	6
1. उच्च आय कर्णिय गृह निर्माण	7,54,518	25,00,000	25,86,625	10,00,000
2. मध्यम आय कर्णिय गृह निर्माण	33,48,966	84,00,000	94,46,866	15,00,000
3. निम्न आय कर्णिय गृह निर्माण टाईप-2	2,47,781	2,00,000	9,81,305	35,00,000
4. हडको				
क. तृतीय चरण (दुर्बल आय वर्ग)	1,71,072	3,00,000	1,05,206	2,00,000
ख. पंचम चरण (सामान्य आय वर्ग)	9,01,266	8,50,000	3,15,370	10,00,000
ग. षष्ठम चरण	19,94,900	29,00,000	41,00,862	15,00,000
घ. सातम चरण	-	-	-	10,00,000
5. सामान्य जीवन बीमा योजना (दुर्बल आय वर्ग)	35,33,625	37,00,000	53,47,984	30,00,000
योग:	1,09,52,128	1,88,50,000	2,28,84,218	1,27,00,000

बजट वर्ष में अलीगंज योजना में नये मकानों के निर्माण हेतु ₹30.00 लाख का प्राविधान तथा वर्ष 1982-83 के अधूरे भवनों की पूर्ति हेतु प्राविधान रहे गये हैं।

भवन निर्माण सम्बन्धी विवरण पृष्ठ 46-47 पर संलग्न है।

2. कानपुर रोड योजना

1. हडको योजना के अन्तर्गत	15,39,705	20,00,000	47,30,638	10,00,000
2. सामान्य जीवन बीमा (दुर्बल आय वर्ग)	29,16,859	45,00,000	78,55,664	21,70,000
3. निम्न आय वर्ग भवन	-	25,00,000	33,92,946	1,05,00,000
4. मध्यम आय वर्ग भवन	-	10,00,000	2,000	3,54,00,000
5. उच्च आय वर्ग भवन	4,360	5,00,000	-	2,85,00,000
योग:	44,60,924	1,05,00,000	1,59,81,248	7,75,70,000

॥I॥ भवनों के निर्माण का विवरण पृष्ठ 46 पर दिया हुआ है

॥II॥ सेक्टर डी-1 में भवनों के निर्माण हेतु ₹10.00 लाख का टोकन प्राविधान इसी में सम्मिलित है।

3. गौमती नगर योजना

1. साईट्स/सर्विसेज	-	30,00,000	-	70,50,000
2. दुर्बल आय वर्ग	-	-	-	6,00,000
3. निम्न आय वर्ग	-	6,68,000	-	1,80,00,000
4. मध्यम आय वर्ग	-	1,28,00,000	-	4,70,00,000
5. उच्च आय वर्ग	-	1,00,00,000	-	-
योग :	-	2,64,68,000	-	7,26,50,000

प्राधिकरण की प्रमुख योजना है। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के 7123 भवन निर्माण करने हेतु व्यवस्था की गयी है। जिसका पूर्ण स्नेज प्राविधान इस मद में किया गया है। भवन निर्माण की विस्तृत स्थिति पृष्ठ 46 पर है।

4. बटलर पैलेस/लाप्लास/ऐशबाग रोड योजना/सीतापुर रोड

1. दुर्बल आय वर्ग	-	1,00,000	-	3,10,000
2. निम्न आय वर्ग	-	3,00,000	-	27,40,000
3. मध्यम आय वर्ग	-	5,20,000	1,85,531	70,00,000
4. उच्च आय वर्ग	-	4,00,000	-	2,00,00,000
योग :	-	13,20,000	1,85,531	3,00,20,000

भवनों के निर्माण का विवरण पृष्ठ सं 46-47 पर दिया हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7
5. हातारसूल खॉ/हाता सरजू प्रसाद/						
खाता मातादीन/राम नगर/मोती						
नगर/चैत्ताखेड़ा/लक्ष्मण दास						
1. दुर्बल आय वर्ग	-	-	-	-	20,30,000	विवरण पृष्ठ सं. 46 पर दिया हुआ है।
2. निम्न आय वर्ग	-	-	-	-	85,00,000	
3. मध्यम आय वर्ग	-	-	41,925	-	1,00,00,000	
4. उच्च आय वर्ग	-	-	-	-	2,00,00,000	
योग:	-	-	41,925	-	4,05,30,000	
6. मोतीझील योजना/रेशबाग योजना						
1. दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण	2,77,048	1,10,000	30,619	-	2,00,000	
2. साईट्स एवं सीक्विज	22,170	1,00,000	-	-	-	
3. अल्प आय वर्ग गृह निर्माण	-	2,00,000	79,574	-	-	
4. मध्यम आय वर्ग	674,808	10,00,000	3,83,396	-	2,00,000	
योग	9,29,686	14,10,000	4,93,589	-	4,00,000	
7. पेपर मिल कालोनी भीखमपुर						
1. उच्च आय वर्ग गृह निर्माण	58,593	1,00,000	32,535	-	1,00,000	
2. मध्यम आय	-	-	-	-	21,00,000	
3. अन्य	-	-	-	-	50,000	
योग :	58,593	1,00,000	32,535	-	22,50,000	
8. अन्य योजनाएं मोरेस मारकेट/नैपियर						
रोड अंश 2-3/स्टेडियम के समीप/मीरतकी						
मीर मार्ग/तथा अन्य योजनाएं सम्मिलित है						
1. दुर्बल आय वर्ग	-	-	-	-	53,50,000	विवरण पृष्ठ सं. 46 दिया हुआ है।
2. निम्न आय वर्ग	-	-	-	-	5,00,000	
3. मध्यम आय	-	-	-	-	10,00,000	
4. उच्च आय	-	-	-	-	60,00,000	
योग :	-	-	-	-	1,28,50,000	
9. प्राधिकरण कार्यालय						
अन्य	-	4,00,000	1,46,366	-	20,00,000	
	-	30,000	-	-	-	
महायोग:	1,64,01,331	5,90,78,000	3,97,65,412	-	25,09,70,000	

1	2	3	4	5	6
17-	कामधियाल काम्पलेक्स	117,873			
	1-हजरतगंज जेनपथ		100,000	105274	50,000
	2-नक्शात योजना	10,156	-	-	-
	3- आर० टी० ओ०	-	200000	17533	25,00,000
	4-छितवापुर	2,41,290	100,00,000	5629569	150,00,000
	5- तिण्डर डम्प	53,126	5,00,000	78056	40,00,000
	6- नगर मे क्विास्क का निर्माण	840	1,00,000	35311	15,00,000
	7-क॥ अलीगंज शापिक काम्पलेक्स का विस्तार	2,57,536	8,00,000	564049	40,00,000
	क॥ कपुरथला बाग शापिक काम्पलेक्स	-	9,00000	939503	10,00,000
8-	8-अन्य स्थानों पर दुकानो कानि०	45,522	300000	73556	1,00,000
	9-क्लार्क अवध के पास शाभेअवध निर्माण	-	200,000	197793	2,00,000
	10-आइ०टी०कालेज स्थितिदुकानो पर कार्यालय भवन	12,126	50,000	114667	5,00,000
	11-कैसरबाग मडी	11,997	250000	6919	-
	12-चौक काम्पलेक्स	-	100000	-	25,00,000
	13-मैरिस मार्केट	-	-	62763	-
	14-कानपुररोड योजना	-	-	-	25,00,000
	15-अलीगंज मे महिला छात्रावास	-	-	-	500,000
	16- सूरज कुन्ड काम्पलेक्स	-	-	-	20,00,000
	योग	750466	13500,000	7824993	3,63,50,000
18-	विभिन्न योजनाएँ				
	क॥ मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना	138616	100,000	15902	100,000
	म॥ मलिन बस्ती निपातन योजना	120955	200000	407005	200,000
	योग	259,571	300 000	422907	300 000
	क॥ कलर स्कीम	-	100 000	-	400 000
	ग॥ बायो गैस योजना	-	-	-	14778000
	च॥ जल प्रदूषण नियन्त्रण यो०	-	-	-	10,00,000
	योग	-	100 000	422907	16178000
	योग मद-18	259,571	400,000	422907	16478000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19. अन्य विकास/सुधार						
1. पार्क						
कू	पुराने पार्क	7,66,377	50,000	66,363	1,00,000	
खा	नये पार्कों नीबूबाग, सूरजकुण्ड इत्यादि	3,73,576	42,85,000	11,18,836	36,00,000	
2	रिंग रोड का निर्माण	-	50,00,000	50,00,000	-	
3.	महिला हास्टल	26,733	-	3,32,860	5,00,000	
4.	नेशनल पार्क/कानपुर रोड़	-	-	-	10,00,000	
5.	टिकैत राय तालाब/स्मृती दरवाजा	-	-	-	27,00,000	
	स्म द्राली/गोमती बन्धा	-	-	-	2,00,000	
6.	अन्य पार्क	-	5,50,000	-	10,00,000	
7.	विधुत आवदाह गृह का निर्माण	-	10,00,000	1,12,905	10,00,000	
	योग:	11,66,686	1,08,85,000	66,30,967	91,00,000	
20. विभिन्न स्थानों पर कैटिल कालोनीज का विकास						
		-	-	-	50,00,000	
21. कू भवन/विकास कार्यों हेतु स्टोर्स क्रय						
	18,58,158	90,00,000	93,87,153	1,40,00,000		
खा मशीनरी एवं संयंत्र						
	1,33,456	6,00,000	14,76,170	70,00,000		
	योग:	19,91,614	96,00,000	1,08,63,323	2,10,00,000	
22. जमा धानराशि की वापसी						
=====						
1.	भूमि के लिए जमा धान	12,10,059	50,00,000	49,90,356	50,00,000	
2.	भवनों के लिए जमा धान	12,09,633	20,00,000	18,08,682	40,00,000	
3.	ठेकेदारों की प्रतिभूमि	90,435	2,00,000	84,972	10,00,000	
4.	रिमीटेन्सेज अवशोषण	5,40,000	-	8,49,978	-	
	योग:	30,50,127	72,00,000	77,33,988	1,00,00,000	
योग पूंजी खाता						
		5,95,63,790	20,73,72,000	16,02,84,319	57,40,29,000	
महायोग कू+ खा						
		6,68,39,385	21,97,03,000	17,02,21,400	59,20,40,000	
अन्तिम अवशोषण						
		3,16,51,858	1,57,99,898	1,71,19,358	39,85,358	
	योग:	9,84,91,443	23,55,02,898	18,73,40,758	59,60,25,358	

इन मदों में जिन पार्कों के विकास कार्य समाप्त हो रहे हैं उनके अतिरिक्त कानपुर रोड़ पर नेशनल पार्क, जमुनाझील भाग-2 कुरिया धाट, टिकैत राय का तालाब, गोमती बन्धा तथा अन्य पार्कों के सौन्दरीकरण के कार्यों की सम्पादित हेतु व्ययानुमान रखे गये हैं।

मद 20 में विभिन्न कैटिल कोलोनीज में विकास कार्य कराने हेतु प्राविधान रखे गये हैं।

मद 21 में भवन सामग्री के क्रय हेतु प्राविधान रखे गये हैं। इस मद में पेवर, फिनिशर, जीपे, रोड़ रोलर आदि का क्रय सम्मिलित हैं।

मद 22 में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में जनता से जो धानराशियों डिमाण्ड के स्म में ली गयी है उनमें जिन लोगों को आवंटन नहीं होगा उनकी धानराशि तथा जो लोग भूमि अथवा भवन नहीं लेंगे उन की धानराशि वापस करने हेतु प्राविधान रखे गये हैं।

1	2	3	4	5	6	7
प्रारंभिक संतुलन		11,12,875	6,81,002	6,81,002	4,17,480	
अन्य अग्रिम						
1. बैंकों से डिपॉजिट के बिलंब		68,081	1,00,000	65,789	1,00,000	
2. विकास/निर्माण कार्य हेतु		1,00,000	-	-	4,00,000	
क- सन्तुलन/संस्थाओं से		-	-	-	-	
ख- शासन से		-	-	-	-	
3. ठेकादारों तथा अन्य डिपॉजिट		16,383	-	-	-	
13. अन्य अग्रिम						
1. बैंकों से डिपॉजिट के बिलंब		-	-	1,35,00,000	-	
2. डिपॉजिटों को रिजेक्ट गये		5,62,731	5,00,000	3,83,419	4,00,000	
3. अग्रिम की वापसी		-	-	-	-	
3. ठेकों से अग्रिम						
§क§ पूंजी से		3,68,136	1,00,000	-	2,00,000	
§ख§ राजस्व		-	-	-	-	
§ग§ नकूल		40,000	1,00,000	-	4,00,000	
14. विनियोगों के अग्रिम		-	-	50,00,000	50,00,000	
15. सिंक्रो फण्ड से प्राप्त		-	-	-	-	
16. खण्डीय खाता § सस्पेन्स खाता § :						
§क§ स्टॉक		11,69,675	40,00,000	36,71,603	50,00,000	
§ख§ मिस. पी. डब्ल्यू. एडवॉन्स इत्यादि		-	-	59,16,532	50,00,000	
§ग§ रिमॉडेल्ड		2,74,34,919	3,50,00,000	6,10,81,449	7,00,00,000	
17. पूंजी/राजस्व से विनियोग/अग्रिम हेतु धन स्थानान्तरण		-	5,50,00,000	5,50,00,000	-	
योग		3,08,72,850	9,54,81,002	14,52,99,794	13,19,17,480	
पूंजी/राजस्व को धन स्थानान्तरण		37,48,350	-	2,47,72,221	3,65,00,000	
अंश योग		2,71,24,500	9,54,81,002	12,05,27,573	9,54,17,480	

उच्चन्त खाते का संवाहन आय-व्यय के नियन्त्रण के आशय से किया जाता है प्राधिकरण की केश आय अथवा व्यय प्रभावित नहीं होते हैं। सरप्लस धन का विनियोजन, ठेकों के अग्रिम, खण्डों के आय-व्यय के समायोजनार्थ ट्रान्सेफरान से करते हैं। वर्ष 1982-83 में डिपॉजिट के अग्रिम रिजेक्ट गये तथा विनियोजित धन आहरित किये गये जिसकी आय इस खाते में लेकर वास्तविक ठेकों को हस्तान्तरित कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6
23. अन्य निधिप					
1. कर्मचारियों के बीमा के भुगतान	71,471	1,00,000	-	-	1,00,000
2. विकास/निर्माण कार्य हेतु					
क- जनता/संस्थाओं से	13,952	-	-	-	4,00,000
ख- शासन से	-	-	-	-	-
3. ठेकेदारों तथा अन्य डिपॉजिट	-	-	-	-	-
24. अन्य अग्रिम					
1. बैंको से डिपॉजिट के विरुद्ध	-	-	-	-	1,35,00,000
2. विभागों को दिये गये अग्रिम की वापसी	-	5,00,000	64,702	-	4,00,000
3. अन्य लेखों से प्राप्त अग्रिमों की वापसी					
क पूर्ण लेख से	8,61,452	1,00,000	4,00,000	-	2,00,000
ख राजस्व	9,585	-	-	-	-
ग नज़ूल	40,000	1,00,000	-	-	4,00,000
25. विनियोगों	-	5,50,00,000	5,50,00,000	-	-
26. सिंक्रिंग फण्ड से प्राप्त	-	-	-	-	-
27. खण्डीय खाता सस्पेन्स खाता:					
क स्टॉक	1,50,154	40,00,000	-	-	50,00,000
ख मिस.पी.डब्लू. एडवॉन्स/रिमीटेन्स	-	50,00,000	35,63,942	-	54,17,480
ग रिमीटेन्स	2,52,96,884	3,00,00,000	6,10,81,449	-	7,00,00,000
28. पूर्ण/राजस्व से विनियोजन/अग्रिम हेतु धन स्थानान्तरण	-	-	-	-	-
योग ..	2,64,43,493	9,48,00,000	12,01,10,093	-	9,54,17,480
अन्तिम अवशेष	6,81,002	6,81,002	4,17,480	-	-
महायोग....	2,71,24,500	9,54,81,002	12,05,27,573	-	9,54,17,480

भूमि की विक्रय से प्राप्त होने वाली आय का विवरण
 = = = = =

अलीगंज योजना

(39)

1. पंजीकृत भूखण्डों से आय	संख्या	दर प्रति वर्ग फुट स्मर्षी	धानराशि लाख में रु	विवरण
20x48 § सेक्टर -एफ§	58	15/-	6.26	
25/50 § सेक्टर- पी §	3	15/-	0.42	
30x60 § " -सी § एस०	7	15/-	1.42	
40x80 § " के तथा सी § एस०	4	15/-	1.44	
40x80 § कपुरथाला	13	25/-	7.80	
60x100 § सेक्टर- सी § एस०	6	15/-	4.05	
			<u>21.39</u>	कुल का 75%
2. होने वाले पंजीकरण से				
45x90 § सेक्टर जे0 §	2	15/-	1.22	
30x60 § "	30	15/	8.10	
			<u>9.32</u>	
सेक्टर-बी/ई0 की भूमि	-	-	<u>50.00</u>	लम्पसम
3. बल्क सेल एकड़ में				
1. पुलिस विभाग	1.00	16/-	6.97	सेक्टर-जे0
2. सेंट्रल स्कूल / अन्य स्कूल	4.50	6/-	31.36	तदेव
3. जनगणना विभाग	1.50	55/-	35.94	व्यवसायिक
4. आरमी वेल्फेयर	5.00	16/-	34.85	सेक्टर-जी
5. पोस्टल विभाग	0.39	15/-	2.54	आवासीय
			<u>111.66</u>	सेक्टर- सी
4. सम्भावित विक्रय				
सेक्टर-जी0	8 एकड़	60/-	209.09	व्यवसायिक
			<u>401.46</u>	लाखा
			<u>401.46</u>	कुल सम्भावित आय

कानपुर रोड़ योजना

(40)

1.	पूर्व पंजीकृत भू ाण्डो से सुख्या	पंजीकृत संख्या	प्रति वर्ग मीटर दर	धानराशि लखों में	
	बी० टाइप { 40-9" x 70 { 31 {	43	125/-	11.31	द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ किशतें
	{ 40 x 80 { 19 {				
	सी० टाइप { 30x60 { 90 {	177	125/-	28.23	
	{ 35x48 { 88 {				
	डी० टाइप { 20x 48 { 448 {	142	125/-	12.31	
	{ 26x 52 { 175 {				
					20 51.67
2.	किये जाने वाले पंजीकरण से { उपरोक्त आकार के {				
	बी० टाइप 7		125/-	2.69	
	सी० टाइप 1		125/-	0.21	
	डी० टाइप 481		125/-	55.86	
				58.76	
3.	<u>बल्क सेल्स</u>				
1.	एफ०सी०आई० 4.00 एकड़		125/-	20.23	सेक्टर-जी
2.	डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेलीफोन 30.66 "		135/-	166.26	"-बी
3.	पोस्टल सर्विस 945 वर्ग मीटर		125/-	1.18	ट्रान्सपोर्ट नगर
				187.67	
4.	<u>ट्रान्सपोर्ट नगर</u> =====				
	ट्रान्सपोर्ट से दूसरी किशत			60.00	
	अन्य सर्विस भूखण्ड			20.00	
				80.00	
				378.10	
				===	
		कुल आय			

गोमती नगर योजना
=====

(41)

विवरण	नगद विक्रय के आधार पर			द्विस्तों के आधार पर	
	सं०	दर प्रति वर्ग मीटर ₹ ल० लाखों में	₹	सं०	धनराशि लोखों अनुमानित लम्पसम
टाईपस ए० ॥60×100॥	98	145/-	59.41	993	
टाईप वी० ॥40×80॥	300	145/-	96.99	8866	
टाईप सी० ॥33×64॥	165	145/-	35.21	1258	350.00
एल०आई०जी० ॥20×40॥		-	-	2263	
ई०डब्ल्यू०एस० ॥15×30॥		-	-	744	
	योग :		<u>191.61</u>		<u>350.00</u>

अन्य योजनाएं
=====

1. सीतापुर रोड

1- इंजीनियरिंग कालेज	200 मक० में	5.50	वर्ग फीट	239.58
2- एक मुश्त	25 "	16.00	,,	<u>174.33</u>
				<u>413.91</u>

2. महानगर तथा अन्य योजनाएं

7.00 लम्पसम

भवनों के विक्रय से आय

(42)

विवरण	संख्या	धन लाख में	विशेषण
<u>अलीगंज योजना</u>			
1. मध्य आय वर्गीय §स्व0 वित्त पो0§	28	15.40	III किस्त IV " ₹025,000/- की दर से ₹020,000/- "
2. मिनी एम0आई0जी0	59	8.85	V " ₹010,000/- " VI " ₹015,000/- "
3. एम0आई0जी0§डी0/एस0§	18	2.70	VII " ₹020,000/- " ₹010,000/- "
प्रथम धन			
4. एम0आई0जी0§डी0/एस0§	14	11.90	₹090,000/- तथा 80,000/- "
5. निम्न आय वर्गीय §स्टेट बैंक को आवंटित§	96	28.80	₹030,000/- की दर से 3 किस्तें
6. दुर्बल आय वर्गीय §हा0प0§ हायर परचेज किस्तें	644	9.66	₹0 1,500/- की दर से
		30.00	
		<u>योग - 107.31</u>	

कानपुर रोड

1. उच्च आय §हा0प्र0§	150	75.00	₹050,000/- की दर से
2. मध्य आय §हा0प्र0§	84	16.80	₹020,000/- "
3. मध्यम आय §हा0प्र0§	240	72.00	₹030,000/- "
4. मध्य आय §स्व0वि0पों0§	15	18.00	₹01,20,000/- "
5. निम्न आय §हा0प्र0§	904	135.60	₹015,000/- "
6. दुर्बल आय §हा0प्र0§	2410	45.90	500 ₹01,500/- की दर से 1920 ₹02,000/- की दर से
7. साईट/सर्विसेज §हा0प्र0§	600	1.20	₹0 200/- की दर से
8. हायर परचेज किस्तें		20.00	
		<u>योग- 384.50</u>	

हाता रसूल खॉ

1. मध्यम आय	9	2.70	तीसरी/चौथी किस्त ₹015,000/- की दर से
2. मिनी मध्यम आय	32	4.80	₹07,500/- की दर से
3. दुर्बल आय वर्ग	96	0.48	₹0500/- की दर से
		<u>योग- 7.98</u>	

ऐशतबाग योजना
=====

(43)

1- टाइप 1 [डुप्ले]	65	72.45	37	₹-1.05 लाख की दर से
			28	₹-1.20 ,, ,, ,,
2- टाइप 2 दो मंजिले	124	85.80	10	₹-0.60 ,, ,, ,,
			114	₹-0.70 ,, ,, ,,

₹- 158.25

गोमती नगर
=====

1- स्वतः वित्त पोषित

टाइप ए०	118	159.30	₹-1.35 लाख दर से
टाइप बी०	163	146.70	₹-0.90 ,, ,,
टाइप सी०	142	85.20	₹-0.60 ,, ,,

391.20

2-हायर परचेज

उच्च आय	400	160.00	₹-0.40 लाख की दर से
मध्यम आय	1200	168.00	₹-0.14 ,, ,,
मध्य आय [मिनी]	800	64.00	₹-0.08 ,, ,,
निम्न आय	800	40.00	₹-0.05 ,, ,,
दुर्बल आय	3000	45.00	₹-1.500/- ,, ,,
साइट/सर्विसेज	500	5.00	₹-1000/- ,, ,,

482.00

नैपियर रोड भाग-2
=====

मध्यम आय [डुप्ले]	20	24.00	₹-1.20 लाख की दर
-------------------	----	-------	------------------

अन्य योजनाएँ
=====

मध्य आय/मिनी मध्य आय/ इ० डब्लू० एस०/साइट सर्विसेज		₹ -20.00	
--	--	----------	--

व्यवसायिक केन्द्रों से आय का विवरण

(44)

विवरण	घनराशि [लाख रु में]
1- छितवापुर	200-00
2- आर० टी० ओ०	100-00
3- अलीगंज	10-00
4- काठपुर रोड़	10-00
5- सिन्डर्स डम्प	10-00
6- चौक	100-00
7- अन्य दुकानों	10-00
	<u>रु 440-00</u>

संभावित ऋणों का विवरण

(45)

श्रीत	₹ लाख रु में ₹					योग
	अलीगंज	कानपुर रोड़	गोमती नगर	हाते तथा अन्य योजना		
1. हुडको						
1. सेक्टर डी/एस0						
92 निम्न आय						
136 दुर्बल आय	25.90	-	-	-		25.90
2. सेक्टर एफ						
84 मध्य आय						
244 निम्न आय						
256 दुर्बल आय	-	90.19	-	-		90.19
3. सेक्टर डी0						
उच्च आय	-	67.50	-	-		67.50
4. सेक्टर जी0						
140 मध्य आय						
324 निम्न आय						
1312 दुर्बल आय	-	170.00	-	-		170.00
5. अन्य सेक्टरों में						
₹1₹ कम्योजिट	-	100.00	-	-		100.00
₹2₹ कम्योजिट	-	-	250.00	50.00		300.00
योग:	25.00	427.69	250.00	50.00		753.59
2. शासन से ऋण						
	-	100.00	-	50.00		150.00
3. केन्द्रीय शासन से बाये गैस हेतु अनुदान						
	-	-	-	160.00		160.00
महायोग:	25.90	527.69	250.00	260.00		1063.59

टिप्पणी:-

- ₹1₹ क्रम सं0 1, 2, 4, 5, ₹2₹ की योजनाएं हुडको द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं ।
- ₹2₹ क्रम सं0 3 की योजना हुडको को भोजी जा चुकी हैं ।
- ₹3₹ क्रम सं0 6 की योजना केन्द्रीय सरकार को भोजी जा चुकी हैं ।
- ₹4₹ अन्य योजनाएँ तैयार की जा रही हैं ।
- ₹5₹ बाये गैस की प्रोजेक्ट हेतु 75% अनुदान केन्द्रीय सरकार से मिलेगा तथा 25% प्राधिकरण द्वारा अपने श्रोतों से वहन करना होगा ।

वर्ष 1983-84 में भवन निर्माण हेतु लक्ष्य

सं०	योजना का नाम	उच्च आय	फैक्टो का निर्माण	मध्यम आय	निम्न आय	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय	साइड्स एवं सविसेज	योग	व्यय हेतु वित्तीय लक्ष्य ₹ 50 लाखों में
1.	अलीगंज 1982-83 के स्पिल ओवर वाले भवन पूर्ण किये जायेंगे। साथ ही साथ नये भवनों के निर्माण हेतु सम्पन्न प्राविधान हैं।								127.00
2.	कानपुर रोड़	150	-	255	524	896	-	1825	775.70
3.	बटलर पैलेस/लाप्लास	-	364	-	-	62	-	426	200.20
4.	गोमती नगर	400	423	2000	800	3000	500	7123	726.50
5.	नैपियर रोड़/राम नगर/ मोती नगर/स्टो डियम/ हाता मातादीन/लक्ष्मण प्रसाद/सरजू प्रसाद/चित्ता खोड़ा	-	204	64	-	-	505	773	255.30
6.	हाता रसूल खाँ	-	-	41	-	56	-	97	150.00
7.	ऐशाबाग	-	-	65	124	-	-	189	100.00
8.	अन्य § मोतीझील/भीखामपुर ऐशाबाग/मीरतकी मीर मार्ग इत्यादि §	-	-	30	50	1752	5000	6832	302.00
		550	991	2455	1498	5766	6005	17265	2509.70
	1982-83 के स्पिल ओवर भवनों का निर्माण	-	-	42	200	236	-	478	

भावन निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था

(47)

क्र०	योजना का नाम	उच्च आय		मिडिल		मध्यम आय		निम्न आय		आर्थिक दृष्टि से		सार्जिटसर्व तपित्त	
		सं०	श्रोत	सं०	श्रोत	सं०	श्रोत	सं०	श्रोत	सं०	श्रोत	सं०	श्रोत
1.	कानपुर रोड़	150	हुडको	-	-	15	स्व. वि. यो.	324	हुडको	896	हुडको	-	-
2.	बटलर पैलेस/ला-प्लास	-	-	364	स्व. वि.	240	हुडको	200	फार्सकीय- अण्ण	50 12	हुडको	-	-
3.	गोमती नगर	400	हुडको	423	"	2000	"	800	हुडको	3000	हुडको	500	हुडको
4.	नैपियर रोड़/राम नगर मोती नगर/स्टेडियम	-	-	204	"	64	स्व. वि. पो.	-	-	-	-	505	"
5.	हाता रसूल खाँ	-	-	-	-	41	"	-	-	56	हुडको/शासन-	-	-
6.	रेखाबाग	-	-	-	-	65	"	124	स्व. वि. पो.	-	-	-	-
7.	अन्य योजनाएं	-	-	-	-	30	"	50	"	32	राजस्व	5000	राजस्व
										120	हुडको		
										1600	"		
योग:		550		991		2455		1498		5766		6005	= 17,265

क. ... मूल खण्ड वर्ष 1983-84

सामान्य प्रशासन विभाग

=====

संख्या	पद नाम	संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	प्रतिवेतन	मं० भा०	न०प्र०भा०	सवारी भा०	धु०भा०	चि० भा०	बीमा अनुदान	पे०का०	भा०का०भा०	योग
1.	सचिव	1	-	2335	250	450	-	-	-	-	1.70	-	380.45	3,417.15
2.	संयुक्त सचिव-प्रधाम	1	-	1420	250	510	-	-	-	-	1.70	-	200.00	2,321.71
3.	अतिरिक्त सचिव	1	-	2300	-	450	-	-	-	-	1.63	400.00	120.00	3,271.63
4.	उपनगर अधिकारी	1	-	1900	-	510	-	-	-	-	1.63	400.00	120.00	2,931.83
5.	सहायक नगर अधिकारी	1	-	890	-	284.80	25.00	-	-	20.00	1.63	100.00	90.00	1,411.43
6.	उद्यान अधीक्षक	1	-	970	-	310.40	25.00	-	-	20.00	1.63	100.00	120.00	1,447.13
7.	सहायक प्रभारी अधिकारी	1	420-735	465	-	178.60	13.95	-	-	20.00	1.63	50.00	60.00	789.18
8.	विशेषाकार्यधिकारी	1	-	690.00	138	265.00	20.70	-	-	-	1.70	75.00	90.00	1,280.40
9.	कार्यालय अधीक्षक	1	530-940	840	-	268.80	25.00	-	-	30.00	1.63	100.00	90.00	1,355.43
10.	प्रधान लिपिक	1	-	650	-	249.60	19.50	-	-	30.00	1.63	100.00	90.00	1,140.73
11.	वे०सहायक उपोध्यक्ष	1	530-940	560	-	215.00	16.80	-	-	20.00	1.63	100.00	90.00	1,116.63
12.	वे० सहायक सचिव	1	530-940	640	-	245.80	19.20	-	-	20.00	1.63	100.00	90.00	1,116.63
13.	आशुलिपिक	3	420-735	1355	-	520.30	40.65	-	-	50.00	1.63	150.00	180.00	2,297.43
14.	स्टोर कीपर	1	360-620	525	-	201.20	15.75	-	-	20.00	1.63	75.00	60.00	1,698.58
15.	सहायक स्टोर कीपर	1	340-550	440	-	169.00	13.20	-	-	20.00	1.63	75.00	60.00	778.83
16.	रिकार्ड कीपर	1	360-620	515	-	198.00	15.45	-	-	20.00	1.63	75.00	60.00	885.08
17.	प्रधाम श्रेणी लिपिक	2	360-620	931	-	357.50	27.95	-	-	40.00	3.26	150.00	120.00	1,629.71
18.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	15	340-550	5870	-	2254.10	176.10	-	-	300.00	24.45	1050.00	900.00	10574.65
18.	दफ्तारी	1	315-440	358	-	137.40	10.75	12.00	3.00	20.00	1.63	50.00	60.00	652.78
20.	डाईवर	4	330-495	1498	-	575.30	44.95	20.00	12.00	80.00	6.52	200.00	240.00	2,676.77
21.	कार्यालय जमादार	1	315-440	357	-	137.10	10.70	10.00	3.00	20.00	1.63	50.00	60.00	649.43
22.	चौकीदार	2	305-390	664	-	255.00	19.90	-	6.00	40.00	3.26	100.00	120.00	1,188.16
23.	चपरासी	15	305-390	5215	-	2002.60	165.45	100.00	45.00	300.00	24.45	1050.00	900.00	9,793.50
24.	स्वीपर	2	305-390	672	-	258.00	20.15	-	6.00	40.00	3.26	100.00	120.00	1,219.41
25.	लाइब्रियन	1	360-620	434	-	166.70	13.00	-	-	20.00	1.63	75.00	60.00	770.33

55271.33 कुमरा:...

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
														55,271.33	
26.	माली	17	305-390	4510	-	2426.40	168.20	-	51	236.00	27.71	-	-	7419.31	
27.	लिपिक/गार्ड/सुपरवाइजर/ वेटर-दोमे0भागीकामेचारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3658.00	

योग: 66348.64

12 माह का व्यय

स्मया 7,96,183.68

अर्थात् स्मया 7,96,000.00

अतिरिक्त पदों हेतु अनुमान का विवरण

=====

पद नाम	वेतनमान	संख्या	6 माह हेतु व्ययानुमान
उप सचिव	1500-2300	1	13410
अनु सचिव	1250-2050	5	60700
अनुभागीय अधिकारी	770-1660	5	32310
अर्दली/अनुचर	305-390	8	23280
निरीक्षक	360-620	5	17589
दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों के नियमितकरण हेतु पद			
लिपिक/सर्वेयर	340-550	4	योग 3,06,000/-
विधुत कार्य/पम्प आरेटर/ ड्राइवर	330-495	8	
चपरासी/गैंग मैन/घेनमैन/ माली/बलदार	305-390	60	

3,06,000

योग: 11,02,000/-

स्टोर विभाग सामान्य प्रशासन का मूल बजट अनुमान 1983-84

1.	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	360-620	456.00	-	175.10	-	60.00	13.68	20.00	1.63	50.00	776.41
2.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	1	340-550	390.00	-	-	149.76	60.00	11.70	20.00	1.63	-	633.09
3.	चपरासी	3	305-390	1030.00	-	390.52	10.00	120.00	30.90	60.00	4.89	70.00	1721.31

योग: 3130.81

एक माह का अनुमानित व्यय स्मया 3130.81

शासन द्वारा समय समय पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी
तथा अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 30 प्रतिशत

12 माह का योग 37,569.72

11,270.92

48,840.64

एक वर्ष का व्यय अनुमान स्मया 48,840.64 अर्थात् स्मया 49,000/=

सामान्य प्रशासनमिन्टिनेन्स 1983-84
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

क्रमांक	पद	संख्या	वेतनमान	वेतन	प्रतिकर भात्ता	मंहगाई भात्ता	मकान भात्ता	चिकित्सा भात्ता	वर्दी धाTO भात्ता	अन्य भात्ता	वीमाअंश दान	पेन्शन अंशदान	कुलयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	मिस्त्री	1	325-475	360	138.20	60	10.80	-	3	50	1.63	20	643.63
2.	इलो क्लिफायन	1	"	360	138.20	60	10.80	10	3	50	1.63	20	653.63
3.	मसन	1	325-475	360	138.20	60	10.80	10	3	50	1.63	20	653.63
4.	कारपेन्टर	1	325-475	360	138.20	60	10.80	10	3	50	1.63	20	653.63
5.	एलम्बर	3	325-475	1080.	414.60	180	32.40	30	9	150	4.89	60	1960.89
6.	पम्पआपरेटर	1	315-440	345	132.50	60	10.35	10	3	50	1.63	20	632.48
7.	भेट	4	315-440	1380	530.00	240	41.40	40	12	200	6.52	80	2529.20
8.	बेल्दार	2	305-390	660	253.50	120	19.80	20	6	100	3.26	40	1222.56
9.	डेप्यर	2	305-390	660.	253.50	120	19.80	20	6	100	3.26	40.00	1222.56
10.	मैमिन	13	305-390	4290	1647.40	390	129.70		39	650	21.19	260.00	7427.29
11.	पोकीदार	4	305-390	1320.	506.90	120	39.60		12	200	6.52	80.00	2285.02
12.	चपरासी	1	305-390	330	126.70	30	9.90		3	50	1.63	20.00	571.23

योग:- 20,465.75

12, माह का अनुमानित व्यय लगभग 20,465.75 x 12 = 2,45,589/-

शासन द्वारा समय समय पर बढ़ाये गये मंहगाई भात्ते हेतु कुल का 30% 67,676.70

योग:- 3,13,265.70 अर्थात् 3,13,000/- मात्र

संख्या	पद नाम	संख्या	वेतनमान	वेतन	प्रतिकर भात्ता	पेंशनार्ह भात्ता	मकान भात्ता	शहर प्रतिकर भात्ता	चिकित्सा भात्ता	वर्दी धा० धा०	वाहन भात्ता	अन्य भात्ता	कीमा आ० धान	पेंशन आ० धान	कुल योग
											75		1.70	164.00	2952
1.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1250-2050	1600	250	510	171.00	-	-	-	-	-	3.25	187.00	2681.26
2.	स० लेखाधिकारी	2	690-1420	1660	-	531.20	210.00	49.80	40.00	-	-	-	3.26	240.10	2178.26
3.	लेखाकार	2	485-860	1234	-	473.90	150.00	37.00	40.00	-	-	-	3.26	104.25	1412.63
4.	विभागीय लेखाकार	2	400-695	824	-	316.40	120.00	24.72	20.00	-	-	-	2.72	446.40	4535.59
5.	लेखा लिपिक	6	360-620	2557	-	985.00	360.00	76.71	100.00	-	-	-	4.21	125.10	876.59
6.	स० लेखाकार	1	400-695	502	-	192.80	60.00	15.06	10.00	-	-	-	3.26	36.80	2124.89
7.	प्र० श्रेणी लिपिक	2	360-620	1340	-	514.60	120.00	40.20	20.00	-	-	-	4.89	-	1823.49
8.	द्वि० श्रेणी लिपिक	3	340-550	1120	-	430.00	180.00	33.60	60.00	-	-	-	1.63	117.6	1143.33
9.	कैशियर	1	420-735	650	-	249.60	90.00	19.50	20.00	-	-	-	4.89	291.90	3201.25
10.	सहायक कैशियर	3	400-695	1842	-	707.30	240.00	55.26	60.00	-	-	-	4.89	70.20	1818.31
11.	चपरासी	3	305-390	1044	-	400.90	210.00	31.32	20.00	9.00	20.00	-	4.89	70.20	629.73
12.	दफ्तरी	1	315-440	354	-	135.90	60.00	10.60	10.00	3.00	-	15.00	1.63	39.60	372.00
13.	द्वै० वे० धे० लिपिक	1	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.50
14.	द्वै० वे० धे० चपरासी दर रू 7.50	1	-	232.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,983.83

15. स० लेखाधिकारी के एक अकेन्द्रित पद को लेखाधिकारी के पद में अपग्रेड करने का विचार है। व्यय का प्राविधान इस पद में सम्मिलित कर लिया गया है।

अतिरिक्त पदों के प्राविधान हेतु विवरण

क्र०सं०	पदनाम	संख्या	वेतनमान	योग
1.	लेखाधिकारी कामशियल	1	850-1720	7200.00
2.	लेखाकार	2	485-860	9600.00
3.	लेखाकार सामान्य	1	485-860	4800.00
4.	लेखा लिपिक	6	360-620	21600.00
5.	आशा लिपिक	1	420-735	4045.00
6.	टक्के	1	340-550	3222.00
7.	चपरासी	4	305-390	10640.00
			योग	61,107.00

एक वर्ष का व्ययानुमान 25,983.83 × 12 = 3,11,805.86
शासन द्वारा समय समय पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी तथा अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 30 प्रतिशत 93,541.78

एक वर्ष का व्ययानुमान रू 4,05,347.74
अर्थात् रू 4,05,000.00
अति पदों हेतु रू 61,000.00
योग: रू 466000.00

कारिस्टिंग विभाग का मूल बजट वर्ष 1983-84

संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	वेतन	मंहगाई भारत	मकान भारत	शाहर प्रति कर भारत	चिकित्सा भारत	वर्दी धातु भारत	वाहन भारत	अन्य भारत	बीमा	पेन्शन	कुल योग
1.	कास्ट एकाउन्टेन्ट कम इकोनामिक प्लानर	1	1200-1800	1250	904	112.50	-	-	-	-	50.00	1.63	-	2318.13
2.	सो कास्ट एकाउन्टेन्ट	2	485-860	1060	407	120.00	31.80	40.00	-	-	-	3.26	-	1662.06
3.	आशांलिपिक	1	420-735	485	186.30	60.00	14.55	20.00	-	-	-	1.63	46.69	914.17
4.	डिप्टी प्रेन्सी लिपिक	1	340-550	360	138.30	60.00	10.80	10.00	-	-	-	-	-	580.73
5.	दो दो भोगी लिपिक	-	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.00
													योग :	5747.09

एक माह का व्ययानुमान ₹ 5747.09

शासन द्वारा समय समय पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी हेतु कुल का 40% तथा अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु अर्धत एक वर्ष का व्ययानुमान अर्थात्

₹ 8246.00
₹ 98952.00 + 30120
129072 अर्थात् 129000

अति पदों हेतु प्राविधान

1.	सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट	3	570-1100	2462.00
2.	प्रथम प्रेन्सी लिपिक	1	360-620	500.00
3.	इंफोर्मिण्ड विभाग हेतु	-	-	-
4.	चपरासी	2	305-390	900.00

मासिक 20% वृद्धि
3862.00
1158.00

5020.00

योग ₹ 30120.00

नगर महापालिका टेबिनल का मूल बजट वर्ष 1983-84

1.	पीठासीन अधिकारी	1	1000-2000	2250	1187.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	3387.00
2.	राडर	2	470-735	882	282.25	90.00	25.00	-	-	-	-	-	-	1279.20
3.	आशांलिपिक	1	515-860	936	299.50	120.00	25.00	-	-	-	-	-	-	1380.50
4.	अहेमद	1	430-685	573.60	220.30	60.00	17.20	-	-	-	-	-	-	871.10
5.	अरदली	1	354-550	417.60	160.40	60.00	12.50	-	-	-	-	-	-	650.00
6.	चपरासी	1	354-550	390.00	149.80	60.00	11.70	-	-	-	-	-	-	611.50
7.	दो दो भोगी दफ्तारी	1	7/-की दर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.00
													योग	8389.30

मासिक व्यय 8389.30
वार्षिक व्यय 1,00,000.00

सम्पत्ति विभाग का मूल बजट वर्ष 1983 - 84

क्र० सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	वेतन	प्रोत्तन भत्ता	महागाई भत्ता	मकान भत्ता	शहर प्रोत्तन कर भत्ता	चिकित्सा भत्ता	वर्दी धु भत्ता	वाहन भत्ता	अन्य भत्ता	बीमा अंश दान	पेन्शन अंश दान	कुल योग
1-	संयुक्त सौधेव -11	1	1250-2050	1420	250	510.00	120/-	-	-	-	-	-	1.70	164.00	2465.70
2.	प्रधान लिपिक	1	420-735	600	-	230.40	60/-	18.00	20/-	-	-	-	1.63	102.90	1032.93
3.	प्र० अ० लिपिक	5	360-620	2410	-	925.40	300/-	72.30	90/-	-	-	-	8.15	372.00	4177.85
4.	डि० अ० लिपिक	8	340-550	3210	-	1232.60	480/-	96.30	140/-	-	-	-	13.04	528.00	5699.94
5.	चपरासी	6	305-390	2028	-	778.80	210/-	60.85	120/-	18/-	30/-	-	9.78	210.60	3466.03
6.	दैनिक वेतन भोगी चपरासी 1 दर ₹07.50 पै०			232.50											232.50

₹ 17,074.95

एक माह का व्ययानुमान ₹ 17,074.95

शासन द्वारा समय-समय पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी हेतु कुल का 30% प्रतिशत

₹ 5,122.48

₹ 22,197.43

एक वर्ष का व्ययानुमान

₹ 2,66,369.16

अर्थात्

₹ 2,67,000.00

§ 56 §
नजूल विभाग का मूल बजट वर्ष 1983-84
=====

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	प्रति० नि० वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	नगर प्रतिकर भत्ता	सिवरिंग भत्ता	धु० भ०	चिकित्सा भत्ता	बीमा अंश दान	पेन्शन अंश दान	योग
1.	तहसील दार	1	-	690	138	265.00	120	25.00	-	-	20.00	1.70	100.00	1229.70
2.	प्रधान लिपिक	1	420-735	667	-	250.10	90	19.00	-	-	120.00	1.63	100.00	1153.73
3.	प्रथम श्रेणी लिपिक	6	360-620	2806	-	1077.50	360	84.20	-	-	120.00	9.78	600.00	5057.50
4.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	6	340-550	2250	-	864.00	360	67.50	-	-	120.00	9.78	450.00	4121.28
5.	अमीन	5	340-550	1770	-	679.70	300	53.10	50	-	100.00	8.15	350.00	3310.95
6.	चपरासी	5	305-390	1800	-	693.50	300	54.20	40	15	100.00	8.15	300.00	3316.85
7.	चौकीदार	1	305-390	360	-	138.30	60	10.80	-	3	20.00	1.63	50.00	643.73
8.	घोषीदार	1	305-390	360	-	138.30	60	10.80	-	3	20.00	1.63	50.00	643.73
9.	घोषीदार	1	305-390	360	-	138.30	60	10.80	-	3	20.00	1.63	50.00	643.73
10.	घोषीदार	1	305-390	360	-	138.30	60	10.80	-	3	20.00	1.63	50.00	643.73
				15	-	3.75	-	-	-	-	-	-	-	18.75
				372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.00
				372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372.00

₹19,596.49

एक माह का व्ययानुमान

₹ 19,596.49

एक वर्ष का व्ययानुमान

₹ 19,596.49 x 12 = ₹ 235157.88

शासन द्वारा समय समय पर बढ़ाई जाने वाली मंहगाई भत्ता आदि हेतु 30 प्रतिशत

₹ 70547.36

महायोग:

₹ 3,05,705.24

एक उपसहचय के अतिरिक्त पद वेतनमान 1500-2300 हेतु प्राविधान

₹ 20115.00

₹ 3,25,820.00 अर्थात् 326000.00

रेन्ट विभाग का मूल बजट वर्ष 1983 - 84

क्र.सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	वेतन	महंगाई भत्ता	मकान भत्ता	शहर प्रातिकर भत्ता	चिकित्सा भत्ता	वर्दी भत्ता	वाहन भत्ता	अन्य भत्ता	वीमा अंशदान	पेन्शन अंशदान	कुल योग
1.	अधीक्षक रेन्ट	1	570-1100	830	265.60	90/-	24.90	20/-	-	-	-	1.63	187.00	1419.13
2.	सहाय अधीक्षक रेन्ट	1	485-860	545	209.30	60/-	16.35	20/-	-	75/-	-	1.63	-	927.28
3.	प्रधान लिपिक	1	420-735	555	213.10	60/-	16.65	20/-	-	-	-	1.63	102.90	969.28
4.	प्र० अ० लिपिक	3	360-620	1305	501.10	180/-	39.15	60/-	-	-	-	4.89	167.40	2257.54
5.	द्वि० अ० लिपिक	4	340-550	1610	618.30	240/-	57.30	80/-	-	-	-	6.52	176.00	2788.12
6.	कर निरीक्षक	5	360-620	2126	816.40	300/-	63.78	130/-	-	300/-	-	8.15	198.40	3862.63
7.	रेन्ट क्लैक्टर	11	340-550	3900	1501.50	660/-	117.00	130/-	-	110/-	-	71.72	132.00	6945.61
8.	चपरासी	3	305-390	1044	400.90	180/-	31.35	60/-	-	20/-	-	4.89	93.60	1834.74
9.	दैनिक वेतन भोगी लिपिक दर ₹012/-	1		372										372.00

₹21,376.33

एक माह का व्ययानुमान ₹0 21,376.33

शासन द्वारा समय-समय पर की जाने वाली बढ़ोत्तरी तथा अवकाश कालीन व्यवस्था कुल 30 प्रतिशत

₹0 6,412.89

₹0 27,789.22

एक वर्ष का व्ययानुमान

₹03,33,470.64

अर्थात्

₹03,34,000.00

राजस्व विभाग का मूल बजट वर्ष 1983 - 84

क्र.सं०	पद	पदों की संख्या	वेतन मान	वेतन प्रति मास	महंगाई भत्ता	मकान भत्ता	शहर जगत कर भत्ता	चिकित्सा भत्ता	वर्क सु भत्ता	वहन भत्ता	अन्य भत्ता	बीमा अंश दान	पेंशन अंश दान	कुल योग
1.	महानिदेशक राजस्व	1	850-1720	1720	250	510.00	120/-	-	-	-	-	1.70	292.40	2999.40
2.	महाराजअधीक्षक	1	485-860	545	-	209.30	60/-	16.35	20/-	-	10/-	1.63	-	862.28
3.	प्रधान लिपिक	1	420-735	665	-	255.40	90/-	19.95	20/-	-	-	1.63	117.60	1169.58
4.	प्र० अ० लि०	4	360-620	1868	-	712.30	240/-	56.00	80/-	-	-	6.58	347.20	3310.00
5.	डि० अ० लिपिक	7	340-550	2966	-	1138.90	420/-	88.98	120/-	-	-	11.41	308.00	5053.29
6.	जिलेदार	6	340-550	2172	-	834.00	360/-	65.16	120/-	-	60/-	9.78	297.00	3917.94
7.	वपरासी	3	305-390	1062	-	407.80	180/-	31.86	60/-	9/-	20/-	4.89	81.90	1857.45
8.	दैनिक वेतन भोगी लिपिक दर ₹ 12/=	1		372										372.00

₹ 19,541.94

एक माह का व्ययानुमान ₹ 19,541.94

शासन द्वारा समय-समय पर शासन की जानी वाली बढ़ोत्तरी एवं अत्यवसर्जन व्यवस्था हेतु कुल का 30% प्रतिशत

₹ 5,862.58

₹ 25,404.52

एक वर्ष का व्ययानुमान

₹ 3,04,854.26

अर्थात्

₹ 3,05,000.00

तहसीलदार कार्यालय का मूल बजट वर्ष 1983 - 84

[57]

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	प्रति मास भत्ता	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	नगर प्रोत्साहन भत्ता	सवारी भत्ता	धुलाई भत्ता	पेंशन कन्ट्रोल	बीमा रु०	चि०भ०	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	तहसीलदार	1	950	950	190	364.80	150/-	25.00	-	-	150/-	1.70	-	1831.50
2.	ना० तहसीलदार	1	855	855	171	328.30	150/-	25.00	-	-	150/-	1.70	-	1681.02
3.	सर्वे पर्वेक	1	470-435	470		180.50	60/-	14.10	10/-	-	100/-	1.63	10/-	846.23
4.	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	360-620	515		197.80	60/-	15.45	-	-	100/-	1.63	20/-	909.88
5.	चपरासी	1	305-390	360		138.20	60/-	10.80	-	3/-	50/-	1.63	20/-	643.63
6.	सर्वे अमीन	6	340-550	2100		806.40	360/-	63.00	60/-	-	300/-	9.78	60/-	3699.18
7.	वेनमैन दे०वे०भो०	₹08/- प्रतिदिन		992										992.00

योग ₹ 10,603.44

एक माह का अनुमानित व्यय ₹ 10,603.44

एक वर्ष का अनुमानित व्यय ₹ 10,603.44 × 12 = ₹ 1,27,241.28

समय-समय पर शासन द्वारा

बढ़ाये गये मंहगाई भत्ते का अनुमानित व्यय

उपरोक्त 30 प्रतिशत

₹ 38,172.38

कुल योग : ₹ 1,65,413.66

अर्थात् - ₹ 1,67,000.00

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	मूलवेतन	महंगाई भत्ता	सकान भत्ता	भाहर प्रति कर भत्ता	चिकित्सा भत्ता	वर्दी धुलाई	वाहन भत्ता	अन्य भत्ता	बीमा अंशदान	पेन्शन अंशदान	योग
1.	विधि अधिकारी	1	1250-1720	1250/-	400/-	120/-	-	-	-	-	-	1.70	-	1771.70
2.	विधि सहायक	2	420-735	1020/-	391/70	120/-	30.60	14/-	-	-	-	3.26	-	1681.56
3.	आशु लिपिक	1	420-735	495/-	190.80	60/-	14.85	20.00	-	-	-	1.63	66.00	948.28
4.	प्र०प्र० लिपिक	1	360-620	470.00	180.50	60.00	14.10	20.00	-	-	-	1.63	66.00	812.23
5.	वि०भ० लिपिक	4	340-550	1480.00	568.70	240.00	44.60	80.00	-	-	-	6.52	148.00	2459.00
6.	चपरासी	4	305-390	1393.00	534.90	240.00	41.80	80.00	12.00	10.00-	-	6.52	195.02	2512.84

10,185.61

1 माह का व्यायानुमान 10,185=61

1 वर्ष का व्यायानुमान 1,22227=32

शासन द्वारा समय समय

पर बढ़ाये जाने वाले महंगाई

भत्ता आदि हेतु 30 प्रतिशत 36,668=20

1,58,895=52

दैनिक वेतन भोगी लिपिक

रु० 12/-प्रतिदिन 2 720.00

दैनिक वेतन भोगी चपरासी

रु० 7/-प्रतिदिन की दर 1 210.00

1 माह को व्यायानुमान 930.00

1 वर्ष का व्यायानुमान 11,160.00

कुल व्यायानुमान 1,70,055=52

अर्थात् 1,70,000000

भावन/अनाधिकृतनिर्माणहटाने हेतु इन्फोर्मेन्ट विभाग का मूल बजट वर्ष 1983-84

क्र० सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	मंहगाई भात्ता	मकान भात्ता	शाहरप्रति कर भात्ता	चिकित्सा भात्ता	वर्दी धु०	वाहन भा०	अन्य भा०	बीमा अंशदान	पेंशन अंशदान	योग
1.	अभिजातासी अभियन्ता	1	1100-2050	1200	844	180	-	-	280	50	1.63	-	-	2489.63
2.	सहायक अभियन्ता	2	850-1720	2100	806.40	180	65	40	150	-	3.20	-	-	3342.60
3.	अवर अभियन्ता	8	485-860	4776	1834.46	720	143.28	160	600	-	13.04	-	-	8246.78
4.	कम्प्यूटर	1	405-860	485	186.20	60	14.55	20	75	-	1.63	-	-	842.38
5.	स्टेनो	1	420-735	420	181.30	60	12.60	20	-	-	1.63	-	-	675.53
6.	प्रधान लिपिक	1	420-735	495	190.10	60	14.88	20	-	-	1.63	-	-	781.58
7.	लिपिक प्रथम श्रेणी	4	360-620	2266	870.20	430	67.98	80	-	-	6.52	69.30	-	3790.00
8.	लिपिक द्वि० श्रेणी	6	340-550	4099	1574.13	300	122.98	120	-	-	9.78	211.49	-	6437.38
9.	ड्राफ्ट मैन	1	195-550	557	213.90	60	16.71	20	-	-	1.63	-	-	869.24
10.	सर्वेयर	3	172-226	1356	520.80	180	40.68	180	-	-	30.67	1541.81	-	3851.96
11.	ट्रेसर	1	172-250	410	157.40	60	12.83	20	-	-	1.63	77.98	-	735.04
12.	चपरासी	12	305-390	3956	1513.85	617	118.67	206	-	-	16.76	1554.00	-	7987.28
<hr/>														
40049.40														

1 माह का व्ययानुमान ₹ 40049.40
1 वर्ष का व्ययानुमान ₹ 480592.80

शासन द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया मंहगाई भात्ता तथा अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 30% दैनिक वेतन भात्ता चपरासी ₹ 7/- प्रतिदिन की दर से

कुल ₹ 5,55,374.80

अनाधिकृत निर्माण हटाने हेतु इन्फोर्मेन्ट विभाग का मूल बजट वर्ष 1983-84
₹ 2,16,312.40

₹ 7,71,687.20

अर्थात् ₹ 7,71,000

कृपया पृष्ठ 59 को देखें

अनाधिकृत निर्माण हटाने हेतु इन्फोसिमेंट विभाग का मूल बजट प्रस्ताव वर्ष 1983-84

क्र० सं०	पद नाम	संख्या	वेतनमान	मूलवेतन	मंहगाई भात्ता	अन्य भात्ते	बीमा अंशदान	पेंशन अंशदान	योग
1.	प्रभारती अधिका० {इन्फोसिमेंट}	1	1100-2050	1300.00	416.00	220.00	1.63		1937.63
2.	सहा० अभियन्ता	1	850-1720	1050.00	403.20	216.50	1.63		1671.30
3.	अवर अभियन्ता	7	485-860	6268.50	2407.74	2130.55	11.41		10818.20
4.	आशा लिपिक	1	420-735	420.00	181.30	92.60	1.63		842.38
5.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	3	340-550	1057.50	406.08	232.72	4.89		1701.19
6.	चपरासी	2	305-390	620.00	238.08	68.20	3.26		929.54
									17,900.24

अनाधिकृत निर्माण हटाने हेतु इन्फोसिमेंट विभाग से अतिरिक्त पदों हेतु

पद नाम	संख्या	वेतनमान	सम्भावित व्यय
सहा० अभियन्ता	1	850-1720	7,800
अवर अभियन्ता	3	485-860	16,300
प्रथम श्रेणी लिपिक	1	360-620	600
द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	340-550	6,400
अर्दली	1	305-390	2,910
ड्राईवर	1	330-495	5,200
			37,310

एक माह का व्ययानुमान	17,900.24
10 माह का व्ययानुमान	1,79,002.40
अतिरिक्त पदों हेतु	37,310.00
कुल व्यय	₹ 2,16,312.40

कार्यालय - लिकान प्राधिकरण-लखनऊ ।

(60)

सूचक वर्ष 1983-84

मुख्य अभियन्ता कार्यालय ।

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	प्रति० भ०	महंगाई भत्ता	सवारीभत्ता	म०कि०भ०	न०प्र०भत्ता	चि०भ०	धु०भ०	बी०भ०	के०भ०	योग
1-	प्रधान लिपिक	1	420-735	635	-	243.80		60	19.05	20		1.63	100.00	1079.48
2-	सहा० अभियन्ता	1	850-1720	890	-	284.80	75	90.00	25.00	20.00		1.63		1386.43
3-	अवर अभियन्ता	4	485-860	2090		802-56	300	240	62.70	41.00		6.52		3542.76
4-	सि०भ० लिपिक	2	340-550	750	-	288.00		120	22.50	14.00		3.26		1197.76
5-	चपरासी	3	305-390	1060	-	407.04		120.00	31.80	30.00	9.00	4.89	100.00	1762.73

योग- 8969.18

एक वर्ष का व्यय अनुमान

रु० 8969.18

शासन द्वारा समय समय पर की जाने वाली
बढ़ोत्तरी तथा अवकाश कालीन व्यवस्था
का कुल 30%

रु० 2,690.75

11,569.93

एक वर्ष का व्यय अनुमान

अर्थात् 1,40,000/-मात्र

रु० 1,39,919.16

अभियन्त्रण खण्ड-1 {मूल बजट वर्ष 1983-84}

क्र०सं०	पद नाम	संख्या	वेतन मान	मूल वेतन	महंगाई भ०	सवारी भ०	भवन कि० भ०	नगर प्रतिभ०	विधिक०भ०	धु०भ०	ग्रुप इं०कं०	पे० कन्टी०	योग
1.	अधीशासी अभियन्ता	1	1100-2050	1420	510.00	200	120	-	-	-	1.63	-	2251.63
2.	सहायक अभियन्ता	4	850-1720	3890	1244.80	300	60	100.00	100	-	6.52	-	6000.32
3.	अवर अभियन्ता	7	485-860	4916	1887.16	675	545	147.80	180	-	14.67	-	8361.17
4.	कम्प्यूटर	1	485-860	605	232.30	-	90	18.15	20	-	1.63	-	967.08
5.	ड्राफ्टमैन	2	340-550	1024	393.20	-	120	30.70	40	-	3.26	100	1711.16
6.	ट्रेसर	5	340-550	2020	775.70	-	300	60.60	100	-	8.15	250	3514.45
7.	अमीन	7	340-550	2760	1059.80	-	420	82.80	140	-	11.41	135	4609.01
8.	वर्क रेजेन्ट	1	325-475	400	153.60	10	60	12.00	20	-	1.63	50	707.23
9.	प्रधान लिपिक	1	420-735	619	237.70	-	90	18.60	25	-	1.63	100	1091.93
10.	प्रथम श्रेणी लिपिक	2	360-620	872	334.80	-	120	26.20	40	-	3.26	100	1496.26
11.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	3	340-550	790	239.60	-	120	23.70	60	-	4.89	100	1338.19
12.	फैरो व्याय	1	315-440	357	137.10	-	60	10.70	20	3	1.63	50	639.43
13.	ड्राइवर	3	330-495	1095	420.50	-	180	32.85	40	9	4.89	50	1832.24
14.	चपरासी	4	305-390	1356	520.70	20	240	40.70	80	12	6.52	100	4252.62

योग:- 38,773.72

एक माह का व्ययानुमान

38,773.72

एक वर्ष का व्ययानुमान शासन से समय-समय पर महंगाई भत्तों

11,632.11

की अवकाशकालीन व्यवस्था हेतु कुल का 30%

50,405.83

अतिरिक्त पदों हेतु

योग:

6,04,867.96

अर्थात्

6,04,000.00

पद नाम	सं०	वेतन मान	लम्पसम व्यय
अवर अभियन्ता	7	485-860	38,255.00
आशुलिपिक	1	420-735	4,045.00
टंकक	1	340-550	3,222.00

योग:- 45,522.00

45,000.00

महायोग:रु. 6,50,000.00

अभियन्त्रण खण्ड-2 मूल बजट वर्ष 1983-84

क्र०सं०	पद नाम	संख्या	वेतनमान	मूलवेतन	महंगाई भ०	सवारी भ०	भवन कि० भत्ता	नगर प्रति० भत्ता	वि०भ०	धु०भ०	गृह इ०कं०	पे० कन्टी	योग
1.	अधिशासी अभियन्ता	1	1100-2050	1840	510.00	-	120.00	-	-	-	1.68	500	2971.63
2.	सहायक अभियन्ता	3	850-1720	3030	959.60	225	454.50	75.00	-	-	4.89	-	4758.99
3.	अवर अभियन्ता	12	485-860	3262	3172.60	900	1080.00	247.86	240	-	19.50	-	13922.02
4.	प्रधान लिपिक	1	420-735	665	255.70	-	90.00	19.98	20	-	1.60	90	1133.31
5.	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	360-620	434	156.60	-	60.00	13.02	10	-	1.60	50	735.25
6.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	2	340-550	770	295.70	-	120.00	23.10	30	-	3.26	50	1292.06
7.	रिजर्विजन्त एकाइन्टेन्ट	1	424-750	750	829.00	-	191.70	50.00	-	-	-	99	2069.70
8.	चपरासी	2	305-390	696	267.30	20	90.00	20.88	40	6	3.25	80	1223.41

योग- 28,106.40

एक माह का व्ययानुमान

रु० 28,106.40

शासन द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली बढ़ोत्तरी

8,431.92

अवकाश कालीन व्यय हेतु कूल का 30%

85,538.32

एक वर्ष का व्ययानुमान

4,38,459.84

अर्थात् - 4,39,000

अतिरिक्त पदों हेतु

अनुमानित 6 माह

सहायक अभियन्ता 1 850-1720

हेतु व्ययानुमान 7800.00

अवर अभियन्ता 4 485-860

21840.00

आशुलिपिक 1 420-735

4045.00

टंक 1 340-550

3222.00

36907.00

37,000

महायोग: रु० 4,76,000

अभियन्त्रण खण्ड - 3 मूल बजट वर्ष 1983-84

53

क्र०सं०	पद नाम	संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	प्रति०	मह० भत्ता	सवारी भ०	भवन कि० भ०	नृ०प्र०भत्ता	चि०भ०	धु०भ०	बी०क०द्री०	पे०क०द्री०	योग
1.	अधिगामी अभियन्ता	1	1100-2050	1975	-	510.00	-	-	-	-	-	1.63	-	2486.63
2.	सहायक अभियन्ता	4	950-1720	4340	-	1380.80	300	480	13.20	70	-	6.52	-	6715.52
3.	अवर अभियन्ता	12	495-860	6663	-	2558.60	900	930	199.89	100	-	19.56	-	11461.05
4.	सर्वेयर	1	340-550	390	-	149.60	10	60	11.70	20.00	-	1.63	-	642.93
5.	प्रधान लिपिक	1	420-735	435	-	167.00	-	60	13.05	10	-	1.63	-	686.66
6.	लेखा लिपिक	1	360-620	470	-	180.50	-	60	14.10	20	-	1.63	50	796.23
7.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	4	340-550	1570	-	602.90	-	240	47.10	80	-	6.52	150	2696.52
8.	आशुलिपिक	1	420-735	435	-	167.00	-	60	13.05	10	-	1.63	-	686.68
9.	हिंदीजनल एकाउन्टेन्ट	1	425-750	775	155	601.30	-	198	50.00	-	-	-	99	1878.30
10.	ड्राइवर	1	330-495	351	-	134.80	-	60	10.53	10	-	1.63	-	567.96
11.	चपरासी	3	305-390	1038	-	398.60	-	150	31.14	60	9.00	4.89	75	1465.63

योग : 30,085.18

एक माह का व्ययानुमान

शासन द्वारा समय-समय पर मंहगाई भत्ते की बढ़ोतरी व अवकाश कालीन व्यवस्था का कुल 30%

एक वर्ष का व्ययानुमान

अतिरिक्त पदों हेतु

पद	संख्या	वेतनमान	अनुमानित 6 माह का व्ययानुमान
अवर अभियन्ता	4	485-860	21,840.00
टंकक	1	340-550	3,222.00

रु० 25,062.00

महायोग रु०

30,085.18

9,025.55

रु० 39,110.73

4,690.00

25,000.00

4,940.00

अभियन्त्रण खण्ड-4 मूल बजट वर्ष 1983-84

क्र०सं०	पद नाम	संख्या	वेतन मान	मूल वेतन	मंहगाई भ०	सवारी भ०	म० किराया भ० न०प्र०भ०	चि०भत्ता	धुं०भ०	बी०अं०	दे० क०	योग
1.	अधीशासी अभियन्ता	1	1100-2050	1170	374.40	--	120.00	--	--	1.63	--	1666.03 4186.47
2.	सहायक अभियन्ता	3	850-1720	2550	905.60	350.00	270.00	48.00	27.00	4.89	--	7714.48
3.	अवर अभियन्ता	9	485-860	4365	1834.60	675.00	540.00	150.21	135.00	14.67	--	
4.	प्रधान लिपिक	1	420-735	635	243.84	--	90.00	19.05	20.00	1.63	50.00	1059.52
5.	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	360-620	370	142.08	--	60.00	11.10	20.00	1.63	--	604.81
6.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	4	340-550	1600	614.40	--	240.00	48.00	80.00	5.52	100.00	2698.92
7.	चपरासी	4	305-390	1434	550.65	10.00	160.00	43.02	90.00	6.52	100.00	2396.19
8.	विभागीय लेखाकार	1	400-695	504	193.53	--	60.00	15.12	20.00	1.63	50.00	844.29

योग: 21,160.70

एक माह का व्ययानुमान

₹ 21,160.70

शासन द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली बढ़ोत्तरी तथा अवकाश कालीन व्यवस्था का 30%

₹ 6,348.21
₹ 27,508.91

एक वर्ष का व्ययानुमान -

330,106.92 अर्थात् ₹ 3,30,000.00

अतिरिक्त पदों हेतु

सहायक अभियन्ता	1	850-1720	7,800.00
अवर अभियन्ता	7	485-860	38,255.00
आशुलिपिक	1	420-735	4,045.00
टंकक	1	340-550	3,222.00

योग: ₹ 53,322.00

₹ 53,000.00

महायोग ₹ 3,83,000.00

अभियन्त्रण - 5

सं०	पद नाम	संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	महो भत्ता	सो भत्ता	भत्ता किराया भत्ता	नो प्रो भत्ता	चि० भत्ता	धु० भत्ता	वी०अंभत्ता	पे०रू०	योग
1.	अधीनस्थ अभियन्ता	1	1100-2050	1800	577.00	-	120.00	-	-	-	1.63	-	2497.63
2.	सहायक अभियन्ता	3	850-1720	3030	969.60	225	270.00	90.90	60.00	-	1.63	-	4650.39
3.	अवर अभियन्ता	11	485-860	6200	2380.80	825	660.00	126.00	168.00	-	17.93	-	10377.73
4.	प्रधान लिपिक	1	420-735	570	218.80	-	60.00	17.10	20.00	-	1.63	50.00	937.53
5.	द्वि० श्रेणी लिपिक	7	340-550	2640	1013.76	-	420.00	79.20	49.00	-	11.41	-	4213.37
6.	आशुलिपिक	1	420-735	435	167.04	-	60.00	13.05	7.00	-	1.63	-	683.72
7.	ट्रेसरेर	1	340-550	350	134.40	-	60.00	13.05	7.00	-	3.26	-	680.72
8.	ड्राफ्टमेन ग्रेड-2	2	420-735	435	167.04	-	60.00	9.90	7.00	-	1.63	-	535.25
9.	क्लर्क	1	315-440	330	126.72	-	60.00	-	50.00	-	1.70	-	2085.80
10.	एकाउन्टेन्ट	1	800	160	859.60	-	204.00	-	-	-	-	-	744.00
11.	दो वे० भे० सो 12/ प्रति	2	-	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	चपरासी	4	305-390	1370	526.10	10.00	160.00	41.10	87.00	12.00	6.52	60.00	2272.72
												योग-	30242.39

एक माह का अनुमानित व्यय
शासन द्वारा समय समय पर दत्त जाने वाली मंद्गार्ड
भत्ते एवं अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल 30%

₹ 30242.39

₹ 9072.71

एक वर्ष का व्यय अनुमान समया

₹ 39315.10

₹ 471781.20 अर्थात् 4,72,000/- मात्र

अति० पदों हेतु

6 माह हेतु व्यय अनुमान

सहा० अभियन्ता 1 850-1720 7800

अवर अभियन्ता 5 485-860 27300

₹ 35000

₹ 35100.00

योग ₹ 507000

अभियन्त्रणा खाण्ड-6 का मूल बजट वर्षा 1983-84

संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	मूल वेतन	म० भात्ता	सवारी भा०	भा०कि०भा०	न० प्र०भा०	चि०भात्ता	धा०भात्ता	बि०भा०	पे०कन्ड	योग
1.	अध्यापिका अभियन्ता	1	1100-2050	1530	489.60	-	120.00	-	-	-	1.63	-	2141.23
2.	सहायक अभियन्ता	3	850-1720	2330	1033.60	225.00	270.00	86.90	60.00	-	4.80	-	4920.39
3.	अवर अभियन्ता	16	485-860	9738	3739.31	1200.00	960.00	292.13	392.00	-	26.08	-	16247.52
4.	प्रधान लिपिक	1	420-735	435	767.04	-	60.00	113.05	20.00	-	1.63	-	796.72
5.	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	360-620	370	142.08	-	60.00	11.10	20.00	-	1.63	-	604.81
6.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	4	340-550	1410	541.44	-	240.00	42.30	28.00	-	6.52	-	2260.26
7.	आरू लिपिक	1	420-735	435	167.04	-	60.00	13.05	7.00	-	1.63	-	683.72
8.	ट्रेसर	1	340-550	350	134.40	-	60.00	10.50	7.00	-	1.63	-	563.53
9.	ड्राफ्टसमैन ग्रेड-2	2	420-735	435	167.04	-	60.00	10.05	7.00	-	1.63	-	680.72
10.	ब्लू प्रिन्टर	1	315-440	330	126.72	-	60.00	9.90	7.00	-	1.63	-	535.25
11.	मेकानिकल एकाउन्टेन्ट	1	400-695	412	158.08	-	60.00	12.36	7.00	-	1.63	-	615.07
12.	कम्प्यूटर	1	485-860	500	192.00	-	60.00	15.00	7.00	-	1.63	-	775.63
13.	चपरासी	4	305-390	310	119.04	-	40.00	9.30	7.00	12.00	1.63	-	495.97

योग ₹ 31328.82

एक माह का अनुमानित व्यय शासन द्वारा समय समय पर दी जाने वाली मंहगाई भात्ते की बढ़ोत्तरी तथा अवकाश कालीन व्यवस्था हेतु कुल का 30% ;

₹ 31328.82

₹ 9398.64

₹ 40727.46

एक वर्षा का अनुमानित व्यय

₹ 488729.52

अर्थात्

₹ 490000.00

अतिरिक्त पदों हेतु

6 माह हेतु व्यय अनुमान

सहायक अभियन्ता 1
टंकक 1

850-1720 7800
340-550 3222

₹ 11,000.00

₹ 11022.00

योग ₹ 501,000.00

अभियन्त्रणा खाण्ड-7 का मूल बजट वर्ष 1983-84

संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	म0भात्ता	सवारी भात्ता	भ0भात्ता	न0प्र0भ0	चि0 भात्ता	धु0भात्ता	बी0अंश	पे0 कन्द्र0	योग
1.	अध्याशासी अभियन्ता	1	1000-1900	1100	352.00	75.00	120.00	35.00	-	-	1.63	-	1673.63
2.	सहायक अभियन्ता	3	850-1720	2670	854.00	225.00	270.00	80.10	-	-	4.89	-	4103.99
3.	अवर अभियन्ता	11	485-860	6058	2326.30	825.00	990.00	181.74	200.00	-	17.93	-	10598.97
4.	प्रधान लिपिक	1	420-735	435	167.00	-	60.00	13.05	10.00	-	1.63	-	686.68
5.	प्रथम श्रेणी लिपिक	2	360-620	740	284.20	-	120.00	22.20	20.00	-	3.26	-	1189.66
6.	द्वितीय श्रेणी लिपिक	3	340-550	1050	403.20	-	180.00	31.50	30.00	-	4.89	-	1699.59
7.	आशुलिपिक	1	420-735	350	167.00	-	60.00	10.05	10.00	-	1.63	-	686.68
8.	सर्वेयर	1	340-550	350	134.40	10.00	60.00	10.50	7.00	-	1.63	-	573.53
9.	चपरासी	3	305-390	930	357.10	10.00	90.00	27.90	21.00	-	4.89	-	1440.89
योग													₹22,653.62

एक माह का व्ययानुमान
समय समय पर शासन द्वारा मंहगाई भात्ते की
बढ़ोत्तरी एवं अवकाश कालीन व्यवस्था
हेतु कुल का 30 %

₹ 22,653.62
₹ 6,796.08
₹ 29,449.70

एक वर्ष का व्ययानुमान

₹3,53,396.40
अर्थात् - ₹3,54,000.00

अतिरिक्त पदों हेतु

6 माह हेतु व्यय अनुमान

सहायक अभियन्ता	1	850-1720	7800
अवर अभियन्ता	5	485-860	27300
टंकक	1	340-550	3222
अर्दली/चपरासी	2	305-390	5820

₹ 44,142

₹ 44000

महायोग :

₹ 3,98,000

अभियन्त्रण खण्ड 8

संख्या	पद नाम	संख्या	वेतनमान	मूल वेतन	प्रति मा०	मा०भात्ता	सवारी मा०	मकान मा०	नगरोभात्ता	चि० भात्ता	धु०भा०	बीमा असादान	प० अनुदान	योग
1.	अध्याशासी अभियन्ता	1	1100-2050	1660.00	-	510.00	200.00	120.00	-	-	-	1.63	-	2491.63
2.	सहायक अभियन्ता	4	850-1720	3560.00	-	1139.20	300.00	260.00	-	80.00	-	6.52	-	4472.42
3.	अवर अभियन्ता	14	485-860	7217.00	-	2741.40	1050.00	840.00	156.00	156.00	-	22.82	-	12243.73
4.	प्रधान लिपिक	1	420-735	435.00	-	167.00	-	60.00	10.00	10.00	-	1.63	-	686.70
5.	प्र० श्रेणी लिपिक	2	360-620	740.00	-	284.20	-	120.00	20.00	20.00	-	3.26	-	1189.66
6.	द्वि० श्रेणी लिपिक	3	340-550	1050.00	-	403.20	-	180.00	20.00	20.00	-	4.89	-	1689.59
7.	आशुलिपिक	1	420-735	435.00	-	167.00	-	60.00	10.00	10.00	-	1.63	-	686.68
8.	सर्वेयर	1	340-550	350.00	-	134.40	10.00	60.00	10.00	10.00	-	1.63	-	576.08
9.	चपरासी	3	305-390	930.00	-	357.10	10.00	90.00	21.00	21.00	-	4.89	-	1440.89
													25477.38	

एक माह का व्ययानुमान स्या 25477.38

शासन द्वारा समय समय पर मंहगाई भात्ते की
बढोत्तरी एवं अवकाश व्यवस्था कालीन का
कुल 30%

7643.21

33120.59

एक वर्ष का व्ययानुमान स्या

397447.08

अर्थात्

397000.00

अति० पदों हेतु

6 माह हेतु व्ययानुमान

अवर अभियन्ता	2	485-860	10920
टंकक	1	340-550	3222
अर्दली	1	305-390	2910

₹ 17000

योग ₹17052

₹ 414000

मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान/नगर नियोजन विभाग मूल बजट 1983-84

क्र० सं०	पद नाम	संख्या	वेतनमान	वेतन	भत्ते						मासिक योग
					पैहगाई	मकान	शहर प्रतिकर	चिकित्सा	अन्य	बीमा अगंदान	
1.	मुख्य नगर नियोजक	1	1780-2300	2225	540	300	-	25	-	1.63	3091.63
2.	आर्य-कम-प्लानर	1	1350-1700	1350	486	150	-	25	-	1.63	2012.63 आस्थागित कर दी गई हैं।
3.	नगर नियोजक	1	1100-2050	1540	540	200	-	25	-	1.63	2306.63
4.	वास्तुविद्	1	1100-2050	1300	468	150	-	25	-	1.63	1944.63
5.	सहायक नगर नियोजक	2	850-1720	1780	540	230	50	40	-	3.26	2643.26
6.	सहायक वास्तुविद्	3	850-1720	2670	961.20	345	75	60	-	4.89	4116.09
7.	सांख्यिकी असिस्टेन्ट	1	570-1100	570	246.20	75	17.10	20	-	1.63	929.93
8.	आर्य कम-प्लानिंग असिस्टेन्ट	4	570-1100	2680	1157.80	300	68.40	80	-	6.52	4292.72
9.	सोशल सर्वे सहायक	2	485-860	970	419.00	150	29.10	20	-	3.26	1591.36
10.	फिजिकल सर्वे सहायक	2	485-860	970	419.00	150	29.10	20	-	3.26	1591.36
11.	ड्राफ्ट्स मैन	10	420-735	4386	1894.75	600	131.60	20	-	16.30	7360.25
12.	आशांलिपिक	1	420-735	420	181.40	60	12.60	20	-	1.63	695.63
13.	टि० प्र० लिपिक	4	340-550	1560	637.90	240	46.80	28	-	6.52	2518.92
14.	ड्रॉइंग	4	340-550	1560	637.90	240	46.80	28	-	6.52	2518.92
15.	मैप प्रिन्टर	1	340-550	340	146.90	60	10.20	7	-	1.63	565.73
16.	ड्राइवर	2	330-495	725	313.20	80	21.70	14	6	3.62	1163.16
17.	गोटिस सर्वर	4	305-390	1270	548.60	160	38.10	28	12	6.52	2063.22
18.	क्लर्क प्रिन्टर	3	305-390	915	395.30	120	27.40	21	9	4.89	1492.59
19.	चपरासी	4	305-390	1428	616.90	160	42.80	28	12	6.52	2294.22

योग: 45,192.88

क्रमांक 5, 6, 7, 9, 10, 13 सहित
कुछ पदों के 9 माह हेतु प्राविधान
रखे गये स्मया 13,390.92x9
स्मया 31,801.96x12

मास्टरप्लान एवं जोनल प्लान हेतु स्वीकृत पदों के प्राविधान

क्र० सं०	पद नाम	संख्या	वेतनमान	अनुमानित लम-सम व्यय	वार्षिक व्यय	स्मया 5,02,141.80
1.	सहायक नगर नियोजक	1	850-1720	15,870.40		
2.	असिस्टेन्ट कम प्लानिंग असि०	2	570-1100	5,300.00		
3.	फिजिकल सर्वे असि०	3	420-735	4,814.00		
4.	ड्राफ्ट मैन	2	420-735	4,825.00		
5.	आशांलिपिक	1	420-735	4,800.00		
6.	क्लर्क कम-टाइपिस्ट	1	340-550	3,200.00		
7.	ड्रॉइंग	1	305-390	2,910.00		
8.	चपरासी	1	305-390	2,910.00		
					44,629.40	

स्मया 44,629.40

स्मया 5,46,771.20

अर्थात् 5,47,000/-

परियोजना विभाग
 २ २ २ २ २ २ २ २ २

वर्ष 1983-84 में अधिष्ठाण पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण

क्रम संख्या	पद नाम	संख्या	वेतन मान	एक पद पर प्रति माह होने वाले व्यय का अनुमान	योग
1.	अधिशासी अभियन्ता	1	1100-50-1300-60-1660 द0रो0-60-1900-75-2050	2500.00	30,000.00
2.	सहायक अभियन्ता	4	850-40-1050-द0रो0-50-1300-60-1420-द0रो0-60-1720	1400.00	67,200.00
3.	अवर अभियन्ता	6	485-15-590-18-626 द0रो0-18-680-20-780द0रो0-20-860	900.00	64,600.00
4.	लिपिक, द्वितीय श्रेणी	3	340-10-400-द0रो0-10-430-12-454-द0रो0-12-550	700.00	25,200.00
5.	चपरासी	2	305-5-330-द0रो0-6-360-द0रो0-6-390	600.00	14,400.00
					योग:-2,01,400.00
					20,140.00
					2,21,540.00

10 प्रतिशत

प्रस्तावित खण्ड ९ के अतिरिक्त पदों हेतु

क्र०सं०	पद नाम	संख्या	वेतनमान	कुल मासिक उपलब्ध	बजट वर्ष 6 माह हेतु प्रस्ताव
1.	अधिशासी अभियन्ता	1	1100-2050	1317	7902
2.	सहायक अभियन्ता	4	850-1720	4400	26400
3.	अवर अभियन्ता	16	485-860	14560	87360
4.	आशुलिपिक	1	420-735	674	4045
5.	लिपिक/टंकक	7	340-550	3759	22554
6.	अनुचर अर्दली	4	305-390	1940	11640

योग: 1,59,902

अर्थात् : 1,60,000/-

प्रस्तावित खण्ड 10 के अतिरिक्त पदों हेतु

क्र०सं०	पद नाम	संख्या	वेतन मान	कुल मासिक उपलब्ध	बजट वर्ष के 6 माह हेतु प्रस्ताव
1.	अधिशासी अभियन्ता	1	1100-2050	1317	7902
2.	सहायक अभियन्ता	4	850-1720	4400	26400
3.	अवर अभियन्ता	16	485-860	14560	87360
4.	आशुलिपिक	1	420-735	674	4045
5.	लिपिक/टंकक	7	340-550	3759	22554
6.	अनुचर/अर्दली	4	305-390	1940	11640

योग: ₹ 1,59,901

अर्थात् ₹ 1,60,000/-

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1- | श्री सुरेन्द्र मोहन | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ |
| 2- | श्री आर०एस० माधुर | सचिव, आवास एवं नगर
विकास, उ०प्र०शासन |
| 3- | श्री अखण्ड प्रताप सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण |
| 4- | डा०वी०एन०खन्ना | सदस्य, विधान परिषद् एवं
सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण |
| 5- | श्रीमती गीता काचर | सदस्या, लखनऊ विकास
प्राधिकरण |
| 6- | श्री जे०पी०दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक |
| 7- | श्री ओम पाठक | जिलाधिकारी, लखनऊ |
| 8- | श्री डी०पी० सिंघल | मुख्य अभियन्ता, जल निगम |
| 9- | श्री सै०सिन्हा रज़ी | संसद सदस्य एवं सदस्य, लखनऊ
विकास प्राधिकरण |
| 10- | श्री ए०के० खुराना | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
उ०प्र० शासन |

=====

विषय संख्या: 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
18 फरवरी, 1983 की कार्यवाही के
पुष्टिकरण पर विचार ।
बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या
से सम्बन्धित प्रगति की समीक्षा करते हुए
दिनांक 18 फरवरी, 1983 की कार्यवाही
की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
18 फरवरी 1983 में लिये गये निर्णयों की
अनुपालन आख्या ।

- 1- प्राधिकरण की सीमा में आने वाले गाँवों की
भूमि विकास कार्य हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण
में हस्तांतरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में
विधिक परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र
की जाये ।
- 2- दान्सपोर्ट नगर की प्रगति पर विचार किया
गया । जिलाधिकारी ने सूचना दी कि उन्होंने
दान्सपोर्ट्स के प्रतिनिधियों से वार्ता की थी
और उनको निर्देश दिया था कि 30 जून 1983
तक वे अपनी गाड़ियाँ तथा वर्कशाप आदि
~~वर्कशाप~~ नवनिर्मित दान्सपोर्टनगर में शिफ्ट
करना प्रारम्भ कर दें और 30 सितम्बर तक
उसको अन्तिम रूप से शिफ्ट कर लें । यह
निर्णय लिया गया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर

से इस बात का व्यापक प्रचार समाचार पत्रों के माध्यम से करा दिया जाये कि 30 सितम्बर 1983 के उपरान्त नगर के अन्दरूनी भाग में बड़ी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा और दान्सपोर्ट व्यापार से सम्बन्धित कार्य तथा पार्किंग आदि वे दान्सपोर्ट नगर में ही करेंगे। लादने तथा उतारने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जो भी व्यवस्था की जायेगी उसके अधीन ही निर्धारित समय में इन गाड़ियों का प्रवेश नगर के मध्य भाग में हो सकेगा। चूंकि दान्सपोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से नगर के दान्सपोर्ट व्यवसाय में लगे सभी छोटे तथा बड़े गैरेजेज़ व स्टोरेज हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं अतः अन्य व्यक्तियों को भी यह सूचना दे दी जाये कि वे अपना वर्कशाप, शेड एवं गोदाम आदि समय से दान्सपोर्ट नगर में बनवा लें और दिनांक 30 सितम्बर 1983 के उपरान्त ऐसा न करने पर उनके प्रति विधिक कार्यवाही की जावेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि आलमबाग सिन्डर्स डम्प क्षेत्र में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 3-00 लाख की योजना बनाई गई है उसे स्वीकार करके सिन्डर्स डम्प क्षेत्र में इन्टर डिस्ट्रिक्ट बस टरमिनस निर्मित कराया जाये। इस स्थल पर बुकिंग आफिस, पैसेन्जर्स शेड, सर्विस पार्किंग, आईडिल पार्किंग आदि की व्यवस्था कर दी जाये। बसों पर व्यय के अनुसार पार्किंग चार्जेज़ लगाये जायें और इस शर्त पर यू0पी0एस0आर0टी0सी0 का वर्तमान बस टरमिनस जो चारबाग में है, इस क्षेत्र पर स्थानान्तरित करने का प्रबन्ध करने का प्रयास किया जाये। इस कार्य में प्रगति की विवेचना तथा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी तथा डा0वी0 एन0 खन्ना की एक समिति प्रगति की समीक्षा करेगी और आवश्यक निर्णय भी लेगी।

3-

4-

बैलेन्स शीट बनाये जाने के प्रकरण पर अब तक की गई प्रगति का जायज़ा लिया गया। आवास सचिव ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण के लेखा अनुभाग के कर्मचारियों को कामर्शियल एकाउन्टिंग की ट्रेनिंग दे दी जाये। उन्होंने बतलाया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में यह लेखा प्रणाली पहले से ही कार्यरत है और कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है जिससे कि बैलेन्स शीट आदि बनाने में भविष्य में एक व्यवस्था बन जाये और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य चलता रहे।

आवास सचिव के सुझाव पर यह स्वीकार किया गया कि अगली बैठक से प्रगति समीक्षा वाले मद के तुरन्त बाद अर्थात् क्रम संख्या-3 पर बीस सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन चल रही योजनाओं की प्रगति पर नियमित रूप से प्रत्येक बैठक में विचार किया जाये ।

विषय संख्या:3

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्षा 1983-84 के बजट पर विचार ।

प्राधिकरण द्वारा, बैठक में प्रस्तुत किया गया 5960-25 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव स्वीकार किया गया । अध्यक्ष एवं सदस्यों ने महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकरण प्रशासन को बधाई दी ।

संयुक्त सचिव, वित्त के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि रेवन्यु हेड में जो पार्किंग एरिया आदि के विकास से सम्बन्धित 31.00 लाख रुपये §लगभग§ बूक किया गया है उसको रेवन्यु मद से निकाला जाये और अन्य उपयुक्त मद में इसकी बुकिंग की जाये । अध्यक्ष महोदय ने यह इंगित किया कि पार्कों के विकास, सौन्दरीकरण योजनाओं तथा अन्य ऐसी महत्वपूर्ण योजनायें जो कि नगर के आन्तरिक भागों में चल रही हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि बजट में अंकित लक्ष्यों की पूर्ति तत्परता पूर्वक की जाये ।

विषय संख्या:4

लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर आवन्टियों द्वारा अपना भूखण्ड बेचे जाने पर अबतक 75 प्रतिशत लाभार्शं प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये जाने की व्यवस्था अभी तक चल रही है । विधिवत् विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 75 प्रतिशत लाभार्शं को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाये ।

विषय संख्या:5

महानगर योजना के अन्तर्गत सीवर व्यवस्था के पुर्ननिर्माण के विषय पर यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना को महा-पालिका द्वारा कार्यान्वित करने पर पहले विचार कर लिया जाये ।

विषय संख्या:6

विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण में आने वाली किराये पर दी गई सम्पत्ति § अनावास्तिक § के बिक्रय के प्रस्ताव पर विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि निम्नांकित तालिका में अंकित सम्पत्ति का बिक्रय कर दिया जाये :-

क्रम सं०	व्यवसायिक केन्द्र का नाम	दुकानों की संख्या
1	2	3
1-	नक्शास मार्केट	213
2-	आई0टी0 कालेज	45
3-	आउट्रग रोड	34
4-	लाल कुँआ	17

कुलशत :-

1	2	3
5-	दासलशाफा चौक	34
6-	मकबरा गेट	6
7-	हजरतगंज शाप्स	10
8-	पाण्डे का तालाब	6
9-	राजेन्द्र नगर	6
10-	मैरिस मार्केट	48
11-	मवैया	9
12-	चाइना बाजार गेट	14
13-	पेपर मिल कालोनी स्टोर्स	29 4
योग		530

निस्तारण के मूल्य के विषय में यह निर्णय लिया गया कि इन दूकानों के विक्रय की कीमत निकालते समय भूमि की कांमर्शियल कीमत वर्तमान दर से निकाली जाये और उसमें दूकान के निर्माण पर आने वाली लागत को वर्तमान दर से जोड़कर तब पूरी कीमत निकाली जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि डेपरीसियेशन का कोई भी लाभ इन दूकानों के विषय में नहीं दिया जायेगा और इस प्रक्रिया द्वारा यदि सम्बन्धित दूकानदार क्रय करना चाहता है तो इसको विक्रय कर दिया जायेगा अन्यथा बाहरी व्यक्ति को नीलामी की प्रक्रिया द्वारा ही दूकान विक्रय की जावेगी।

विषय संख्या: 7

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में आने वाले प्राधिकरण के गठन के पूर्व इम्पूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा किये गये पट्टों से सम्बन्धित भूमि के पट्टों का पुर्न-नवीनीकरण करने के विषय में नीति के निर्धारण पर विचार किया गया। निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

- 1- यह कि भूमि की वर्तमान कीमत जिलाधिकारी द्वारा घोषित बाजार दर को आधार मानकर लगाई जाये और इस कीमत पर एक प्रतिशत वार्षिक लीजरेन्ट अदा करने की शर्त पर पट्टे का नवीनीकरण 30 वर्ष के लिये किया जा सकता है।
- 2- लीजरेन्ट की वार्षिक वसूली व्ययसाध्य सिद्ध हो रही है अतः कार्यालय पर अनावश्यक कार्य का दबाव तथा व्ययभार घटाने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया कि दस वर्ष का लीजरेन्ट अर्थात् भूखण्ड के वर्तमान मूल्य का 10 प्रतिशत एक मुश्त अदा करने पर 30 वर्ष के लिये लीजरेन्ट को प्रीपेड मानकर आगामी तीस वर्ष हेतु पट्टा पुर्न-नवीनीकृत किया जायेगा। इस प्रकार से जिन पट्टों की अवधि समाप्त हो गई है अथवा समाप्त होने को है उनके विषय में आगामी तीस

वर्ष तक इसा निर्णय के अनुरूप पट्टे का नवीनीकरण करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई ।

विषय संख्या: 8

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि जो अधिकारी/कर्मचारी सरकारी वाहन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे और वे प्राधिकरण के कार्य में अपने निजी वाहन का प्रयोग करते हैं उनको इस हेतु शासनादेश द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने की स्थिति में स्कूटर/मोटर साईकिल भत्ता रुपये 100/- प्रतिमाह उपलब्ध कराया जावेगा । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपनी निजी साईकिल प्रयोग करने की स्थिति में 20/- रुपये प्रतिमाह साईकिल भत्ता दिया जावेगा ।

विषय संख्या: 9

कार्तिपय भावनों में बढ़े हुए दर से लीजरेन्ट लेने के प्रस्ताव पर विचार किया गया । प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान समय में भूमि के प्रीमियम पर एक प्रतिशत वार्षिक की दर से पट्टे का किराया लिया जाता है । प्राधिकरण की योजनाओं में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भूमि पर विकास तथा निर्माण कार्य कराये जाने की शर्त निर्धारित की जाती है । कुछ लोग इन शर्तों का पालन न करते हुए भूमि इन्वेस्टमेंट के रूप में क्रय करते हैं और निर्माण कार्य न करके भूमि पर बड़ी धनराशि लाभ के रूप में प्राप्त करके बेचना चाहते हैं । वस्तुतः प्राधिकरण ऐसे लोगों के लिये निर्माण तथा विकास कार्य करता है जिनकी आवश्यकता वास्तविक हो, अतः इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जो आवंटी निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य नहीं करा पाते हैं उनसे भूमि के प्रीमियम पर ~~एक~~ ² प्रतिशत वार्षिक दर से लीजरेन्ट वसूल किया जावे । इस शर्त का समावेश भवनों/भूखण्डों आदि के आवंटन सम्बन्धी नियमों तथा लीज़डीड के प्रारूपों में भी कर लिया जाये । यह प्रक्रिया भविष्य में होने वाले अनुबन्धों पर ही लागू होगी ।

विषय संख्या: 10

श्री गोकर्ण प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी बल्दी खेड़ा की भूमि जो कानपुर रोड तथा नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत अर्जित की गई है तथा उनके भवन के बदले में विकल्प दिये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि विकल्प के रूप में यदि वे चाहें तो उन्हें एक एल0आई0जी0 भवन निःशुल्क उपलब्ध कराके सड़क के मध्य आने वाले इनके भूखण्ड तथा भवन का अधिगृहण कर लिया जाये ।

विषय संख्या: 11

अलीगंज योजना में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित निर्धारित मूल्य में पचास प्रतिशत छूट दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विद्यालय हेतु आवंटित भूमि के 50 प्रतिशत मूल्य प्राधिकरण द्वारा नगर में शिक्षा के विकास के हित में वहन किया जाये।

विषय संख्या: 12

निकट सम्बन्धियों के पक्ष में सम्पत्तियों का हस्तांतरण करने हेतु हस्तांतरण शुल्क न लेने के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के पश्चात यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया और यह निर्णय लिया गया कि अब तक चल रही प्रक्रिया का ही अनुपालन किया जाये।

विषय संख्या: 13

महानगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-49 ई रोड के सम्बन्ध में हस्तांतरण शुल्क के प्रकरण पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि बिक्री के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट की तिथि को जो लाभांश देय होता था वही लाभांश प्राप्त किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि इस सिद्धान्त को अन्य सभी मामलों में भी दृष्टान्त के रूप में स्वीकार कर लिया जाये कि बेचने हेतु एग्रीमेण्ट का यदि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसी तिथि को अन्यथा बैनामे के रजिस्ट्रेशन की तिथि को जो भी लाभांश देय था वही सम्बन्धित पक्ष से वसूला जाये और इस हेतु नामान्तरण की तिथि को आधार न बनाया जाये।

विषय संख्या: 14

लखनऊ नगर में छुट्टा जानवरों के कारण होने वाली असुविधा तथा अवरोध को दूर करने तथा दुग्ध विकास के हित में प्रस्तावित योजनाओं के विषय में प्रगति का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या: 15

रेजीडेंसी में ध्वनि तथा प्रकाश की व्यवस्था के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रस्तावित 1-89 लाख रु० के व्यय को स्वीकार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण टिकट आदि लगाकर रेजीडेंसी के अनुरक्षण कार्य को स्वतः वित्त पोषित बनाने की आगामी कार्यवाही करे।

विषय संख्या: 16

लखनऊ अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेण्ट ऐक्ट बाई लाज 1975 के अन्तर्गत भवनों के अग्रभाग के रंग रोगन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार हुआ। यह निर्णय लिया गया कि पिछले बकाये की वसूली की जाये तथा हजरतगंज मुख्य मार्ग, लालबाग मुख्य मार्ग, कैसरबाग, बी०एन० रोड, अमीनाबाद तथा कानपुर रोड, स्टेशन से लेकर सिंगार नगर तक क्षेत्रों में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा रंग रोगन का कार्य कराया जाये तथा इसकी वसूली प्रभावकारी ढंग से विधिवत् की जाये।

विषय संख्या: 17

कानपुर रोड योजना में भूमि की दरें पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव पर विचार हुआ और निम्नांकित दरें निर्धारित की गई :-

क- साइडस एवं सर्विसेज के भूखण्ड तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भवनों हेतु	₹ 100/- प्रति वर्गमीटर
ख- अल्प आय वर्ग के भवनों हेतु	₹ 130/- प्रति वर्गमीटर
ग- मध्यम आय वर्ग / उच्च आय वर्ग के भवनों हेतु	₹ 145/- प्रति वर्गमीटर
घ- जन-सुविधाओं हेतु	₹ 130/- प्रति वर्गमीटर
ङ. - व्यवसायिक	₹ 450/- प्रति वर्गमीटर

इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के लिये निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का भी पालन मूल्यांकन के समय किया जावेगा। इस पृष्ठभूमि में प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

विषय संख्या: 18

७. ←

विषय संख्या: 19

उपाध्यक्ष को अधिकार प्रतिनिहित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव स्थगित किया गया।

श्री गिरीश चन्द्र गुप्त, अस्थाई विद्वतीय श्रेणी लिपिक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी शल्य चिकित्सा हेतु 25000 ₹ के अग्रिम दिये जाने के माँग के विषय पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि सचिव, आवास विभाग से परामर्श करके अध्यक्ष महोदय इस प्रकरण पर उचित निर्णय स्वयं ले लें।

विषय संख्या: 20

अलखिगंज योजना में उपलब्ध स्कूलों के प्लाट्स के निस्तारण की नीति के प्रकरण पर विचार किया गया और प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखा गया।

विषय संख्या: 21

गोमती नगर योजना के विकास तथा निर्माण सम्बन्धी प्रगति का अवलोकन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन सहकारी समितियों की भूमि अधिगृहीत कर ली गई है और जहाँ पर कब्जा ले लिये जाने के कारण भूमि को अधिगृहण करने से मुक्त करना सम्भव नहीं है उन सभी मामलों में ऐसी समितियों के सभी आवंटी सदस्यों को योजना के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध कराई जाये और भूमि उपलब्ध कराते समय उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाये। इसीप्रकार अन्य जो "बोनाफाइड" आवासीय उपयोग के हेतु भूखण्ड क्रय किये गये हैं उन्हें भी सहानुभूतिपूर्वक विकल्प में मूल्य लेकर प्लाट देने पर विचार किया जाये। उपाध्यक्ष ने अवगत कराया ऐसे व्यक्तियों के प्रत्यावेदन पर जिन्होंने भवन बनाने या आवासीय क्षेत्र के भू-उपयोग के अनुसूचि किसी अन्य उपयोग के छोटे भूखण्ड क्रय किये हैं उन पर विचार कर उन्हें

विकल्प में मूल्य लेकर भूखण्ड अन्यत्र या यदि उनकी अपनी जमीन ही "ले-आउट" में "रेडजस्ट" हो रही है तो विकासशुल्क लेकर इन्डस्ट्रियल-प्लॉट देने पर विचार किया जा रहा है जिससे अनावश्यक मुकदमेबाज़ी व विलम्ब न हो । इसी प्रकार कुछ औद्योगिक इकाइयों जो फैजाबाद-रोड साइड में चल रही हैं उनके उपयोग को भी गुंणावर्गण पर विचार कर चालू रहने देने की कार्यवाही की जा रही है व उनसे विकास शुल्क के विषय में भी उनके द्वारा जनित भार के अनुस्यू निर्णय अध्यक्ष के अनुमोदन से लिया जायेगा ।

विषय संख्या: 22

शासन के पत्र संख्या- 2158/37-224 डी०ए०/80 दिनांक, 21 जनवरी 1983 द्वारा विकास प्राधिकरण समुन्नति प्रभार के सँदाय का समय और रीति उपविधि 1982 की आर्देश उपविधि प्राधिकरण द्वारा संकल्प पारित करके अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई ।

यह भी निर्णय हुआ कि सिधदान्त रूप से शासन द्वारा बनाई गई आर्देश उपविधियों को ग्रहण कर लिया जाये परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में समुन्नति प्रभार लगाते समय उसके दर आदि के विषय में पहले प्राधिकरण द्वारा निर्णय ले लिया जायेगा तभी किसी प्रकार का प्रभार आरोपित होगा ।

अनुपूरक कार्यसूची
विषय सं०: 1 से
9-----

विषय संख्या 1 से 9 तक यह निर्णय लिया गया कि इन छोटे-छोटे भूखण्डों को अधिग्रहण करने का जो प्रस्ताव लाया गया है वह इसी सिधदान्त पर आधारित है कि इन भूखण्डों के स्वामियों को बाध्य किया जाये कि वे निर्माण कार्य शीघ्र कर दें अथावा भूमि अधिग्रहीत करके इसपर निर्माण कार्य तुरन्त कराया जाये जिससे कि विकसित कालोनियों के अन्दर तो असुविधा तथा अवरोध इस भूखण्डों के कारण उत्पन्न हो गया है वह दूर हो और नगर के अन्दर उपलब्ध भूमि का अधिक से अधिक उपयोग हो सके । इस समस्या के समाधान हेतु प्राधिकरण ने इस प्रकरण पर विचार किया और निर्णय लिया कि क्रम संख्या: 1 से 9 तक जो अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा गया है उसे भूखण्ड स्वामियों के विवरण तथा उपयोग की योजना सहित पुर्नविचार के बाद रखा जाये तथा इसी क्रम में खुली भूमि पर लेवी लगाये जाने के विषय में नियम बनाये जायें जिससे कि भूखण्ड प्राप्त करके खुला छोड़ने वाले व्यक्तियों पर इस बात का दबाव पड़े कि या तो वे अपना स्वयं भावन बना लें या भूखण्ड को ज़रूरतमन्द लोगों को विक्रय कर दें ।

अनुपूरक विषय
संख्या: 10-----

हरदोई रोड पर राधाग्राम दुग्ध विकास तथा आवासीय योजना हेतु 551-88 एकड़ भूमि के अर्जन के विषय में प्रस्ताव पर विचारो-परान्त निर्णय लिया गया कि फिलहाल 100 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करके दुग्ध विकास योजना का कार्यान्वयन कराया जाये । इस योजना की इकनामिक्स तथा अन्य विषय आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाये ।

अनपरक विषय
संख्या: 11

उजरियांव {गोमतीनगर} आवासीय योजना भाग-2 हेतु 2095.36 एकड़ भूमि के अर्जन के प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत किये गये मास्टर प्लान में 100 फिट चौड़ी रोड तथा उसके समानान्तर गुजरने वाली ~~संशोधन~~ टंक सीवर लाइन तक जो क्षेत्र पड़ता है {इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 800 से 1000 एकड़ बतलाया गया} केवल उसका अधिगृहण कर लिया जाये। इसी संशोधन के साथ प्रस्ताव स्वीकार हुआ और शेष जो भूमि अधिगृहीत की जानी है, उसके विषय में उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी तथा डायरेक्टर के समिति बैठकर यह तय कर लेगी कि क्या इसके अतिरिक्त भूमि अधिगृहण करना फिलहाल आवश्यक है? समिति ही इसपर अन्तिम रूप से निर्णय ले लेगी और आगामी कार्यवाही इसी क्रम में की जावेगी।

अनपरक विषय
संख्या: 12

लखनऊ नगर में सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण करके बसे हुए तथा आवासीय समस्या से पीड़ित अन्य व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, हेतु झूखण्डों, व्यावसायिक स्टाल्स तथा भवनों आदि के विकास के सम्बन्ध में विभाग का प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों सहित स्वीकार किया गया :-

- 1- यह योजना हडको को वित्तीय रूप से पोषित करने हेतु शीघ्र प्रेषित कर दी जाये।
- 2- हडको द्वारा निर्धारित मानक तथा भवन के निर्माण पर आने वाले वास्तविक व्यय में लगभग 1500 रुपये का अन्तर आता है। यह 1500 रुपये चूंकि व्यय करना अनिवार्य है, अतः उचित होगा कि सम्बन्धित आवंटनी से आवंटन के उपरान्त एक वर्ष के अन्दर त्रैमासिक किशतों में यह 1500 रुपये, ~~अतिरिक्त~~ किशतों के अतिरिक्त वसूल किया जाये और शेष धनराशि वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया तथा हडको द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार दीर्घकालीन ऋण की ~~सहायता~~ किशतों में ली जायें। प्राधिकरण द्वारा इस श्रेणी के भवनों में यही प्रक्रिया अन्य मामलों में भी अपनाई जाये जिससे वित्तीय भार अधिक पड़े बिना विकास होता रहे।
- 3- इस विषय में प्रत्येक स्थल पर क्रियान्वित की जाने वाली योजना का विवरण तथा उसके अर्थिक पहलू सहित आगामी बैठक में योजनायें प्रस्तुत करके प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

अनपरक विषय
संख्या: 13

लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर व्यवसायिक केन्द्रों, कार्यालय भवनों तथा अन्य रोजगार केन्द्रों को विकसित करने की योजना पर विचार किया गया: 13 {अलीगंज क्षेत्र में सेक्टर "एच" में स्थापित ~~किए~~ जाने वाला व्यवसायिक केन्द्र प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

- 13१2१ लखनऊ फैजाबाद रोड के सहारे स्थापित होने वाले कैलाश कुँज की योजना;
प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
- 13१3१ कानपुर रोड नगर विकास योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक केन्द्र की स्थापना ;
योजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई परन्तु यह निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त वित्तीय पहलू को ध्यान में रखकर यह योजना प्राधिकरण से स्वीकृत कराई जाये ।
- 13१4१ छितवापुर व्यवसायिक काम्पलेक्स ;
स्वीकृति दी गई । यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से अनुबन्ध पत्र शीघ्र भराया जाये और आगणन आदि सत्यापित करने हेतु स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट से रिपोर्ट आदि शीघ्र प्राप्त की जाये ।
- 13१5१ ला-प्लास क्षेत्र में बहुमंजिले आवासीय भवनों का निर्माण ;
इस योजना के विषय में अब तक की प्रगति तथा प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में उपाध्यक्ष द्वारा पारित किये गये आदेशों पर चर्चा हुई । जन हित को ध्यान में रखकर उपाध्यक्ष द्वारा जो निर्णय लिये गये थे उनके विषय में सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई तथा एक कमेटी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया जो कि योजना पर अन्तिम स्तर से स्वीकृति देने के पूर्व अब तक लिये गये निर्णयों आदि की पृष्ठभूमि में इस योजना पर विचार करेगी और अपनी संस्तुति दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेगी । कमेटी निम्नांकित पदाधिकारियों की होगी :-
1- अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
2- डा०वी०एन०खन्ना, सदस्य, विकास प्राधिकरण
3- श्री जे०पी० दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
~~4- श्री ए०पी० सिंह, उपाध्यक्ष, ल०वि० प्राधिकरण~~
4- श्री ए०पी० सिंह, उपाध्यक्ष, ल०वि० प्राधिकरण
- 13१6१ बटलर पैलेस कालोनी तथा गोमती बन्ध के बीच में उपलब्ध भूखण्ड पर निर्माण तथा विकास कार्य से सम्बन्धित योजना ;
योजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई और यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में योजना के आर्थिक पहलू तथा अन्य विवरण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायें ।
- 13१7१ विधान भवन के सामने विशेषर नाथ रोड पर वर्तमान आर०एफ०सी० कार्यालय के परिसर में बहुखण्डीय कार्यालय भवन बनाये जाने की योजना ;
सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई तथा यह निर्णय

लिया गया कि आगामी बैठक में वित्तीय पहलू को भी ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण योजना प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाये।

13१8१ गोमती नगर क्षेत्र में सहकारी निगमों के कार्यालयों को स्थापित करने हेतु कार्यालय भवन बनाये जाने की योजना ;

यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र का मास्टर प्लान तथा उक्त मास्टर प्लान में इस योजना की स्थिति सहित अन्य विवरण प्रस्तुत करके आगामी बैठक में स्वीकृति ली जाये।

अनपरक विषय
संख्या : 14

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में आने वाले किराये के भवनों को आवंटित करते समय पूरा बकाया आवंटि से वसूलने के प्रकरण पर विचार हुआ। आवास सचिव चूँकि उस समय बैठक में उपस्थित नहीं थे इसलिये निर्णय हुआ कि आगामी बैठक हेतु यह विषय स्थगित कर दिया जाये जिससे उनकी उपस्थिति में इस पर चर्चा हो सके।

अनपरक विषय
संख्या 15 तथा 16

यह दोनों प्रकरण जोनल प्लान को अन्तिम रूप से स्वीकार करने से सम्बन्धित थे। यह विषय आगामी बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया।

अनपरक विषय
संख्या 17

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के सेक्टर "डी" में उच्च आय वर्गीय एक मंजिले प्रथम श्रेणी के पचास भवन एवं उच्च आय वर्गीय एक मंजिले द्वितीय श्रेणी के 100 भवनों एवं इससे सम्बद्ध हाउसिंग क्लस्टर की संयुक्त योजना, आवास तथा नगर विकास निगम, नई दिल्ली को आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को इसी पृष्ठभूमि में स्वीकार किया गया।

अनपरक विषय
संख्या : 18

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर "डी-1" में विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनपरक विषय
संख्या : 19

श्री सै० मोदी बैडमिंटन खिलाड़ी को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अधीन "ए" श्रेणी का एक भूखण्ड कैशडाउन आधार पर विक्रय किये जाने के प्रकरण पर स्वीकृति दी गई।

अनपरक विषय
संख्या : 20

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकसित तथा अविकसित क्षेत्रों में बाह्य विकास शुल्क लगाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि

इस प्रस्ताव में जो दर प्रस्तावित है उनपर निम्नांकित सदस्यों की एक समिति निर्णय लेगी :-

- 1- श्री जे०पी० दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
- 2- श्रीमती गीता काचर, सदस्या, लखनऊ विकास प्राधिकरण
- 3- श्री ए०के० खुराना, संयुक्त सचिव, वित्त
- 4- श्री ए०पी० सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

अनपरक विषय
संख्या: 21

पत्रकारों को आवंटित भूखण्डों पर उनसे ब्याज न लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि नियमान्तर्गत जो धनराशि पत्रकारों पर देय है उसकी वसूली की जाये और इस विषय में कोई छूट दिया जाना उचित नहीं होगा।

अनपरक विषय
संख्या: 22

हडको एवं अन्य सभी संस्थाओं से प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध करने के लिए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनपरक विषय
संख्या: 23

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन बहुखण्डीय भवनों हेतु आर्किटेक्ट्स के पैनल की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस हेतु जो पैनल बनाया गया है उसकी स्वीकृति दी गई।

अनपरक विषय
संख्या: 24

रोड पेवर मिक्सर यूनिट तथा इससे सम्बद्ध अन्य हैवी मशीनरी की व्यवस्था के प्रकरण पर प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया गया। उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि 9 मार्च 1983 के शासनादेशों के अनुसार शासन की पूर्ण अनुमति इस क्रय के लिए आवश्यक नहीं है व आश्वासन दिया कि इसकी पुष्टि शासन से प्राप्त कर ली जायेगी।

अनपरक विषय
संख्या: 25

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन बुल्डोजर्स की व्यवस्था ; बुल्डोजर्स की आवश्यकता के विषय में आर्थिक पहलू पर भी विचार किया गया और तथ्यों से प्राधिकरण अवगत हुआ। उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि 9 मार्च 1983 के शासनादेशों के अनुसार शासन की पूर्ण अनुमति इस क्रय के लिये आवश्यक नहीं है व आश्वासन दिया कि इसकी पुष्टि शासन से प्राप्त कर ली जायेगी।

सामान्य निर्णय :
=====

कार्यसूची में अंकित विषयों के अतिरिक्त प्राधिकरण की बैठक के दौरान चर्चा करते हुए निम्नांकित निर्णय भी लिये गये :-

- 1- विकास प्राधिकरण की पिछली कुछ महीनों की प्रगति एवं उपलब्धियों का समीक्षा की गई। प्राधिकरण ने उक्त उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए इस तीव्र गति से हुई प्रगति की प्रशंसा की। यह निर्णय हुआ कि प्राधिकरण कोई योजना कार्यान्वित करने के पहले उसके स्वरूप की चर्चा प्राधिकरण की बैठक में कर लेना उचित होगा और योजना के सम्पूर्ण विवरण

तथा इकनामिक्स तैयार करने के पश्चात उसे प्राधिकरण की अगली बैठक में अग्रिम कार्यान्वयन के पूर्व रख लेना उचित होगा। जहाँ वहाँ अत्यावश्यक मामलों में बैठक के पूर्व इस तरह का कार्यान्वयन आवश्यक हो वहाँ अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली जाये परन्तु उसके तुरन्त बाद उसे बैठक में रख दिया जाये जिससे कि कोई बड़ी योजना चालू होने के पूर्व प्राधिकरण में उसके समस्त पहलुओं पर चर्चा ~~भली प्रकार~~ भली प्रकार से हो जाये।

- 2- उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि विकास प्राधिकरण के बढ़ते हुए कार्य के दबाव में उनके द्वारा कुछ निर्णय प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा में लिये गये हैं। इन्हें एजेण्डा में शामिल कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण की बैठक तीन बार टलने के कारण और दोनों बैठकों के बीच में थोड़ा लम्बा समय पड़ जाने की स्थिति भी इसका एक कारण थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में विकास प्राधिकरण की बैठकें बहुत जल्दी या इमरजेंट मीटिंग के रूप में बुलाने की प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिससे कि प्राधिकरण में चर्चा होने के पश्चात योजनाओं पर समुचित निर्णय समय से लिया जा सके। साथ ही उपरोक्त परिस्थितियों के निराकरण के लिये डेलीगेशन आफ पावर्स का आदेश पूर्ण प्रस्ताव सहित अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि अधिकांश प्रस्ताव इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के बनने के बाद ही पारित हुए थे और अब संगठन की विकसित दशा में और पे-स्केल तथा कीमतों की बदली हुई स्थिति के कारण उनपर एक नई दृष्टि डाल लेना उचित होगा। इस संदर्भ में उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों को डेलीगेशन के सम्बन्ध में भी एक कान्स्टालिडेटेड प्रस्ताव रख दिया जाये जिससे कि समय समय पर प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों को वर्तमान स्वरूप में एक साथ विचार करके उनके ~~के~~ भविष्य के स्वरूप के विषय में निर्णय लिया जा सके।
- 3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए यह निर्णय हुआ कि बैठक के हर एजेण्डा में एक विशिष्ट आइटम बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों एवं उपलब्धियों को दिखाते हुए रखा जाये जिससे कि उसपर अलग से चर्चा हो सके।
- 4- यह भी निर्णय हुआ कि अगली बैठकों में उपाध्यक्ष/सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाया करे कि प्राधिकरण के कार्यों में वैधानिक प्रोवीज़न्स और शासकीय आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स को कम्पनी ला के प्राविजन्स के अन्तर्गत चीफ इक्ज़ीक्यूटिव द्वारा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। चूंकि प्राधिकरण का कार्य स्तर भी उससे मिलता जुलता है इसलिए इस प्रकार का प्रमाणपत्र अगली बैठक में सदैव आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाये।
- 5- प्राधिकरण में कामर्शियल एकाउंटिंग तथा बैलेन्स शीट बनाने की प्रगति को देखते हुए यह भावना व्यक्त की गई कि यह कार्य अनेकों वर्षों से टलता जा रहा है और वर्तमान वर्ष में ही कामर्शियल एकाउंटिंग के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही कर लेना तथा स्टाफ को ट्रेनिंग इत्यादि दे देना उचित होगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि बैलेन्स शीट को 31 अगस्त 1983 तक पूरा कर लेने की कार्यवाही की जा रही है। कामर्शियल एकाउंटिंग ~~के~~ के विषय में भी कानपुर

विकास प्राधिकरण के अनुरूप यहाँ पर लेखा रखने की प्रणाली अगले दो महीनों में शुरू कर देने की आशा है। इस सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया गया कि आवास एवं विकास परिषद या राजकीय निर्माण निगम के अनुभवों से लाभ उठाकर यहाँ पर आवश्यक हो तो प्राधिकरण के स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था कर ली जाये। यह भी निर्णय हुआ कि अभियन्त्रण खण्ड की एकाउंटिंग को डबल इंटी सिस्टम लाना फ्लिहाल उचित नहीं होगा और उन्हें वर्तमान सिस्टम के अनुसार ही लेखा रखने दिया जाये।


- 6- अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि रूमी गेट से आगे के क्षेत्र में जहाँ हुसैनाबाद ट्रस्ट की भूमि प्राधिकरण को विकास हेतु हस्तांतरित कर दी गई है, उसको भी विकसित किया जाये।
- 7- जामा मस्जिद क्षेत्र में निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण के कार्य को तेजी से कराया जाये जिससे वर्षा ऋतु में छत्र ही लान्स आदि विकसित किये जा सकें।
- 8- शीघ्र विपुल शवदाह यंत्र पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको शीघ्र पूरा कराया जाये।

॥ अखण्ड प्रताप सिंह ॥
उपाध्यक्ष

॥ प्रभु नाथ मिश्र ॥
सचिव

अनुमोदित

=====



॥ सुरेन्द्र मोहन ॥

आयुक्त

लखनऊ मण्डल एवं

अध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण